Mahanadi Basin Power Limited

महानदी वेसिन पावर लिमिटेड

(महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के एक अनुषंगी कंपनी)

वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा

२०२०-२१

खनन गहरा

लक्ष्य ऊंचा

वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा

2020-21

Mahanadi Basin Power Limited

महानदी बेसिन पावर लिमिटेड

(एमसीएल की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)

पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट संख्या जी - 3, गाड़कण, चंद्रशेखरपुर,

भुवनेश्वर - 751017 (ओड़िशा)

'कंपनी का दृष्टिकोण''देश के लिए ऊर्जा, सुरक्षा एवं स्थायी विकास के साथ अपने एवं पार्श्ववर्ती इलाके का विकास करना तथा बाधाओं को अवसरो में बदलना"

'कंपनी का लक्ष्य''नवप्रर्वतनकारी एवं पर्यावरण हितैषी प्रद्यौगिकी के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर भरोसेमंद ऊर्जा का उत्पादन करना, उपलब्ध करना तथा समाज विकास में योगदान करना है ।"

विषय सूची :

क्रमांक.	*विषय*	*पृष्ठ संख्या.*
1.	प्रबंधन/बैंकर्स/लेखा परीक्षकगण	1
2.	सूचना	2
3.	निदेशकों की रिपोर्ट	3-12
4.	लेखापरीक्षकों के रिपोर्ट और प्रबंधन का जवाब	13-24
5.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी	25
6.	31 मार्च 2021 के अनुसार तुलन पत्र	27-28
7.	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि विवरणी	29-30
8.	नगद प्रवाह विवरणी	31-32
9.	तुलन पत्र तथा लाभ-हानि विवरणी के टिप्पणियों का भाग	33-85

वर्तमान प्रबंधन (10.05.2021 के अनुसार)

नाम	पदनाम	से जारी
श्री केशव राव (डीआईएन: 08651284)	अध्यक्ष	10/01/2020
श्री अनवर हुसैन (डीआईएन: 08407634)	निदेशक	22/03/2019
श्री ए.के.सिंह (डीआईएन: 08667576)	निदेशक	10/01/2020
श्री एस.के.भूयाँ	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	16/03/2021

2020-21 के दौरान प्रबंधन

अध्यक्ष श्री के. राव (10.01. 2020 तक)

निदेशक श्री ए. हुसैन (22.03.2019 से प्रभावी)

निदेशक श्री बी. सी. मिश्रा (31.12.2020 तक)

निदेशक श्री ए. के. सिंह (10.01.2020 से प्रभावी)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री एस.के.भूयाँ(16.03.2021 से प्रभावी)

बैंकर्स

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भुवनेश्वर

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, राम्वलपुर

वैधानिक लेखा परीक्षक

नायक रथ एंड एसोसिएट्स,

चार्टर्ड अकाउंटेंट,

भुवनेश्वर

महानदी बेसिन पावर लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट रांख्या जी - 3, गाड़वण, चंद्रशेखरपुर,

भुवनेश्वर - 751017 (ओड़िशा)

सूचना

10 वीं. वार्षिक आम बैठक

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि महानदी बेसिन पावर लिमिटेड की 10वीं वार्षिक सामान्य बैठक मंगलवार 15 जून, 2021 को अपराह्न 4.00 बजे एगसीएल मुख्यालय, जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर, ओडिशा – 768020 में निम्नलिखित व्यवसाय के संचालन के लिए आयोजित की जाएगी।

सामान्य कार्य :

1. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए लेखा परीक्षित लेखा, लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन तथा निदेशकों के प्रतिवेदन को प्राप्त करने, उन पर विचार करने तथा उसे स्वीकार करने हेतु।

2. श्री ए. के. सिंह, निदेशक (डीआईएन 08667576) के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति के लिए, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 (6) के अनुसार रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने के नाते, खुद को पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करते हैं।

3. श्री अनवर हुसैन, निदेशक (डीआईएन 08407634) के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति के लिए, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 (6) के अनुसार रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने के नाते, खुद को पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करते हैं।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
महानदी बेसिन पावर लिमिटेड
ह/-
(ए.के.सिंह)
कंपनी सचिव
एम.सी.एल.

पंजीकृत कार्यालय :
प्लॉट संख्या – जी - 3, मंचेस्वर रेलवे, कॉलोनी भुबनेश्वर – 751017

टिप्पणी :

1. बैठक में भाग लेने और मतदान करने का हकदार सदस्य स्वयं के बजाय उपस्थित होने और मतदान करने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है और प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है। बैठक में भाग लेने के लिए अपने अधिकृत प्रतिनिधि भेजने के इच्छुक कॉर्पोरेट सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने प्रतिनिधि को बैठक में भाग लेने और उनकी ओर से मतदान करने के लिए अधिकृत करने वाले बोर्ड के प्रस्ताव की एक प्रमाणित प्रति भेजें।
2. शेयरधारकों से अनुरोध है कि यदि आवश्यक हो, तो वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 101 (1) के तहत प्रावधानों के अनुसार वार्षिक सामान्य बैठक को अल्पावधि के सूचना पर बुलाने हेतु अपनी सहमति दें।

निदेशकों का प्रतिवेदन

सेवा में,
शेयरधारक,
महानदी बेसिन पावर लिमिटेड

सज्जनो,

मुझे निदेशक मंडल की ओर से 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित लेखाओं की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों तथा सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ आपकी कंपनी की 10वीं वार्षिक रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है।

आपकी कंपनी महानदी बेसिन पावर लिमिटेड (एक एसपीवी) महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) की पूर्ण स्वामित्व की अनुषंगी है। एसपीवी का निगमन दिनांक 02.12.2011 को महानदी बेसिन पावर लिमिटेड के रूप में हुआ है जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट संख्या – जी-3 गाड़कण, चन्द्रशेखरपुर, भुवनेश्वर -751017 (ओड़िशा) में है और आरओसीई, कटक द्वारा दिनांक 06.02.2012 को व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र जारी किया गया।

कंपनी सुंदरगढ़ जिले के 2X800 मेगावाट सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत परियोजना को प्रचालित, विकसित और अनुरक्षित करने के लिए एमसीएल की ओर से प्रस्ताव आमंत्रित करेगी। यह प्रस्तावित परियोजना ईपीसी के आधार पर निष्पादित होगी।

वित्तीय कार्य-निष्पादन :

विवरण	2020-21 (रु. लाख में)	2019-20 (रु. लाख में)
वर्ष के लिये आय	0	0
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय के अलावा वर्ष के लिए व्यय	2.48	2.69
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय से पूर्व लाभ एवं हानि	(2.48)	(2.69)
कम : मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	0.41	0.66
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय के पश्चात लाभ एवं हानि, लेकिन कर से पहले।	(2.89)	(3.35)
काम : वर्तमान कर	0	0
कर के पश्चात लाभ एवं हानि	(2.89)	(3.35)

कंपनी निर्माण चरण में है एवं परिचालन गतिविधियाँ अभी तक शुरू नहीं हुई है, इसलिए वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान परियोजना के कारण कंपनी द्वारा किए गए सभी प्रत्यक्ष व्ययों को पूंजीकृत किया गया एवं अन्य अप्रत्यक्ष

व्यय को "लाभ एवं हानि विवरण" में दर्शाया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी ने महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी) से रु. 2690.53 लाख असुरक्षित दीर्घकालीन ऋण लिया है।

कंपनी के वित्तीय विवरण आम तौर पर भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी) के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133, कंपनी (लेखा) नियमावली 2014 के नियम 7 और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधान, जैसा लागू हो के तहत और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुसार अधिसूचित लेखा मानकों का अनुपालन करने हेतु तैयार किए गए हैं। यदि शुरू में अपनाया गया या मौजूदा मानक लेखांकन के संशोधन के लिए लेखांकन नीति के अब तक के उपयोग में परिवर्तन की आवश्यकता हो तो जारी किए गए नए लेखांकन मानक को छोड़कर लेखांकन नीतियों को सतत लागू किया गया है। प्रबंधन ने सभी हाल ही में जारी या संशोधित लेखा मानकों का मूल्यांकन निरंतर आधार पर किया। कंपनी ने तिमाही और वार्षिक आधार पर स्टैंडअलोन लेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों का खुलासा किया है।

लाभांश : -

वर्ष के दौरान कंपनी ने किसी भी प्रकार का लाभांश घोषित नहीं किया है।

रिजर्व : -

कंपनी ने किसी भी राशि को रिजर्व में स्थानांतरित नहीं किया।

महानदी बेसिन पावर लिमिटेड (एसपीवी) की भूमिका इस प्रकार है :

क. साइट की पहचान।
ख. भूमि का अधिग्रहण।
ग. जल लिंकेज, ईंधन लिंकेज आदि प्राप्त करना।
घ. विभिन्न तकनीकी अध्ययन का आयोजन करना और परियोजना सूचना रिपोर्ट तैयार करना।
ङ. सभी सांविधिक अर्थात पर्यावरणीय, वन, रक्षा, विमानन आदि मंजूरियां प्राप्त करना।
च. एमसीएल/एमबीपीएल के बिजली संयंत्र के लिए विनिर्देश तैयार करने हेतु सेवा प्रदान करने के लिए परामर्शदाता और मालिक इंजीनियर का चयन, खुली निविदा के माध्यम से उपयुक्त ईपीसी ठेकेदार का चयन, पूर्व अनुबंध सेवा, पोस्ट अनुबंध सेवा, परियोजना निगरानी सेवा, संयंत्र अधिग्रहण सेवा, ओ एंड एम दस्तावेजों की समीक्षा, उप-निरीक्षण, गुणवत्ता आश्वासन, परीक्षण सेवा और साइट इंजीनियरों की पोस्टिंग और पावर प्लांट के लिए आवश्यक कोई अन्य छोड़ी गई नौकरियां हेतु।

कंपनी की गतिविधियां - वर्तमान स्थिति :

भूमि :

एमसीएल द्वारा कोयला धारित क्षेत्र अधिनियम, 1957 के अंतर्गत भूमि का अधिग्रहण किया गया था। कोयला मंत्रालय ने एमबीपीएल के प्रस्तावित सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट के प्रयोजन के लिए टिकलीपारा, सारडेगा और गोपालपुर गांव के हिस्से में एमसीएल द्वारा अधिग्रहित 858.60 एकड़ भूमि को 50 वर्ष की अवधि के लिए

एमबीपीएल को पट्टे पर देने के लिए दिनांक 12.07.2016 को निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अधीन 'सैद्धांतिक' मंजूरी दे दी है। :

I) यह पट्टा उपरोक्त भूमि के लिए एमबीपीएल को अधिकार नहीं देगा, न ही इसे एमबीपीएल को विमुख करने का या अपनी इच्छा से उसका निपटान करने का हक देगा, इसलिए, एमबीपीएल ऐसे किसी बाधा का सृजन नहीं करेगा जो भूमि के अलगाव या निपटान के समान हो।

ii) इस पट्टे के किसी भी पहलू से उत्पन्न होने वाले किसी भी मामले या विवाद के मामले में, इसे एमसीएल को संदर्भित किया जाएगा।

iii) इस मामले में उसका निर्णय एमबीपीएल के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा।

यह अनुमति इस आधार पर दी जाती है कि एमबीपीएल कंपनी अधिनियम में पारिभाषित रूप में एक सरकारी कंपनी बनी रहेगी, एमबीपीएल के 'गैर-सरकारी कंपनी' बनने पर अनुमति समाप्त हो जाएगी। इस आशय का एक खंड पट्टा-अनुबंध में दर्ज किया जाएगा।

भूमि पट्टे के लिए मसौदा समझौता ज्ञापन प्रस्ताव एमसीएल को प्रस्तुत किया गया। एमसीएल मुख्यालय में एक समिति के माध्यम से पट्टा समझौता की औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं।

वन भूमि परिवर्तन :

वन भूमि परिवर्तन का प्रस्ताव पीसीसीएफ कार्यालय को दिनांक 22.04.2013 को प्रस्तुत किया गया। एमबीपीएल द्वारा राज्य एसआई संख्या 595/13 दिनांक 7.06.2013 को प्राप्त हुआ। मेसर्स पीएफसीसी लिमिटेड द्वारा वन भूमि का 100% सीमांकन किया गया है। वृक्षों की गणना का कार्य मैसर्स पीएफसीसी लिमिटेड द्वारा पूरा किया गया है। गोपालपुर, सरडेगा और टिकलीपारा गांवों में पल्ली सभा आयोजित करने के लिए कलेक्टर, सुंदरगढ़ को पत्र दिया गया। पिलर-पोस्टिंग का कार्य पूरा हो गया है। सर्वेक्षण प्रमाणन के लिए ओआरएसएसी, नोडल एजेंसी, ने डीजीपीएस का कार्य सर्वेक्षण पूरा किया और ओआरएसएसी द्वारा दिनांक 30.09.2019 को डीजीपीएस नक्शा प्रस्तुत किया गया। वन भूमि डायवर्जन हेतु चरण-I के लिए आवेदन वेबसाइट में अपलोड करने की आवश्यकता है।

आईपीआईसीओएल से सिंगल विंडो क्लीयरेंस :

आईपीआईसीओएल को दिसंबर 2011 में आवेदन जमा कर दिया गया है। आईपीआईसीओएल ने सलाह दी है कि आवेदन ओडिशा सरकार (ओ.स.) के माध्यम से जमा किया जाना है। ओडिशा सरकार ने अप्रैल 2012 में आईपीआईसीओएल को आवेदन स्वीकार करने का निर्देश दिया। आवेदन अंततः मई 2012 में आईपीआईसीओएल को प्रस्तुत किया गया था। दिनांक 19.02.2013 को "फॉर्म जे" के साथ 50 क्यूसेक जल के आवंटन के लिए आवश्यक प्रसंस्करण शुल्क रुपये 1,000/- की राशि और सुरक्षा जमा राशि रु.75,00,000/- जल संसाधन विभाग को भुगतान किया गया। जल संसाधन विभाग द्वारा हीराकुड बाँध से 50 क्यूसेक जल आबंटन की अनुशंसा की है। ओडिशा सरकार के राज्य स्तरीय सिंगल विंडो क्लीयरेंस उच्च स्तरीय क्लीयरेंस अथॉरिटी (एचएलसीए) ने दिनांक 29/09/2015 को आयोजित अपनी 16वीं बैठक में 'सैद्धांतिक रूप से' परियोजना को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा ओड़िशा सरकार के जल आवंटन समिति ने दिनांक 25.02.2015 को आयोजित अपनी 61 वीं बैठक में दिनांक

24.11.2015 को प्रधान सचिव (जल संसाधन विभाग) को हीराकुद जलाशय से एमबीपीएल के प्रस्तावित ताप विद्युत परियोजना के लिए 49 क्यूसेक जल के आवंटन हेतु सिफारिश की। आईपीआईसीओएल ने एमबीपीएल, एमसीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के 2 X 800 मेगावाट की विद्युत परियोजना के अनुमोदन की पुष्टि को जिससे राज्य सरकार को पूरी लागत पर विद्युत का 50% मिलेगा, दर्शाते हुए दिनांक 13.01.2016 को आयोजित एसएलएसडबल्यूसीए के 59 वीं बैठक की कार्यवाही को सूचित किया

पर्यावरणीय अनुमति :

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीडी), ओडिशा को जन सुनवाई आयोजित करने के लिए दिनांक 14.02.2013 को अपेक्षित शुल्क के साथ रैपिड ईआईए रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संबंधित जिला एवं पंचायत प्राधिकारियों के सहयोग से ग्राम टिकिलीपाड़ा, सुंदरगढ़ जिले के जगन्नाथ मंदिर में जनसुनवाई बैठक दिनांक 27.11.2013 को सफलतापूर्वक आयोजित की गई थी। सभी दस्तावेज पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को सौंपे गए। (I) कोल लिंकेज, (ii) वाटर लिंकेज और (iii) फ्लाई ऐश उपयोग योजना मिलने के बाद एमबीपीएल मामले की सुनवाई होगी। सदस्य सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से दिनांक 08.10.2017 को फर्म कोल लिंकेज और जल आवंटन की प्राप्ति के पश्चात ईसी के अनुदान के लिए विचार हेतु आगामी ईएसी में सुनवाई के लिए परियोजना को सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया गया है।

ईंधन लिंकेज :

एमसीएल ने विद्युत परियोजना हेतु कोयले के लिंकेज आबंटन के लिए कोयला मंत्रालय को 23 नवंबर, 2011 को अनुरोध किया। एमसीएल ने पुनः दिनांक 14 मई, 2012 और 22.09.2012 को अनुरोध किया। एसएलसी (कोयला मंत्रालय) कोयला मंत्रालय के विशेष छूट मार्ग के माध्यम से प्रस्तावित एसटीपीपी के लिए 9.0 एमटीपीई के कोयला आवंटन हेतु सिफारिश की है एवं सभी औपचारिकताओं के अवलोकन के बाद कोयला लिंकेज आवंटन के लिए आवेदन करने की सलाह दी है। एमसीएल ने दिनांक 03.04.2015 को कोयला लिंकेज को जारी करने हेतु पुष्टि पत्र के लिए कोयला मंत्रालय के अपर सचिव से अनुरोध किया है। वांछित रूप में, कोयला लिंकेज के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के माध्यम से विद्युत मंत्रालय को नया आवेदन प्रस्तुत किया गया था। सीईए टीम ने दिनांक 01.11.2015 को एमबीपीएल की साइट परियोजना का दौरा किया। सीईए द्वारा वांछित के रूप में, दस्तावेजों सहित अपेक्षित जानकारी सीईए को दिनांक 04.02.2016 को प्रस्तुत की गई थी। सीईए ने दिनांक 11.03.2016 को कोयला लिंकेज पर विचार करने के लिए विद्युत मंत्रालय को मामले की सिफारिश की है। जांच के बाद, विद्युत मंत्रालय ने कुछ स्पष्टीकरण मांगा जिसे 13.05.2016 को प्रस्तुत किया गया। भारत सरकार द्वारा नई कोयला लिंकेज नीति को अपनाए जाने के पश्चात, मुख्य विद्युत प्राधिकारी (सीईए), नई दिल्ली की सलाह पर दिनांक 27.05.2017 को सीईए के माध्यम से विद्युत मंत्रालय को नया आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

स्थायी लिंकेज समिति (एसएलसी), कोयला मंत्रालय ने दिनांक 29.06.2017 की अपनी बैठक में एमसीएल के एमबीपीएल को पत्र संख्या: 23014/3/2017-CLD दिनांक 17/07/2017 के माध्यम से कोयला लिंकेज जारी करने के लिए सीआईएल को अनुशंसा की है। दिनांक 25.08.2017 की सीएलओए बैठक के दौरान एसएलसी की

सिफारिश के अनुसार कोल इंडिया द्वारा फर्म कोयला आवंटन दिया गया है। सीएलओए ने सिफारिश दी है कि आवश्यक वाणिज्यिक औपचारिकताओं को देखने के बाद एमसीएल के एमबीपीएल के संयंत्र को एलओए जारी किया जा सके।

कोयला परिवहन अध्ययन :

प्राथमिक जांच के आधार पर प्रारंभिक रिपोर्ट जून, 2012 में एमसीएल को प्रस्तुत की गई। कोयले का परिवहन लगभग 8-10 किलोमीटर के पाइप कन्वेयर के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है।

सिविल विमानन (चिमनी की ऊंचाई के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र) :

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से हाईट क्लीयरेंस के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुमोदित किया गया तथा उसे दिनांक 30.05.2016 को जारी किया गया।

रक्षा (चिमनी ऊंचाई के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र) :

रक्षा मंत्रालय से हाईट क्लीयरेंस के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुमोदित किया गया तथा उसे दिनांक 12.06.2017 को जारी किया गया।

संयुक्त उद्यम स्थिति :

बिजली उत्पादन के लिए एमसीएल/सीआईएल और एनएलसी इंडिया लिमिटेड के बीच संयुक्त उद्यम समिति बनाने हेतु दिनांक 12.08.2016 को विशेष सचिव, एमओसी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी क्योंकि एमसीएल को बिजली व्यवसाय में कोई विशेषज्ञता नहीं है।

एमबीपीएल बोर्ड ने दिनांक 10.11.2016 को आयोजित अपनी 25वीं बैठक में, में संयुक्त उद्यम मोड को अपनाने और इक्विटी पूंजी के पुनर्गठन के लिए 'सैद्धांतिक रूप से' सहमति व्यक्त की और अनुमोदन के लिए इसे एमसीएल बोर्ड और सीआईएल बोर्ड के समक्ष रखने हेतु सिफारिश की।

एमसीएल बोर्ड ने दिनांक 10.06.2017 को आयोजित अपनी 192वीं बैठक में एनटीपीसी के साथ संयुक्त उद्यम मोड को अपनाने और एमबीपीएल में इक्विटी पूंजी के पुनर्गठन के लिए आगे विचार-विमर्श और अनुमोदन के लिए सीआईएल को प्रस्ताव की सिफारिश करने पर सहमति व्यक्त की।

तदनुसार, सीएमडी, एमसीएल द्वारा विधिवत सहमत होने पर प्रस्ताव को महाप्रबंधक(पीएमडी), सीआईएल, के अनुमोदन के लिए दिनांक 24.08.2017 को भेज दिया गया है। सीआईएल द्वारा वांछित के रूप में जानकारी दिनांक 04.10.2017 को प्रस्तुत की गई है। सीआईएल संयुक्त उद्यम के गठन के लिए एनटीपीसी की नई सहमति प्राप्त करना चाहता है। एनटीपीसी ने संयुक्त उद्यम के गठन से पहले कुछ आवश्यक शर्तें रखी हैं। एमबीपीएल अपने द्वारा पहले से प्राप्त मंजूरी पर उन शर्तों के निहितार्थ को देख रहा है। इस बीच, सरकार की नीतियों में कुछ बदलाव हुए। चूंकि ओडिशा एक बहुतायत बिजली वाला राज्य है, ओडिशा सरकार एमबीपीएल से बिजली खरीदने के लिए अनिच्छुक था, इससे अक्षय ऊर्जा पर थर्मल पावर से भी अधिक प्रभाव पड़ता है।

एमबीपीएल बोर्ड ने दिनांक 21.09.2020 को आयोजित अपनी 45वीं बैठक में सीपीपी-स्मेल्टर स्थापित करने और इक्विटी पूंजी के पुनर्गठन के लिए नाल्को के साथ संयुक्त उद्यम मोड अपनाने हेतु 'सैद्धांतिक रूप से' सहमति व्यक्त की और इसे एमसीएल बोर्ड और सीआईएल बोर्ड के समक्ष अनुमोदन के लिए रखने की सिफारिश की।

एमसीएल बोर्ड ने दिनांक 26.12.2020 को आयोजित अपनी 228वी बैठक में क्रमशः 74;26 के अनुपात में नाममात्र चुकता पूंजी के साथ एमसीएल और एनटीपीसी के संयुक्त उद्यम को अपनाने के लिए आगे विचार-विमर्श और अनुमोदन हेतु सीआईएल को प्रस्ताव की सिफारिश करने पर सहमति व्यक्त की।

सीआईएल बोर्ड ने दिनांक 18.02.2021 को प्रस्ताव को मंजूरी दी और इसे दिनांक 27.01.2021 को कोयला मंत्रालय को भेज दिया। सीआईएल ने विविधीकरण और मूल्यवर्धन के लिए परामर्श और कार्यक्रम प्रबंधन प्रदान करने के लिए मैसर्स डेलॉइट टौच तोहमात्सु इंडिया को भी नियुक्त किया।

नीति आयोग ने दिनांक 21.02.2021 को नाल्को के साथ संयुक्त उद्यम में एमसीएल के एसपीवी के गठन को मंजूरी दी।

सहायक/संयुक्त उद्यम कंपनी -

आपकी कंपनी महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और जिसकी कोई सहायक /संयुक्त उद्यम कंपनी नहीं है।

सावधि जमा :

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 73 एवं इसके अधीन बनाए गए नियमों के तहत आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान जनता से किसी भी प्रकार का जमा स्वीकार नहीं किया है।

जोखिम प्रबंधन :

प्रभावी जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया हेतु कंपनी के विभिन्न कार्यक्षेत्रों में जोखिम की पहचान, आकलन एवं नियंत्रण को महत्व देते हुए पारंपरिक, आंतरिक एवं बाहरी जोखिमों पर आवश्यक नियंत्रण हेतु नियमित उपाय किए जाते हैं। भूमि का अधिग्रहण, वन मंजूरी और पर्यावरणीय समस्याएं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं जिनकी प्रबंधन द्वारा लगातार निगरानी की जाती है।

सतर्कता तंत्र /व्हिसल ब्लोवर नीति :

एक सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी की गतिविधियां सी एंड एजी, सतर्कता, सीबीआई आदि द्वारा लेखा परीक्षा के लिए खुली हैं।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व :

कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व महानदी बेसिन पावर लिमिटेड पर लागू नहीं है।

पूंजी संरचना :

दिनांक 31.03.2021 को कंपनी की अधिकृत इक्विटी शेयर पूंजी 5,00,000 रुपये (पांच लाख रुपये) पर जारी रही, जो प्रत्येक 10/- रुपये के 50,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित था। दिनांक 31.03.2020 को कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी 5,00,000 रुपये पर अपरिवर्तित है। संपूर्ण इक्विटी शेयर पूंजी महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) और उसके नामांकित व्यक्तियों के पास है।

संगठनात्मक संरचना :

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, एसपीवी के संस्था ज्ञापन (एमओए) और संस्था के अनुच्छेद के 07 (सात) ग्राहक और एसपीवी के बोर्ड में सीएमडी, एमसीएल द्वारा नामित 04 (चार) निदेशक हैं। साथ ही, एसपीवी के बोर्ड के पर्यवेक्षण और नियंत्रण में एसपीवी की दैनंदिन गतिविधियों को करने हेतु एक सीईओ को नियुक्त किया गया है।

कार्यात्मक सहायता :

कंपनी को एसपीवी की स्थापना और सुचारू कामकाज के लिए आवश्यक सभी कार्यात्मक सहायता प्रदान की जा रही है। इसमें एसपीवी के दैनंदिन के कामकाज के लिए आवश्यक फोन, फैक्स, कंप्यूटर, वाहन और अन्य सभी प्रशासनिक सुविधाओं के साथ सुसज्जित कार्यालय स्थान शामिल है। प्रशासनिक एवं कर्मचारी सहायता सहित एसपीवी के पृथक लेखा शीर्ष में दी गई लागत का आवंटन किया जा रहा है, जिसमें एसपीवी में एमसीएल द्वारा इक्विटी में योगदान हेतु ब्याज का गठन किया जाएगा।

ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी समावेशन और विदेशी मुद्रा का उपार्जन तथा व्यय का विवरण :

कंपनी द्वारा ऊर्जा संरक्षण से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं की गई है। कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई तकनीक का अधिग्रहण नही किया गया है। चूंकि कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान निर्यात और आयात से संबंधित कोई गतिविधि नहीं की है। वित्तीय वर्ष के दौरान किसी विदेशी मुद्रा व्यय तथा विदेशी आय नहीं है।

निदेशक मण्डल :

महानदी बेसिन पावर लिमिटेड के निदेशक मण्डल में दिनांक 31.03.2021 के अनुसार निम्नलिखित व्यक्तियों को निदेशक नामित किया गया है :

नाम	पदनाम	से जारी
श्री के.राव (डीआईएन : 08651284)	अध्यक्ष	10/01/2020
श्री बी.सी.मिश्रा (डीआईएन : 08521192)	निदेशक	27/06/2019
श्री अनवर हुसैन (डीआईएन : 08407634)	निदेशक	22/03/2019
श्री ए.के.सिंह (डीआईएन : 08667576)	निदेशक	10/01/2020

बोर्ड संरचना का ब्यौरा, निदेशकों की व्यक्तिगत उपस्थितियाँ :

क्र.सं.	विवरण	दिनांक	बैठक का स्थान
1	43 वीं बोर्ड बैठक	30.05.2020	एमसीएल मुख्यालय, बुर्ला सम्बलपुर
2	44 वीं बोर्ड बैठक	06.08.2020	एमसीएल मुख्यालय, बुर्ला सम्बलपुर
3	45 वीं बोर्ड बैठक	21.09.2020	एमसीएल मुख्यालय, बुर्ला सम्बलपुर
4	46 वीं बोर्ड बैठक	19.01.2021	एमसीएल मुख्यालय, बुर्ला सम्बलपुर

वर्ष **2018-19** के दौरान बोर्ड संरचना का ब्यौरा, निदेशकों की व्यक्तिगत उपस्थितियाँ :

निदेशकों का नाम	श्रेणी	बोर्ड की बैठक	
		कार्यकाल के दौरान	उपस्थिति
श्री के.राव	कर्मचारी	04	04
श्री बी.सी.मिश्रा	कर्मचारी	04	02
श्री अनवर हुसैन	कर्मचारी	04	04
श्री ए.के.सिंह	कर्मचारी	04	04

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा -186 के अंतर्गत ऋण, प्रत्याभूति या निवेश :

वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई ऋण, प्रतिभूति या निवेश नहीं किया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा -188 के अंतर्गत संबंधित पार्टियों के साथ संविदा विवरण एवं व्यवस्था

वर्ष के दौरान कंपनी का किसी भी संबन्धित पार्टियों के साथ कोई भी अनुबंध या करार नहीं हुआ है।

निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

प्राप्त जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा उनके सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर यह पुष्टि की जाती है की आपकी कंपनी के निदेशकगण द्वारा कंपनी आधिनियम, 2013 की धारा-134(3) (सी) के तहत निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किया गया है :

क. दिनांक 31.03.2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखा की प्रस्तुति में सामग्रियों के प्रस्थान संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखा के मानकों (लेखों पर नोट के खुलासे के अलावा) का अनुसरण किया गया है।

ख. निदेशकों ने ऐसी लेखा नीति का चयन कर उसका सुसंगत प्रयोग किया एवं उचित तथा विवेकपूर्ण नियम सहित उसका आकलन किया ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की स्थिति तथा आलोच्य वर्ष में कंपनी के लाभ एवं हानि की सही जानकारी दी जा सके।

ग. कंपनी की परिसंपतियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं का पता लगाने, निवारण हेतु कंपनी अधिनियम के प्रावधान के अनुसार समुचित लेखा रेकॉर्ड के अनुरक्षण के लिए निदेशकों द्वारा उचित तथा पर्याप्त सावधानी बरती गई है।

घ. निदेशकों ने दिनांक 31.03.2021 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए खातों को गोइंग कंसर्न के आधार पर तैयार किया है;

ङ. निदेशकों ने कंपनी द्वारा अपनाए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए हैं और ऐसे वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं।

च. निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की थी और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से काम कर रही थीं।

सांविधिक लेखा परीक्षक :

कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 139 (5) के अंतर्गत भारत के सी एंड एजी, नई दिल्ली के द्वारा मेसर्स नायक रथ एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट, भुबनेश्वर को वर्ष 2020-21 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

लेखा परीक्षक प्रतिवेदन :

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए महानदी बेसिन पावर लिमिटेड के वित्तीय विवरण पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को प्रबंधन के जवाब, यदि कोई हो, योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी या अपनी रिपोर्ट में लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए अस्वीकार के साथ संलग्न किया गया है।

सी एंड ए.जी .टिप्पणियाँ :-

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (बी) के तहत महानदी बेसिन पावर लिमिटेड की लेखा पर अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों को यहाँ संलग्नित किया गया है।

वार्षिक रिटर्न का सार

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(1) तथा कंपनी नियमावली, 2014 (प्रबंधन और प्रशासन) के नियम 12 (1) के अनुसार वार्षिक रिटर्न सार (फॉर्म नंबर एमजीटी- 9) को एमसीएल के वेबसाइट के लिंक http://www.mahanadicoal.in/Financial/annual_report.php में अपलोड किया गया है।

आभार -

आपके निदेशकगण, कोयला मंत्रालय, कोल इंडिया लिमिटेड और महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड का उनके मूल्यवान सहायता समर्थन और मार्गदर्शन के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। आपके निदेशक केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और ओड़िशा की राज्य सरकार का भी उनके मूल्यवान समर्थन के प्रति आभार व्यक्त करते हैं।

आपके निदेशकगण लेखापरीक्षकों, भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक और कंपनी पंजीयक, ओड़िशा के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए भी उनकी प्रशंसा करते हैं।

निदेशकगण सुंदरगढ़ के विभिन्न महत्वपूर्ण नागरिकों और ओड़िशा के कोयलांचल के निवासियों का भी समय-समय पर उनके सहयोग के लिए उनका धन्यवाद करते हैं।

परिशिष्ट :

निम्नलिखित दस्तावेज़ संलग्न है:-

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के अंतर्गत नियुक्त किए गए सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट।

कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 143 (6) (बी), जिसे धारा 129(4) के साथ पढ़ा जाए, के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार की टिप्पणी।

ह/-
(केशव राव)
अध्यक्ष
(डीआईएन : 08651284)

स्थान: भुवनेश्वर
दिनांक: 12.06.2021

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

सेवा में
सदस्यगण
महानदी बेसिन पॉवर लिमिटेड

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट:

मत
हमने महानदी बेसिन पॉवर लिमिटेड ("कंपनी") के भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षा किया है, जिसमें 31 मार्च, 2021 तक तुलन पत्र, लाभ और हानि का विवरण, इक्विटी में बदलाव का विवरण और समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह का विवरण तथा वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियों के साथ ही महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश एवं अन्य व्याख्यात्मक जानकारियों को शामिल किया है (एतद्पश्चात वित्तीय विवरण के रूप में इसे संदर्भित किया जाता है)।

हमारे मत एवं पूर्ण जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण भारत में सामान्य रूप से स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') द्वारा 31 मार्च, 2021 तक कंपनी के मामलों की अपेक्षित स्थिति की सत्य और निष्पक्ष जानकारी देते हैं, और उस तिथि पर समाप्त वर्ष के लिए इसके हानि, इक्विटी में परिवर्तन नकदी प्रवाह की अनुरूपता में एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते है।

मताधार
हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट अंकेक्षण मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा किया है। उन मानकों के तहत, हमारे प्रतिवेदन के *वित्तीय विवरण के लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व* अनुभाग में हमारी जिम्मेदारियों को वर्णित किया है। कंपनी अधिनियम एवं इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक स्वतंत्र आवश्यकताओं के साथ हम भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं तथा हमने अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए है, वे हमारे मताधार के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

चालू व्यापार से संबंधित भौतिक अनिश्चितता
कंपनी को शेयर पूंजी और भंडार की बढोतरी से अधिक घाटा हुआ है और इसका निवल मूल्य पूरी तरह से समाप्त हो गया है। ये स्थितियां उन भौतिक अनिश्चितता के अस्तित्व को इंगित करती हैं जो कंपनी की व्यापार जारी रखने की योग्यता के संबंध में महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न करती हैं और यह एक चिंता का

विषय है। हमें प्रबंधन द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी और स्पष्टीकरण से विदित हुआ है कि कंपनी विकास के चरण में है और कंपनी को सभी पी.एस.यू. प्रमोटरों का समर्थन प्राप्त है जो निकट भविष्य में कंपनी के लिए पूंजी का उपयोग कर सकते है। कंपनी की पूंजीगत परियोजना और अन्य गतिविधियाँ और तदनुसार कंपनी के वित्तीय विवरण "गोइंग कंसर्न" (उन्नतशील व्यवसायिक प्रतिष्ठान) के आधार पर तैयार किये गये हैं।

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा के संदर्भ में समावेशित भी किया गया था, जो हमारी राय निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती हैं।

एस.ए. 701 के अनुसार प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों की रिपोर्टिंग, मुख्य लेखा परीक्षा मामले इस कंपनी पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि यह एक असूचीबद्ध कंपनी है।

वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारियां

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं की तैयारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है जिसमें बोर्ड का रिपोर्ट तथा उसके अनुलग्नक शामिल हैं लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी राय अन्य जानकारियों की संपुष्टि नहीं करती है और हम ऐसे आश्वासन निष्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी ज़िम्मेदारी अन्य सूचनाओं को पढ़ने की है और ऐसा करते समय उन तथ्यों पर भी, विचार करते हैं जो अन्य जानकारी यथा- वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत या हमारे लेखा परीक्षा के दौरान प्राप्त वे जानकारी जो भौतिक रूप से गलत पाया गया हो।

अगर, हमने जो काम किया है, उसके आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य विरूपण की सामग्री यदि गलत हैं, तो हम उन तथ्यो की रिपोर्ट करते हैं। इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए हमारे पास कोई तथ्य उपलब्ध नहीं है।

<u>वित्तीय विवरणियों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व:</u>

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) से संबंधित मामलों के निपटान हेतु कंपनी के निदेशक मंडल उत्तरदायी होंगे। इन वित्तीय विवरणों (भारतीय लेखांकन मानक) की तैयारी एवं प्रस्तुतीकरण में, जो कंपनी में आमतौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार है साथ ही अधिनियम की धारा 133, जारी किए गए प्रासंगिक नियमों के साथ पढ़ें, के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानक

(भारतीय लेखांकन मानक) सहित एवं इसके अंतर्गत जारी किए गए हैं, इस संदर्भ में सटीक एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। कंपनी का उत्तरदायित्व है कि वे कंपनी की संपति को सुरक्षित रखने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यथोचित लेखा अभिलेखों को बनाए रखें, जो धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने और इसे रोकने के लिए लेखा नीतियों का चयन व लागू कराने, उचित व विवेकपूर्ण निर्णय व अनुमान करने व ऐसी यथोचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लागू कराने व बनाए रखने, जो प्रासंगिक लेखा अभिलेखों की सटीकता और संपूर्णता सुनिश्चित करती हो, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति से संबंधित हो और सत्य व निष्पक्ष कथन का आलोकन कराती हो और जो किसी धोखाधड़ी या त्रुटि की वजह से होने वाले मिथ्याकथन से मुक्त हों।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन कंपनी को चालू समुत्थान के रुप में इसकी क्षमता का आकलन करती है तथा जब तक प्रबंधन या तो कंपनी को समाप्त करने का या इसके संचालन को रोकने के लिए, या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प न होने पर चालू समुत्थान के आधार पर लेखांकन का उपयोग करती है तथा चालू समुत्थान से संबंधित मामले को आवश्यकता अनुसार प्रकट करती है।

निदेशक मंडल कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदन प्रक्रिया की देख-रेख के लिए जिम्मेदार हैं।

<u>वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियां</u>

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है जिसमें इस बात की भी बात संपुष्टि हो कि क्या भारतीय लेखांकन मानक पूरी तरह से भौतिक गलतफहमी से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो तथा लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, जो यह गारंटी नहीं देता है कि धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट अंकेक्षण मानक के अनुसार संचालित लेखा परीक्षा हमेशा गलत विवरण का पता लगायेगी ही। गलतियाँ धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती हैं और यह माना जाता है कि व्यक्तिगत या पूर्ण रुप से यह इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकती है।

एस.ए.एस. के एक भाग के अनुसार लेखा परीक्षा के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखा परीक्षा में पेशेवर संदेह को संपुष्ट करते हैं। हम भी:

- वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत विवरण के जोखिमों की पहचान और उनका आकलन करते है, चाहे यह धोखेबाजी या त्रुटि के कारण ही क्यों न हुआ हो। साथ ही उन जोखिमों के लिए लेखा परीक्षण की प्रक्रियाओं का यह डिजाइन निष्पादित करते हैं, जिससे लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त होता है जो हमारी विचारधारा को एक आधार प्रदान करने में पर्याप्त और उचित भूमिका का निर्वहन करता है। धोखाधड़ी के कारण भौतिकवाद के इस जोखिम का पता नहीं

लगता है जिसके परिणामस्वरूप कई विसंगतियां उत्पन्न होती है क्योंकि धोखाधड़ी में मिली-भगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का ओवरराइड शामिल हो सकता है।

- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की, समझ प्राप्त करते है, जो परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त है। अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है तथा इस तरह के नियंत्रणों का संचालन की प्रभावशीलता है।

- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों को तर्किक ढंग से इसका मूल्यांकन करते हैं।

- लेखांकन के आधार पर चालू समुत्थान का प्रबंधन द्वारा इसकी उपयुक्तता तथा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या एक घटना या शर्तों से संबंधित क्या ऐसी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की क्षमता पर संदेह उत्पन्न कर सकती है, जो एक गंभीर चिंता का विषय हो सकता है। फिर भी यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है या यदि इस तरह के खुलासे अपर्याप्त हैं, तो हमारी राय को संशोधित करने की आवश्यकता है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों से कंपनी को चालू समुत्थान के रुप में बने रहने में कठिनाई भी हो सकती है।

- प्रकटीकरण सहित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री और क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है का मूल्यांकन करते हैं।

अन्य मामलों में, हम लेखा परीक्षा के नियोजित दायरे तथा समय और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों, जिन्हें हम अपने लेखा परीक्षा के दौरान प्राप्त करते हैं, के बारे में शासन विधि प्रतिनिधियो से संवाद करते हैं।

हम शासन विधि प्रतिनिधियो को अपने वक्तव्य द्वारा यह आश्वस्त भी करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है एवं उनके साथ संबंधित तथा अन्य मामले जो हमारी स्वतंत्रता के लिये अपेक्षित रहा है एवं जो जहां लागू है, उसके साथ-साथ जो संबंधित सुरक्षा उपाय

के लिए उचित माना गया है, उस पर संवाद कर लिया है। शासन विधि के लोगों के साथ संवाद किए गए मामलों से हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के लेखा-परीक्षण में सबसे महत्वपूर्ण माने जाते थे और यह प्रमुख लेखापरीक्षा मामले से संबंधित होते हैं। हम अपने लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है या अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारे प्रतिवेदन में किसी मामले का संचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के दुष्परिणामों की यथोचित अपेक्षा होगी जो सार्वजनिक हितलाभ से अतिभारित होगा।

अन्य वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. भारत के केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") के अनुसार अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के संदर्भ में, हम "अनुलग्नक- 1" में आदेश के अनुच्छेद 3 एवं 4 में निर्दिष्ट मामलों पर विवरण प्रदान करते हैं।

2. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों और उप निर्देशों पर हम "अनुलग्नक-2" दिए गए जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा कंपनी की बही एवं रिकॉर्डों के आधार पर, जैसा कि हमने उचित माना है हम 143 (5) के संदर्भ में अपनी रिपोर्ट को संलग्न कर रहे हैं।

3. अधिनियम की धारा 143 (3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   i. हमने अपने पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास से उन सभी जानकारियों एवं स्पष्टीकरणों को प्राप्त किया है जो पूर्वोक्त भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक था।

   ii. हमारी राय में, अब तक के उन बहियों के परीक्षण से यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में विधि द्वारा आवश्यक उचित लेखा बहियों को कंपनी ने रखा है।

   iii. इस रिपोर्ट के साथ तुलन-पत्र, लाभ और हानि का विवरण, इक्विटी में बदलाव का विवरण तथा नकदी प्रवाह के विवरण, भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण के लिए अनुरक्षित प्रासंगिक लेखा बहियों के साथ अनुबंध में है।

   iv. हमारे मत में, उपरोक्त भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणी का अनुपालन कंपनी अधिनियम की धारा 133 में उल्लिखित लेखा मानक के साथ किया जाता है, जिसे कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाए।

v. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना जी.एस.आर 463 (ई), दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार एक सरकारी कंपनी होने के नाते हमें सूचित किया गया है कि निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164 (2) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

vi. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और इस तरह के नियंत्रणों के संचालन की प्रभावशीलता के संबंध में, "अनुलग्नक -3" में हमारी दी गई रिपोर्ट का अवलोकन करें। हमारी रिपोर्ट वित्तीय प्रतिवेदन पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक असम्बद्ध राय व्यक्त करती है।

vii. हमारे मत में, हमारी पूर्ण जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी (ऑडिट एंड ऑडिटर्स) नियमावली, 2014 के नियम 11 से संबंधित अन्य मामलों को शामिल किया जाएगा।

क. जैसा कि हमें समझाया गया है कि कंपनी के पास कोई लंबित मुकदमे नहीं है जो उसके भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों में उसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करेगा।

ख. जैसा कि हमें स्पष्ट किया गया है कि कंपनी ने किसी भी व्युत्पन्न अनुबंध में प्रवेश नहीं किया है एवं कंपनी को दीर्घकालिक अनुबंधों पर किसी भी प्रकार की भौतिक हानि का अनुमान नहीं किया है, इसलिए इस संबंध में खाते में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

ग. कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 (2) के तहत आवश्यक रूप से निवेशक शिक्षा और संरक्षण के लिए कोई राशि हस्तांतरित करने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी राशि को निधि में स्थानांतरित करने में देरी उत्पन्न नहीं होती है।

कृते नायक रथ तथा एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.- 021051N

ह/
(सनदी लेखाकार ओरविंद रथ)
साझेदार
सदस्यता संख्या-. 062603
यू.डी.आई.एन.-20062603AAAAAT6291

स्थानः भुवनेश्वर
दिनांक-24 मई, 2021

अनुलग्नक-1 स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों के अनुसार महानदी बेसिन पॉवर लिमिटेड के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट के "अन्य वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के अनुच्छेद 1 उल्लेखित विवरण पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:

i. क. कंपनी ने पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है जिसमें मात्रात्मक विवरण और उसकी अचल संपत्तियों की स्थिति शामिल है।

ख. उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा कंपनी की अचल संपत्तियों को भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है एवं इस सत्यापन के क्रम में किसी भी प्रकार की भौतिक विसंगति नहीं देखी गई थी और हमारी राय में ऐसे भौतिक सत्यापन की आवधिकता कंपनी के आकार एवं इसकी संपत्ति की प्रकृति के संबंध में उचित है।

ग. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है और इसलिए कोई भी टाइटिल डीड नहीं है।

ii. जैसा कि हमें समझाया गया है कि कंपनी के पास वर्ष के दौरान सामग्रियों, कल-पुर्जे और कच्चे माल का भंडार नहीं है। इसलिए उक्त आदेश के अनुच्छेद 3 के खंड (ii) की आवश्यकताएं कंपनी पर लागू नहीं होती हैं।

iii. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा अभिलेखों के परीक्षण के आधार पर हमने देखा कि कंपनी के पास कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत कवर की गई पार्टियों के लिए कोई ऋण अं अग्रिम नहीं है।

iv. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के रिकॉर्ड के परीक्षण के आधार पर कंपनी ने कोई ऋण/निवेश/गारंटी/सुरक्षा प्रदान नहीं की है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के अनुपालन के संबंध में रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है।

v. कंपनी ने अधिनियम के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों एवं इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा धारा 73 से 76 के अंतर्गत किसी भी प्रकार का जमा स्वीकार नहीं किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए निर्देश कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

vi. कंपनी ने कोई व्यवसाय/सेवा शुरू आरंभ नहीं की है इसलिए कंपनी पर आदेश के 3 (vi) का प्रावधान पर लागू नहीं है।

vii. क. कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार निर्विवाद वैधानिक देय साथ ही भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, सीमा शुल्क, माल और सेवा कर, उपकर व अन्य वैधानिक देय नियमित रूप से उपयुक्त प्राधिकरणों को जमा किए गए हैं। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च, 2021 तक देय होने देयता की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वैधानिक देय बकाया नहीं था।

ख. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण एवं हमारे द्वारा जांच की गई कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार किसी भी विवाद के कारण आयकर, विक्रय कर, माल और सेवा कर, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और मूल्य वर्धित कर बकाया नहीं है।

viii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा रिकॉर्ड के परीक्षण के आधार पर कंपनी ने वित्तीय संस्थान, बैंक या सरकार से कोई ऋण या उधार नहीं लिया है। कंपनी ने कोई ऋणपत्र जारी नहीं किया है। इसलिए, उक्त आदेश के अनुच्छेद 3 का खंड (viii) कंपनी पर लागू नहीं है।

ix. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण लिखत सहित) एवं ऋण के शर्तों के माध्यम से कोई पैसा नहीं बढ़ाया है। तदनुसार आदेश का अनुच्छेद 3 लागू नहीं होता है।

x. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी के अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर या कंपनी द्वारा किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी देखी या रिपोर्ट नहीं की गई है।

xi. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण एवं कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी परीक्षा के आधार पर कंपनी ने अनुसूची V के अधिनियम के अनुसार पढ़े गए धारा 197 के प्रावधानों के द्वारा अपेक्षित अधिदिष्ट अनुमोदन के अनुसार प्रबंधकीय पारिश्रमिक के लिए भुगतान किया है ।

xii. कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। इसलिए, उक्त आदेश के अनुच्छेद 3 का खंड (xii) कंपनी पर लागू नहीं है।

xiii. कंपनी केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित उद्यम एवं संबंधित पार्टी लेनदेन करने वाली कंपनी होने के नाते भारतीय लेखांकन मानक 24 के अनुच्छेद 26 के तहत आवश्यक विशिष्ट विवरणों का खुलासा किया है।

xiv. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी परीक्षा के आधार पर कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी स्थानन या पूरी तरह या आंशिक रूप से परिवर्तनीय ऋणपत्र नहीं बनाया है।

xv. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी परीक्षा के आधार पर कंपनी ने गैर-नकद लेनदेन में निदेशक या उनके साथ जुड़े व्यक्तियों के साथ प्रवेश नहीं किया है। तदनुसार, उक्त आदेश के अनुच्छेद 3 का खंड (xv) कंपनी पर लागू नहीं है।

xvi. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।

कृते नायक रथ तथा एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.- 021051N

ह/
(सनदी लेखाकार ओरबिंद रथ)
साझेदार
सदस्यता संख्या-. 062603
यू.डी.आई.एन.-20062603AAAAAT6291

स्थानः भुवनेश्वर
दिनांक-24 मई, 2021

अनुलग्नक- 2 स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

वर्ष 2020-21 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत दिशानिर्देशों एवं अतिरिक्त दिशानिर्देशों के अनुसार रिपोर्ट

क्रम संख्या	विवरण	लेखा परीक्षकों का जवाब
1	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए प्रणाली है? यदि हाँ, तो आईटी प्रणाली के बाहर के खातों की विश्वसनीयता पर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थ को वित्तीय निहितार्थ, के साथ बताया जा सकता है, यदि कोई हो।	आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए कंपनी के पास कोई प्रणाली नहीं है।
2	क्या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने की समर्थता के बावजूद किसी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन या किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए कर्ज/ऋण/ब्याज आदि के छूट/राइट ऑफ का मामला हुआ है? यदि हाँ, तो इसके वित्तीय प्रभाव का उल्लेख करें।क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब लगाया जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है।)	हमें दी गई हमारी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, किसी भी ऋणदाता द्वारा छूट बट्टे खाते में ऋण/ऋण/ब्याज आदि का पुनर्गठन नहीं किया गया है।
3	क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों और इनकी एजेशियों (अनुदान / अनुवृति) से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य धनराशि का नियमों और शर्तों के अनुसार उचित उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची तैयार करें।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए किसी भी प्रकार की धन की प्राप्ति /प्राप्य प्राप्त नहीं हुई है।

कृते नायक रथ तथा एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.- 021051N

ह/
(सनदी लेखाकार ओरबिंद रथ)
साझेदार
सदस्यता संख्या-. 062603
यू.डी.आई.एन.-20062603AAAAAT6291

स्थानः भुवनेश्वर
दिनांक-24 मई, 2021

अनुलग्नक-3 स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के तहत वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रिपोर्ट।

समाप्त वर्ष के दौरान एवं तारीख के अनुसार हमने वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा परीक्षा के संयोजन के साथ 31 मार्च, 2021 तक महानदी बेसिन पॉवर लिमिटेड ('कंपनी') की वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा परीक्षा किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के प्रति प्रबंधन का उत्तरदायित्वः-

भारत के सनदी लेखाकार संस्थान (ICAI) द्वारा जारी वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में आंतरिक नियंत्रक के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय प्रतिवेदन मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और उसे बनाये रखने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा, कार्यान्वयन और रख-रखाव शामिल है, जो अपने व्यापार के व्यवस्थित और कुशल आचरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से परिचालन कर रहे थे। जिसमें संबंधित कंपनी के नीतियों का पालन करना, इसकी संपत्ति की सुरक्षा, रोकथाम और धोखाधड़ी का पता लगाना और त्रुटियां, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता, पूर्णता और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत् आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी शामिल है।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है। हमने, वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा ("मार्गदर्शन नोट") पर मार्गदर्शन टिप्पण एवं आई.सी.ए.आई. द्वारा लेखा परीक्षा मानक जो अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) में आवश्यक रुप से निर्धारित हों एवं जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षा के लिए उपयुक्त हों, के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा की है तथा दोनों ही भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए जाते हैं। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं एवं योजना का पालन करें तथा उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा करें एवं सुनिश्चित करें कि क्या वित्तीय प्रतिवेदनों पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या इस तरह के नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता एवं उनके प्रभावशील संचालन से संबंधित लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना की एक भौतिक कमजोरी मौजूद है एवं डिजाइन का परीक्षण तथा मूल्यांकन और जोखिम आकलन के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के प्रभावशील संचालन शामिल हैं। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के फैसले पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत विवरण के जोखिम का मूल्यांकन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है, जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता तथा आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है जो (1). अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं, और जो उचित रूप से कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन-देन और निपटान को सही और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं; (2). उचित आश्वासन प्रदान करे कि आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए लेनदेन को आवश्यक रूप से दर्ज किया है, और कंपनी की प्राप्ति और व्यय कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार ही किए जा रहे हैं; और (3). कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान के संबंध में समय पर पता लगाए व इसके निवारण हेतु उचित आश्वासन प्रदान करें जो वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव डाल सकते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, नियंत्रण की मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना सहित, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्री के गलत विवरण हो सकते हैं और जिसका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं जो कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की मात्रा में ह्रास हो सकता है।

मत

हमारी राय में, भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ('आई.सी.ए.आई ') द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा पर निर्देशन टिप्पण में वर्णित आवश्यक आंतरिक नियंत्रण घटकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है तथा ऐसे वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2020 तक प्रभावी रूप से चल रहे थे ।

कृते नायक रथ तथा एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.- 021051N
ह/
(सनदी लेखाकार अरविंद रथ)
साझेदार
सदस्यता संख्या-. 062603
यू.डी.आई.एन.-20062603AAAAAT6291

स्थानः भुवनेश्वर
दिनांक-24 मई, 2021

अनुपालन प्रमाण पत्र

हमने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों/उप-निर्देशों के अनुसार 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी बेसिन पॉवर लिमिटेड के लेखा खातों की लेखा परीक्षा की है एवं हम यह प्रमाणित करते हैं कि हमने जारी किए गए सभी निर्देशों/उप-निर्देशों का अनुपालन किया है।

कृते नायक रथ तथा एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.- 021051N
ह/
(सनदी लेखाकार ओरबिंद रथ)
साझेदार
सदस्यता संख्या-. 062603
यू.डी.आई.एन.-20062603AAAAAT6291

स्थानः भुवनेश्वर
दिनांक-24 मई, 2021

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी बेसिन पावर लिमिटेड के वित्तीय लेखा पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत दिए गए वित्तीय प्रतिवेदन की रूपरेखा के अनुसार 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी बेसिन पावर लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक स्वतंत्र लेखा परीक्षा पर आधारित अधिनियम की धारा 143, धारा 143(10) के तहत निर्धारित मानक लेखा परीक्षा के अनुसार वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। उनके द्वारा 24 मई, 2021 को की गई लेखा परीक्षा में ऐसा करने का उल्लेख किया गया है।

मैने, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक परीक्षक के प्रतिनिधि के रूप में कंपनी अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत महानदी बेसिन पावर लिमिटेड के दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण का पूरक लेखा परीक्षण न करने का निर्णय किया है।

कृते एवं भारत के नियंत्रक एवं
महालेखा परीक्षक की ओर से

हस्ता/-
(मौसमी राय भट्टाचार्य)
महानिदेशक लेखा परीक्षा (कोल)
कोलकाता

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 11 जुन 2021

Mahanadi Basin Power Limited

महानदी बेसिन पावर लिमिटेड

(एमसीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी)

वित्तीय विवरणी

मार्च - 2021 को समाप्त

31 मार्च 2021 के अनुसार
तुलनपत्र

(रु.लाख में))

	टिप्पणी संख्या .	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
परिसंपत्तियाँ			
गैर-चालू परिसंपत्तियाँ			
(a) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3	2.28	3.17
(b) पूंजीगत कार्य - प्रगति पर	4	2,020.94	1,911.59
(c) अन्वेषण और मूल्यांकन संपत्ति	5	-	-
(d) अमूर्त परिसंपत्ति	6	-	-
(e) वित्तीय संपत्ति			
(i) निवेश	7	-	-
(ii) ऋण	8	-	-
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	9	75.11	75.11
(f) स्थगित कर संपत्ति (सकल)			
(g) अन्य गैर - चालू परिसंपत्ति	10	-	-
कुल गैर - वर्तमान परिसंपत्ति (क)		2,098.33	1,989.87
चालू संपत्तियाँ			
(a) वस्तु- सूची	12	-	-
(b) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) निवेश	7	-	-
(ii) व्यापार देय	13	-	-
(iii) नकद और नकद समकक्ष	14	2.06	5.40
(iv) अन्य बैंक शेष	15	-	-
(v) ऋण	8	-	-
(vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	9	-	-
(c) चालू कर परिसंपत्तियाँ (सकल)		3.08	3.08
(d) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	11	0.01	0.01
कुल चालू परिसंपत्तियाँ (ख)		5.15	8.49
कुल परिसंपत्तियाँ (क+ख)		**2,103.48**	**1,998.36**

अगले पृष्ठ पर जारी .....

तुलनपत्र

(रु.लाख में))

	टिप्पणी संख्या .	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
इक्विटी और देयता			
इक्विटी			
(a) इक्विटी शेयर पूंजी	16	5.00	5.00
(b) अन्य इक्विटी	17	(601.78)	(598.89)
कुल इक्विटी (क)		(596.78)	(593.89)
देयताएँ			
गैर-चालू देयताएँ			
(a)वित्तीय देनदारियों			
(i) उधारी	18	-	-
(ii) अन्य वित्तीय देयताएँ	20	-	-
(b) प्रावधान	21	-	-
(c) अन्य गैर-वर्तमान देयताएं	22	-	-
कुल गैर चालू देयताएँ (ख)		-	-
चालू देयताएँ			
(a) वित्तीय देयताएँ			
(i) उधार	18	-	-
(ii) व्यापार प्राप्य	19	-	-
सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		-	-
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों की कुल बकाया राशि		-	-
(iii) अन्य वित्तीय देयताएँ	20	2,698.56	2,591.60
(b) अन्य चालू देयताएँ	23	1.70	0.65
(c) प्रावधान	21	-	-
कुल चालू देयतताएँ (ग)		2,700.26	2,592.25
कुल इक्विटी तथा देयताएँ (क+ख+ग)		2,103.48	1,998.36

संलग्न टिप्पणी वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न हिस्सा है।

निदेशक मंडल की ओर से

ह/-
(एस.के. बेहेरा)
उप. प्रबंधक(वित्त)

ह/-
(बी. नायक)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह/-
(एस. के. भूयान)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

ह/-
(ए. के.सिंह)
निदेशक
डीआईएनएन : 08667576

ह/-
(केशव राव)
अध्यक्ष
डीआईएन -08651284

आज तक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
नायक रथ एंड एसोसिएट के लिए
सनदी लेखाकर
फर्म पंजीकरण संख्या: 021051एन

ह/-
(सीए औरबिंद रथ)
सांझेदार
सदस्यता संख्या . 062603

भुवनेश्वर
दिनांक: 24.05.2021

लाभ और हानि का विवरण
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(रु.लाख में)

		टिप्पणी संख्या	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
	प्रचालन से राजस्व			
A	विक्रय ((अन्य लेवी से कुल)		-	-
B	अन्य संचालन राजस्व (अन्य लेवी से कुल)		-	-
(I)	प्रचालन से राजस्व (क+ख)		-	-
(II)	अन्य आय		-	-
(III)	कुल आय (I+II)		-	-
(IV)	व्यय			
	खपत की गई सामग्री की लागत		-	-
	व्यापार के लिए स्टॉक की खरीद		-	-
	तैयार माल के वस्तुसूची में परिवर्तन / कार्य में प्रगति और व्यापार में स्टॉक		-	-
	कर्मचारी लाभ व्यय		-	-
	बिजली और ईंधन		-	-
	कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व व्यय		-	-
	मरम्मत		-	-
	संविदात्मक व्यय		-	-
	वित्तीय लागत		-	-
	मूल्यह्रास / परिशोधन / हानि व्यय		0.41	0.66
	प्रावधान		-	-
	बट्टे खाते में डालना		-	-
	अन्य व्यय	25	2.48	2.69
	कुल व्यय (IV)		2.89	3.35
(V)	असाधारण मदों और कर पूर्व लाभ (III-IV)		(2.89)	(3.35)
(VI)	असाधारण मदें			
(VII)	कर पूर्व लाभ (V-VI)		(2.89)	(3.35)
(VIII)	कर व्यय			
(IX)	सतत प्रचालन से अवधि के लिए लाभ (VII-VIII)		(2.89)	(3.35)

अगले पृष्ठ पर जारी .....

लाभ और हानि का विवरण
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(रु.लाख में)

		टिप्पणी संख्या	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
(X)	अवरुद्ध प्रचालन से लाभ / (हानि)		-	-
(XI)	अवरुद्ध प्रचालन के कर व्यय		-	-
(XII)	अवरुद्ध प्रचालन से लाभ (हानि) (कर पश्चात) (X-XI)		-	-
(XIII)	संयुक्त उद्यम/सहायिकाओं के लाभ (हानि) में शेयर		-	-
(XIV)	अवधि के लिए लाभ (IX+XII+XIII)		(2.89)	(3.35)
	अन्य व्यापक आय			
	क (i) मदे जो लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया			
	(ii)आयकर से संबंधित मदे जो लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-	-
	ख (i) मदे जो लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया		-	-
	(ii) आयकर से संबंधित मदे जो लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
(XV)	कुल अन्य व्यापक आय		-	-
(XVI)	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (XIV + XV) (लाभ (हानि को मिलाकर) और अवधि के लिए अन्य व्यापक आय)		(2.89)	(3.35)
	फलस्वरूप लाभ :			
	कंपनी के मालिक		(2.89)	(3.35)
	गैर नियंत्रित ब्याज		-	-
	कुल व्यापक आय के कारण :			
	कंपनी के स्वामी		(2.89)	(3.35)
	गैर नियंत्रित ब्याज		-	-
(XVII)	प्रति ईक्वीटी शेयर अर्जन (निरंतर संचालन के लिए)			
	मूलभूत (`)		(5.78)	(6.70)
	तरलीकृत (`)		(5.78)	(6.70)
(XVIII)	प्रति ईक्वीटी शेयर अर्जन (अवरुद्ध संचालन के लिए)			
	मूलभूत (रु)		-	-
	तरलीकृत (रु)		-	-
(XIX)	प्रति ईक्वीटी शेयर अर्जन (अवरुद्ध एवं निरंतर संचालन के लिए)			
	मूलभूत (रु)		(5.78)	(6.70)
	तरलीकृत (रु)		(5.78)	(6.70)

संलग्न टिप्पणी वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न हिस्सा है।

निदेशक मंडल की ओर से

ह/- (एस.के. बेहेरा) उप. प्रबंधक(वित्त)

ह/- (बी. नायक) मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह/- (एस. के. भूयान) मुख्य कार्यकारी अधिकारी

ह/- (ए. के.सिंह) निदेशक
डीआईएनएन : 08667576

ह/-
(केशव राव)
अध्यक्ष
डीआईएन -08651284

अब तक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
नायक रथ एंड एसोसिएट के लिए
सनदी लेखाकर
फर्म पंजीकरण संख्या: 021051एन

ह/-
(सीए औरबिंद रथ)
सांझेदार
सदस्यता संख्या . 062603

भुवनेश्वर
दिनांक: 24.05.2021

वर्ष 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष की नकद प्रवाह स्थिति (अप्रत्यक्ष विधि)

(रु.लाख में))

		31.03.2021 को समाप्त	31.03.2020 को समाप्त
प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह			
कर पूर्व कुल व्यापक आय		(2.89)	(3.35)
के लिए समायोजन :			
अचल संपत्तियाँ की मूल्यह्रास / हानि		0.41	0.66
बैंक जमा से ब्याज		-	-
वित्तीय गतिविधि से संबंधित वित्त लागत		-	-
छूट की अनवाईडिंग		-	-
अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ / हानि		-	-
विनिमय दर में उतार-चढ़ाव		-	-
निवेश से ब्याज / लाभांश		-	-
अवधि के दौरान किए गए प्रावधान और बट्टे खाते में डालना		-	-
चालू / गैर चालू परिसंपत्तियों और देयताओं के पूर्व लाभ परिचालन		(2.48)	(2.69)
के लिए समायोजन :			
वस्तु-सूची		-	-
व्यापार प्राप्य		-	-
गैर चालू ऋण, अग्रिम, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां, अन्य परिसंपत्तियां		-	-
चालू ऋण, अग्रिम, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ, अन्य परिसंपत्तियाँ		-	1.13
चालू / गैर चालू प्रावधान, अन्य वित्तीय देयताएं और अन्य देयताएं		108.01	143.59
प्रचालन से उत्पन्न नकद		108.01	144.72
भुगतान किए गए आयकर/प्रतिदाय		-	-
प्रचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	(A)	105.53	142.03
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
अचल संपत्तियों की खरीद/सीडब्ल्यूआईपी		(108.87)	(138.49)
अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ / हानि		-	-
निवेश में बदलाव		-	-
निवेश गतिविधियों से संबंधित ब्याज		-	-
निवेश से ब्याज / लाभांश		-	-
निवेश गतिविधियों से सकल नकद	(B)	(108.87)	(138.49)

अगले पृष्ठ पर जारी .....

वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह			
उधार में बदलाव		-	-
सीआईएल ऋण का पुनर्भुगतान		-	-
वरीयता शेयर पूंजी का मोचन		-	-
वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ब्याज और वित्त लागत		-	-
इक्विटी शेयरों पर लाभांश		-	-
इक्विटी शेयरों पर लाभांश पर कर		-	-
इक्विटी शेयर पूंजी पुनर्खरीद		-	-
इक्विटी शेयर पूंजी के पुनर्खरीद पर कर		-	-
वित्तीय गतिविधियां में प्रयुक्त निवल नकद	(C)	-	-
नकद और बैंक शेष में सकल वृद्धि / (कमी) (ए + बी + सी)		(3.34)	3.54
वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समकक्ष		5.40	1.86
वर्ष के अंत में नकद और नकद समकक्ष		2.06	5.40

(कोष्ठ के सभी आंकड़े बहिर्वाह का प्रतिनिधित्व करते हैं।)

पूर्वोक्त कथन अप्रत्यक्ष विधि पर तैयार किया गया है।
वर्तमान अवधि के वर्गीकरण की पुष्टि करने के लिए गत वर्ष के आंकड़ों को पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

निदेशक मंडल की ओर से

ह/-
(एस.के. बेहेरा)
उप. प्रबंधक(वित्त)

ह/-
(बी. नायक)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह/-
(एस. के. भूयान)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

ह/-
(ए. के.सिंह)
निदेशक
डीआईएनएन : 08667576

ह/-
(केशव राव)
अध्यक्ष
डीआईएन -08651284

अब तक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
नायक रथ एंड एसोसिएट के लिए
सनदी लेखाकर
फर्म पंजीकरण संख्या: 021051एन

ह/-
(सीए औरबिंद रथ)
सांझेदार
सदस्यता संख्या . 062603

भुवनेश्वर
दिनांक: 24.05.2021

31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क.इक्विटी शेयर पूंजी

(रु.लाख में)

विवरण	01.04.2019 तक शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31.03.2019 तक शेष	01.04.2020 तक शेष	अवधि के दौरान इक्विटी शेयर कैपिटल में परिवर्तन	31.03.2021 तक शेष
प्रत्येक रु. 10/- के 50000 इक्विटी शेयर	5.00	-	5.00	5.00	-	5.00

ख. अन्य इक्विटी

	अन्य रिजर्व		सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित आय (अधिशेष)	अन्य व्यापक आय	कुल
	पूंजी प्रतिदान रिजर्व	पूंजीगत रिजर्व				
01.04.2019 तक शेष	-	-	-	(595.54)	-	(595.54)
अन्य समायोजन	-	-	-	-	-	-
लेखांकन नीति में बदलाव	-	-	-	-	-	-
पूर्व अवधि की त्रुटियां	-	-	-	-	-	-
01.04.2019 को पुनः शेष	-	-	-	(595.54)	-	(595.54)
वर्ष के दौरान जुड़ाव	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	-	(3.35)	-	(3.35)
अवधि के लिए लाभ	-	-	-	-	-	-
परिभाषित लाभ योजनाओं की पुनः आकलन (कुल कर)	-	-	-	-	-	-
विनियोग				-		-
प्रतिधारित आय में अंतरण (मुख्यालय)	-	-	-	-	-	-
अन्य रिजर्व से / के लिए अंतरण	-	-	-	-	-	-
अन्तरिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
कॉर्पोरेट लाभांश कर	-	-	-		-	-
31.03.2020 तक शेष	-	-	-	(598.89)	-	(598.89)
अवधि के दौरान जुड़ाव	-	-	-	-	-	-
अवधि के दौरान समायोजन	-	-	-	-	-	-
अवधि के लिए लाभ	-	-	-	(2.89)	-	(2.89)
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनः आकलन (कुल कर)	-	-	-	-	-	-
विनियोग	-	-	-	-	-	-
प्रतिधारित आय (मुख्यालय) में अंतरण	-	-	-	-	-	-
अन्य रिजर्व से / के लिए अंतरण	-	-	-	-	-	-
अंतरिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
कॉर्पोरेट लाभांश कर	-	-	-	-	-	-
31.03.2021 तक शेष	-	-	-	(601.78)	-	(601.78)

संलग्न टिप्पणी वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न हिस्सा है।

निदेशक मंडल की ओर से

ह/-
(एस.के. बेहेरा)
उप. प्रबंधक(वित्त)

ह/-
(बी. नायक)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह/-
(एस. के. भूयान)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

ह/-
(ए. के.सिंह)
निदेशक
डीआईएनएन : 08667576

ह/-
(केशव राव)
अध्यक्ष
डीआईएन -08651284

अब तक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
नायक रथ एंड एसोसिएट के लिए
सनदी लेखाकर
फर्म पंजीकरण संख्या: 021051एन

ह/-
(सीए औरबिंद रथ)
सांझेदार
सदस्यता संख्या . 062603

भुवनेश्वर
दिनांक: 24.05.2021

टिप्पणी- 1: कॉर्पोरेट जानकारी

महानदी बेसिन पावर लिमिटेड, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को वर्ष 2011 में ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में बसुंधरा-गराजनबहल कोयला खदानों के आसपास 2x800 मेगावाट की कोयला आधारित सुपर-क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना स्थापित करने के लिए निगमित किया गया था।

टिप्पणी -2: महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

2.1 तैयारी के आधार

कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार, कंपनी का वित्तीय विवरण तैयार किया गया है।

कंपनी ने 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के साथ ही सभी वर्षों तक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित लेखा मानक(ए.एस). जिसे कंपनी लेखा नियम 2014 के पैरा 7 के साथ पढ़ा जाए तथा कंपनी (लेखांकन मानक), नियमावली 2006 (भारतीय जीएएपी) के अनुसार अपने वित्तीय विवरणों को तैयार किया है।

मापन को ऐतिहासिक लागत के आधार पर वित्तीय विवरणों के अनुसार तैयार किया गया है, सिवाय इसके कि उचित वित्तीय संपत्ति और देयताओं को उचित मूल्य पर मापा जाता है (अनुच्छेद 2.13.1 में वित्तीय साधनों पर लेखांकन नीति देखें)

2.1.1 पूर्ण अंकों में राशि

इन वित्तीय विवरणों में राशि जब तक कि अन्यथा अपेक्षित न हो तब-तक 'रुपए लाख में' दो दशमलव अंको तक राउंड किए जाएंगे।

2.2.1 सहायिकाएँ -

सहायिकाएँ वे संस्थाएं हैं जिन पर समूहों का महत्वपूर्ण प्रभाव है लेकिन कोई नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण नहीं है। यह आमतौर पर ऐसा मामला है जहां समूह 20% से 50% के बीच मतदान अधिकार रखती है।

सहयोगी कंपनियों के निवेश को लेखांकन इक्विटी पद्धति का उपयोग करने के लिए किया जाता है, प्रारंभ में लागत पर पहचाने जाने के बाद भारतीय लेखांकन मानक 105 के अनुसार निवेश या इसके एक हिस्से को बिक्री के लिए आयोजित किया जाता है ।

सत्ता के उद्देश्यपूर्ण साक्ष्य के आधार पर सहयोगियां अपने सकल निवेश को कम करती है।

2.2.2 संयुक्त व्यवस्था

संयुक्त व्यवस्था वह व्यवस्था है जहां समूह एक या एक से अधिक अन्य पार्टियों के साथ संयुक्त नियंत्रण करती है।

संयुक्त नियंत्रण व्यवस्था के नियंत्रण के अनुबंध पर सहमत साझाकरण है जो केवल तभी मौजूद होता है जब संबंधित गतिविधियों के बारे में निर्णय के लिए नियंत्रण साझा करनेवाले दलों की एकमत सहमति की आवश्यकता है

संयुक्त व्यवस्था को संयुक्त संचालन या संयुक्त उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकरण संयुक्त व्यवस्था के वैधानिक ढांचे के बजाए प्रत्येक निवेशक के संविदा के अधिकारों और दायित्व पर निर्भर करता है।

2.2.3 संयुक्त संचालन

संयुक्त संचालन वह संयुक्त व्यवस्था है जिसके तहत समूह को संपति से संबंधित देयताओं के लिए आस्तियों और दायित्वों के अधिकार मिले हैं।

समूह आस्तियों ,देयताओं, राजस्व और संयुक्त संचालन के खर्चो और उसके किसी भी संयुक्त रुप में आयोजित किए गए आस्तियों, देयताओं ,राजस्व और व्ययों पर अपना प्रत्यक्ष अधिकार रखती है जिन्हें उचित शीर्षकों के तहत वित्तीय विवरण में शामिल किया गया हैं।

2.2.4 संयुक्त उद्यम

संयुक्त उद्यम वे संयुक्त व्यवस्थाएं हैं जिसमें समूह को सकल संपति व्यवस्था के अधिकार प्राप्त हैं।

समेकित तुलन-पत्र में समेकित लागत को उचित मूल्य पर स्वीकृति के उपरांत संयुक्त उद्यम से ब्याज इक्विटी पद्धति के उपयोग करने हेतु जवाबदेह है।

प्रारम्भ में लागत पर स्वीकृति प्राप्त होने के बाद संयुक्त उद्यम में निवेश लेखांकन पद्धति के उपयोग हेतु ध्यान में लिया जाता हैं बजाए निवेश या उसके किसी हिस्से की बिक्री भारतीय लेखांकन मानक 105 के अनुसार किया जाता है।

सत्ता के उद्देश्य के साक्ष्य के आधार पर संयुक्त उद्यम अपने सकल निवेश को कम करती है।

2.2.5 इक्विटी पद्धति

लेखांकन की इक्विटी पद्धति के तहत, निवेश को शुरुआती तौर पर लागत पर चिन्हित किया गया है, इसके बाद समूह के शेयरों के अधिग्रहण के लाभ व हानि में निवेशक के नुकसान को चिन्हित करने के लिए तथा रामूह शेयरों के अन्य व्यापक आय में निवेशक के अन्य व्यापक आय को चिन्हित करने

के लिए उसका समायोजन किया जाता है। सहयोगियो और संयुक्त उद्यम से प्राप्त या प्राप्त होने वाली लाभांश को निवेश की मात्रा में कमी के रूप में लिया जाता है।

जब समूह के इक्विटी शेयर के निवेश में नुकसान जो इकाई के हितों के बराबर या उससे अधिक हो जाता है , जिसमें किसी अन्य असुरक्षित दीर्घकालिक प्राप्य भी शामिल है, तो समूह अधिक नुकसान नहीं पहचानना है जब तक की अन्य इकाई की तरफ से कार्य या भुगतान न किया गया हो।

इन इकाईयों में समूह के हितों के लिए समूह एवं उनके सहायकों तथा सन्युक्त उद्यम के बीच हुए लेनदेन पर अवास्तविक लाभांश निकाले गए हैं। जब तक लेनदेन से हस्तांतरित संपत्ति से हुई हानि के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते तब तक अवास्तविक हानियों को भी निकाल दिया जाएगा। समूह द्वारा अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए जहां आवश्यक हो वहां निवेशक को ध्यान में रखते हुए इक्विटी की लेखांकन नीतियों में बदलाव किया जाता हैं।

2.2.6 स्वामित्व के हितों में बदलाव

समूह गैर-नियंत्रित ब्याज के साथ लेनदेन का व्यवहार करता है जिसके परिणामस्वरूप समूह के इक्विटी स्वामी के साथ लेनदेन के रूप में नियंत्रण का नुकसान नहीं होता है। स्वामित्व के हितों में बदलाव वर्तमान राशियों के नियंत्रण एवं गैर-नियंत्रण हितों को उनके संबंधित सहायक कंपनियों में दर्शाने हेतु समायोजित करती है। गैर-नियंत्रित हितों की राशि में एवं किसी भुगतान या प्राप्त किए गए उचित मूल्य में किसी भी प्रकार के अंतर को इक्विटी के अंतर्गत स्वीकार किया जाएगा।

जब समूह नियंत्रण, संयुक्त नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव के नुकसान के कारण एक निवेश हेतु समेकित या इक्विटी खाते को समाप्त करती है तब इक्विटी में बनाए गए हित लाभ व हानि में स्वीकार किए गए वर्तमान राशि में बदलाव सहित उसके उचित मूल्य पुनः मापे जाते हैं। यह उचित मूल्य सहयोगी समूह, संयुक्त उद्यम व वित्तीय संपत्ति के बनाए गए हित के रूप में लेखांकन प्रयोजन हेतु वर्तमान राशि होंगे। इसके अलावा उस इकाई के संबंध में अन्य व्यापक आय में पहले से स्वीकृत राशि का विवरण दिया जाता है जैसे कि समूह में संबंधित संपत्ति या देयताओं का सीधे निपटारा किया गया है। इसका मतलब यह हो सकता है कि अन्य व्यापक व्यय में पहले से स्वीकृत राशियों का लाभ व हानि के रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया है।

यदि संयुक्त उद्यम व सहयोगी समूह में स्वामित्व हित कम है परंतु संयुक्त नियंत्रण व महत्वपूर्ण प्रभाव बने हुए हैं तो केवल अन्य व्यापक व्यय में पहले से स्वीकृत राशि का समानुपात शेयर हानि व लाभ में जहां आवश्यक हो ,वर्गीकृत किया जाएगा।

2.3 वर्तमान एवं गैर-वर्तमान वर्गीकरण

कंपनी के वर्तमान/गैर-वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर तुलनपत्र में संपत्ति एवं देयताओं को प्रस्तुत किया जाता है। कंपनी द्वारा एक आस्ति को वर्तमान लागत के रूप में तब माना जाता है, जब:

क. अपने सामान्य संचालन चक्र में यह अपेक्षित है कि संपत्ति स्वीकार की जाये व बेची या उपभोग की जाए।

ख. यह सबसे पहले व्यापार करने हेतु आस्तियों को रखती है।

ग. रिपोर्टिंग अवधि के 12 माह के भीतर आस्तियों की पहचान की जाए।

घ. आस्ति नगद या नगद समकक्ष (जैसा कि भारतीय लेखांकन मानक 7 में परिभाषित है) के समान है जब तक कि संपत्ति का आदान-प्रदान प्रतिबंधित नहीं किया जाता है या रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात कम से कम 12 माह के लिए देयताओं को व्यवस्थित करने के लिए उपयोग किया जाता है। अन्य सभी आस्तियों को गैर वर्तमान रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

समूह द्वारा देयताओं को वर्तमान में स्वीकार किया जाएगा, जब:

क. अपने सामान्य संचालन चक्र में अपेक्षित देयताएं स्थापित की गई हो।

ख. सबसे पहले देयताओं को व्यवसाय हेतु बनाए रखना अपेक्षित होगा।

ग. रिपोर्टिंग अवधि के 12 माह के भीतर देयताओं का निपटारा किया जाएगा।

घ. रिपोर्टिंग अवधि (पैराग्राफ-73 देखें) के पश्चात कम से कम 12 माह के लिए देयताओं के निपटान को स्थगित करने के लिए सशर्त अधिकार नहीं होंगे। देयता की शर्तें जो कि काउंटर पार्टी के विकल्प पर हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरुप इक्विटी के जारी करने के मुद्दों के निपटारे का परिणाम इसके वर्गीकरण को प्रभावित नहीं करता है।

अन्य सभी देयताएं गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत है।

2.4 राजस्व स्वीकृति

भारतीय लेखांकन मानक 115 ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व भारतीय लेखांकन मानक 11 के निर्माण संविदा और भारतीय लेखांकन मानक 18 के राजस्व स्वीकृति का उल्लंघन करता है और यह अपने ग्राहकों के साथ संविदा से उत्पन्न सभी राजस्व पर लागू होता है। भारतीय लेखांकन मानक 115 ग्राहकों के साथ संविदा से उत्पन्न होने वाले राजस्व के लिए एक पांच-चरण वाले मॉडल को स्थापित करता है और इसके लिए आवश्यक है कि राजस्व को उस राशि पर स्वीकृति दी जाए जो उस विचार को दर्शाती है जिसके लिए कंपनी के ग्राहक को माल या सेवाओं के हस्तांतरण के बदले में हकदार होने की उम्मीद है। अंगीकरण के पूर्वव्यापी विधि का प्रयोग करते हुए बेशीन पावर लिमिटेड (एमबीपीएल , या "कंपनी") ने भारतीय लेखांकन मानक 115 को अपनाया है।

भारतीय लेखांकन मानक 115 को अपने ग्राहकों के साथ संविदा के लिए मॉडल के प्रत्येक चरण को लागू करते समय सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए संस्थाओं की आवश्यकता होती है। मानक संविदा प्राप्त करने की वृद्धिशील लागतों और एक संविदा को पूरा करने से संबंधित लागतों के लिए लेखांकन को भी निर्दिष्ट करता है।

ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व

ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व को तब स्वीकार किया जाता है जब वस्तुओं या सेवाओं का नियंत्रण ग्राहक को उस राशि पर हस्तांतरित किया जाता है जो उस महत्व को दर्शाता है जिसके लिए कंपनी उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले हकदार होने की अपेक्षा करती है। कंपनी ने आम तौर पर यह निष्कर्ष निकाला है कि यह अपनी राजस्व व्यवस्था स्वामी है क्योंकि यह ग्राहकों को स्थानांतरित करने से पहले वस्तुओं या सेवाओं को नियंत्रित करता है।

भारतीय लेखांकन मानक 115 में सिद्धांतों को निम्नलिखित पाँच चरणों का उपयोग करके लागू किया जाता है :

चरण- 1 संविदा की पहचान :

कंपनी ग्राहक के साथ संविदा के लिए तभी ज़िम्मेदारी लेती है जब ग्राहक द्वारा निम्नलिखित सभी मानदंडों को पूरा किया जाता है:

क) संविदा के पक्षकारों ने संविदा को मंजूरी दे दी है और वे अपने संबंधित दायित्वों को निभाने के लिए प्रतिबद्ध हैं;

ख) कंपनी हस्तांतरित किए जाने वाले वस्तु या सेवाओं के बारे में प्रत्येक पार्टी के अधिकारों की पहचान कर सकती है;

ग) कंपनी को हस्तांतरित किए जाने वाले वस्तु या सेवाओं के लिए भुगतान के शर्तों की पहचान कर सकती है;

घ) संविदा में वाणिज्यिक विषय (कंपनी के भविष्य के नकदी प्रवाह के जोखिम, समय या राशि संविदा के परिणामस्वरूप बदलने की उम्मीद है) है और

ङ) संभव है कि कंपनी उस पर विचार करेगी जिसके लिए वह ग्राहक को हस्तांतरित की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं हेतु विनिमय के लिए हकदार होगी। तय की गई राशि जिस पर कंपनी हकदार होगी, वह संविदा में निर्दिष्ट कीमत से कम हो सकती है, यदि तय की गई राशि परिवर्तनशील है तो कंपनी ग्राहक को मूल्य रियायत, बट्टा, छूट, धन वापसी, क्रेडिट की पेशकश कर सकती है या कंपनी द्वारा प्रोत्साहन, प्रदर्शन बोनस, या इसी तरह पारितोषिक प्रदान किए जा सकते हैं।

संविदा का संयोजन

यदि निम्न में से एक या अधिक मानदंडों को पूरा किया जाता है, कंपनी एक ही ग्राहक द्वारा (या ग्राहक के संबंधित पक्षों) एक ही समय में दो या दो से अधिक संविदाओं को समेकित करती है और संविदा एक एकल संविदा के रूप में मान्य होगा ।

क) एकल वाणिज्यिक उद्देश्य के साथ एकमुश्त संविदा तय की जा सकती है;

ख) एक संविदा में भुगतान किए जाने वाले तय राशि दूसरे संविदा के निष्पादन या कीमत पर निर्भर करती है; या

ग) संविदा में तय किए गए माल या सेवायें (या प्रत्येक संविदा में तय किए गए कुछ वस्तु या सेवाएं) एकल कार्य-निष्पादन दायित्व हैं।

संविदा संशोधन

यदि निम्न दोनों स्थितियां मौजूद हैं, तो कंपनी एक अलग संविदा के रूप में संविदा संशोधन के लिए उत्तरदायी है :

तय किए गए माल या सेवाओं से अलग होने के कारण संविदा की गुंजाइश बढ़ जाती है।

संविदा की कीमत तय की गई कीमत से बढ़ सकती है, यह कंपनी के स्टैंडअलोन को अतिरिक्त संविदा परिस्थितियों को दर्शाने के लिए अतिरिक्त कीमत वाले वस्तु या सेवाओं की कीमतों और उस मूल्य के लिए किसी भी उचित निर्णय को दर्शाता है।

चरण - 2 : निष्पादन दायित्वों की पहचान

संविदा करते समय, कंपनी ग्राहक के साथ संविदा में तय किए गए माल या सेवाओं का आकलन करती है और कार्य निष्पादन दायित्व रूप में उसकी पहचान करने हेतु प्रत्येक ग्राहक से वादा करती है :

क) माल या सेवाएं (वस्तुओं या सेवाओं का एक समूह) जो अलग है ; या

ख) अलग-अलग माल या सेवाओं की एक श्रृंखला जो काफी हद तक एक समान होती है और ग्राहक के लिए उनके स्थानांतरण तरीका भी समान होता है।

चरण 3 : लेन-देन मूल्य का निर्धारण

कंपनी, लेन-देन की कीमत निर्धारण करने के लिए अनुबंध की शर्तों और इसके प्रचलित व्यवसायीक कार्यों को ध्यान में रखती है। लेन-देन का मूल्य तय की गई वह राशि है, जिसके बारे में कंपनी उम्मीद करती है कि वह तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशियों को छोड़कर, किसी ग्राहक को प्रतिबद्ध माल या सेवाओं को हस्तांतरित करने हेतु विनिमय के लिए हकदार होगी। एक ग्राहक के साथ एक संविदा में तय किए गए प्रतिबद्धता में नियत राशि, परिवर्तनीय राशि या दोनों शामिल हो सकते हैं।

लेन-देन मूल्य निर्धारित करते समय, कंपनी निम्नलिखित में से सभी के प्रभावों का ध्यान रखती है:

- परिवर्तनीय स्वीकार्यता;
- परिवर्तनीय निर्णय के आकलन;
- महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक का अस्तित्व;
- गैर-नकद निर्णय;
- ग्राहक को देय निर्णय

बट्टा , छूट, प्रतिदाय, क्रेडिट, मूल्य रियायतें, प्रोत्साहन, प्रदर्शन बोनस, या अन्य समान पारितोषकों के कारण तय की गई राशि भिन्न हो सकती है। यदि कंपनी भविष्य में होने वाली घटना के होने या न होने पर विचार करती है तो प्रतिबद्ध निर्णय भी भिन्न हो सकता है ।

कुछ संविदाओं में, दंड निर्दिष्ट हैं। ऐसे मामलों में, संविदा के सारांश के अनुसार दंड की गणना की जाती है। जहां लेन-देन के मूल्य के निर्धारण में जुर्माना निहित है, यह परिवर्तनीय निर्णय का हिस्सा है।

कंपनी लेन-देन मूल्य में केवल कुछ हद तक अनुमानित परिवर्तनीय निर्णय की राशि को शामिल करती है जिससे अत्यधिक संभावना है कि मान्य संचयी राजस्व की राशि में में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन तब नहीं होगा जब परिवर्तनीय निर्णय से जुड़ी अनिश्चितता कों बाद में दूर किया जाए।

कंपनी एक महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक के प्रभावों के लिए तय की गई प्रतिबद्ध राशि को समायोजित नहीं करती है यदि वह संविदा के आरंभ में अपेक्षा करता है, कि उस अवधि के दौरान जब वह ग्राहक को प्रतिबद्ध माल या सेवाओं हस्तांतरित करता है और जब ग्राहक उस वस्तु या सेवा के लिए भुगतान करता है, तो वह अवधि एक वर्ष या उससे कम की हो ।

कंपनी प्रतिदाय दायित्व को स्वीकार करती है यदि कंपनी ग्राहक से भुगतान प्राप्त करती है और कंपनी ग्राहक को उस भुगतान के कुछ या पूर्ण प्रतिदाय की उम्मीद करती है। प्रतिदाय दायित्व को प्राप्त भुगतान (या प्राप्य) की उस राशि के आधार पर तय किया जाता है, जिसके लिए कंपनी हकदार नहीं समझती है (यानी लेनदेन मूल्य में शामिल नहीं की गई राशि) प्रतिदाय दायित्व (और लेन-देन मूल्य में संगत परिवर्तन और , इसलिए, संविदा दायित्व) की परिस्थितियों में बदलाव के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अद्यतन किया जाता है।

संविदा के प्रारंभ होने के बाद, लेनदेन की कीमत विभिन्न कारणों से बदल सकती है, जिसमें अनिश्चित घटनाओं का समाधान या परिस्थितियों में अन्य परिवर्तन शामिल हैं जो उस भुगतान की राशि को बदल सकती है, जिसके लिए कंपनी प्रतिबद्ध वस्तुओं या सेवाओं के विनिमय में हकदार होने की उम्मीद करती है।

चरण 4 : लेन-देन मूल्य का आवंटन

लेन-देन का मूल्य आवंटित करते समय कंपनी का उद्देश्य प्रत्येक प्रदर्शन दायित्व (या अलग-अलग माल या सेवा) के लिए एक राशि में लेनदेन मूल्य आवंटित करना है जिसमें उस विचार को दर्शाया गया है जिससे कंपनी को उम्मीद है कि वह ग्राहक को दिए गए माल या सेवाओं को हस्तांतरित करने के बदले में हकदार होगी।

संबंधित स्टैंड-अलोन विक्रय मूल्य आधार पर प्रत्येक निष्पादन दायित्व के लिए लेन-देन मूल्य आवंटित करने के लिए कंपनी संविदा में प्रत्येक निष्पादन बाध्यता के आधार पर अलग माल या सेवाओं के संविदा के प्रारंभ पर स्टैंड-अलोन विक्रय मूल्य निर्धारित करती है और उन स्टैंड-अलोन विक्रय मूल्यों के अनुपात में लेन-देन मूल्य आवंटित करती है।

चरण 5: राजस्व को स्वीकृति देना :

कंपनी राजस्व को तब स्वीकृति देती है जब (या जैसे) कंपनी ग्राहक को प्रतिबद्ध माल या सेवाओं को अंनांतरित करके निष्पादन बाध्यता को पूरा करती है। वस्तु या सेवा तब हस्तांतरित की जाती है जब (या जैसे) ग्राहक उस वस्तु या सेवा का नियंत्रण प्राप्त कर लेता है।

यदि निम्न मानदंडों में से एक को पूरा किया जाता है तो कंपनी समय पर माल या सेवा का नियंत्रण हस्तांतरित करती है, और इसलिए, कंपनी समय पर निष्पादन बाध्यता को पूरा करती है और राजस्व को स्वीकृति देती है:

क) ग्राहक कंपनी के साथ-साथ कंपनी के कार्य -निष्पादन द्वारा प्राप्त लाभों को प्राप्त करता है और उनका उपभोग करता है, जैसा कि कंपनी कार्य-निष्पादन करती है;
ख) कंपनी का कार्य-निष्पादन संपति को बनाता या बढ़ाता है और जितनी संपति सृजित या बढ़ाई जाती है, उतना ही ग्राहक उसे संपति के रूप में नियंत्रित करता है।
ग) कंपनी का कार्य-निष्पादन, कंपनी के वैकल्पिक उपयोग से साथ एक आस्तियां नहीं बनाता है और कंपनी के पास आज तक के कार्य-निष्पादन के भुगतान के लिए एक लागू करने योग्य अधिकार है।

प्रत्येक निष्पादन बाध्यता को समय पर पूरा करने के लिए, कंपनी उस निष्पादन बाध्यता की पूर्ण प्राप्ति की प्रगति को ध्यान में रख कर समय पर राजस्व को स्वीकृति देती है।

कंपनी समय पर पूर्ण प्रत्येक निष्पादन बाध्यता की प्रगति को आंकने के लिए एक पद्धति को लागू करती है और कंपनी उस पद्धति को समान निष्पादन बाध्यताओं और समान परिस्थितियों में हमेशा लागू करती है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, कंपनी समय पर पूर्ण निष्पादन बाध्यता की पूर्ण समाधान की दिशा में अपनी प्रगति का पुनः आंकलन करती है।

कंपनी संविदा के अंतर्गत तय किए गए शेष माल या सेवाओं के सापेक्ष ग्राहक को स्थानांतरित की गई वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य के प्रत्यक्ष आंकलन के आधार पर राजस्व स्वीकृति के लिए उत्पाद पद्धति को लागू करती है। उत्पाद पद्धति में आज तक पूर्ण किए गए निष्पादन सर्वेक्षण, प्राप्त परिणामों के मूल्यांकन, प्राप्त उपलब्धि , व्यतीत समय और उत्पादित इकाइयाँ या सुपुर्द इकाइयाँ जैसे पद्धतियां शामिल हैं।

जैसे-जैसे समय के साथ परिस्थितियाँ बदलती हैं, कंपनी निष्पादन बाध्यता के परिणाम में किसी भी बदलाव को दर्शाने की प्रगति के अपने उपाय को अद्यतन करती है। कंपनी की प्रगति के आंकलन में इस तरह के बदलावों को भारतीय लेखांकन मानक 8, लेखांकन नीतियों, लेखांकन अनुमानों और त्रुटियों में परिवर्तन के अनुसार लेखांकन अनुमान में परिवर्तन के रूप में जाना जाता है।

कंपनी सिर्फ समय पर पूर्ण निष्पादन बाध्यता के लिए राजस्व को स्वीकृति देती है, यदि जब कंपनी निष्पादन बाध्यता की पूर्ण समाधान के लिए अपनी प्रगति का आंकलन यथोचित रूप से करती है। जब (या जैसे) निष्पादन बाध्यता पूरी हो जाती है, तो कंपनी लेन-देन मूल्य की राशि को राजस्व के रूप में स्वीकृति देती है जो कि परिवर्तनीय भुगतान के अनुमानों को शामिल नहीं करता है जो उस निष्पादन बाध्यता के लिए आवंटित होता है।

यदि निष्पादन बाध्यता समय पर पूरी नहीं होती, तो कंपनी एक समय में निष्पादन बाध्यता को पूरा करती है। उस समय को निर्धारित करने के लिए, जिस पर ग्राहक प्रतिबद्ध माल या सेवाओं पर नियंत्रण प्राप्त करता है और कंपनी निष्पादन बाध्यता को पूरा करती है, कंपनी नियंत्रण हस्तांतरण के संकेतकों को तय करती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन यहाँ तक सीमित नहीं हैं:

क) कंपनी के पास वस्तु या सेवा के भुगतान का अधिकार होता है;
ख) ग्राहक के पास वस्तु या सेवा का कानूनी हक होता है;
ग) कंपनी ने वस्तु या सेवा के भौतिक अधिकार को स्थानांतरित कर दिया है;
घ) ग्राहक के पास महत्वपूर्ण जोखिम और वस्तु या सेवा का स्वामित्व होता हैं;
ड.) ग्राहक ने माल या सेवा को स्वीकार कर लिया है।

जब संविदा के लिए किसी पार्टी ने निष्पादन किया है, तो कंपनी के निष्पादन और ग्राहक के भुगतान के बीच के संबंध के आधार पर संविदा को संविदा संपत्ति या संविदा देयता के रूप में तुलन पत्र में प्रस्तुत करती है। कंपनी अलग-अलग प्राप्य के रूप में भुगतान करने के लिए बिना शर्त अधिकार प्रस्तुत करती है।

संविदा आस्तियां:

एक संविदा संपति ग्राहक को हस्तांतरित माल या सेवाओं के विनिमय में निर्णय का अधिकार है। यदि कंपनी ग्राहक पर विचार करने से पहले या भुगतान देय होने से पहले किसी माल या सेवाओं को किसी

ग्राहक को अंतरित करती है, तो अर्जित निर्णय के लिए संविदा संपत्ति को स्वीकृति प्राप्त होता है जो सशर्त है।

व्यापार प्राप्य :

प्राप्य विचार की राशि के लिए कंपनी के अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है, जो शर्तरहित है। (केवल भुगतान से पहले समय की आवश्यकता है)

संविदा प्राप्य:

संविदा देयता ग्राहक को माल या सेवाओं को स्थानांतरित करने का दायित्व रखती है जिससे कंपनी को ग्राहक के विचार प्राप्त होते (या विचार की राशि देय है) हैं। यदि ग्राहक के विचार करने से पूर्व कंपनी ग्राहक को माल या सेवाओं को हस्तांतरित करती है, तो जब भुगतान किया जाता है या देय (जो भी पहले हो) होता है तब संविदा देयता को स्वीकृति दी जाती है।

ब्याज

प्रभावी ब्याज विधि का उपयोग करके ब्याज आय को दर्शाया जाता है।

लाभांश

भुगतान प्राप्त करने के अधिकार मिलने पर निवेश से प्राप्त लाभांश आय को दर्शाया जाता है।

अन्य दावे

जब अहसास की निश्चितता होती है और उसे मज़बूती से मापा जा सकता है तब अन्य दावों (ग्राहकों से विलंबित ब्याज पर ब्याज सहित) के लिए जिम्मेदार हैं।

2.5 सरकार से अनुदान

सरकारी अनुदान तब तक स्वीकार नहीं किये जाएंगे जब तक कि उचित आश्वासन न हो की कंपनी उनसे जुड़ी शर्तों का पालन करेगी और निश्चित रूप से अनुदान प्राप्त करेगी।

लाभ और हानि के विवरण में व्यवस्थित आधार पर सरकारी अनुदान को उस अवधि में स्वीकृति दर्शाया गया है जिस अवधि में कंपनी संबंधित लागतों का खर्च अनुदान की क्षतिपूर्ति के आधार पर चिन्हित करती है।

संपत्ति से संबंधित सरकारी अनुदान को आस्थगित आय के रूप में तुलन-पत्र में प्रस्तुत किया जाता है।

सामान्य शीर्षक 'अन्य आय' के तहत आय से संबंधित अनुदान लाभ व हानि के अंश के रुप में प्रस्तुत किया गया है।

सरकारी अनुदान जिस पर यथोचित रूप से मूल्य रखा गया है तथा सरकार के साथ लेन-देन जिसे संस्था के साथ सामान्य व्यापार लेन-देन से अलग नहीं किया जा सकता सरकारी सहायता के प्रकृति है जिससे सस्ता प्रत्यक्ष लाभान्वित होती है तथा सामग्री को अलग से दर्शाया जाता है।

2.6 पट्टे

एक संविदा एक पट्टा को शामिल करता है, यदि संविदा विचार विनिमय में समयावधि के लिए किसी चिन्हित आस्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है।

2.6.1 कंपनी पट्टेदार के रूप में

प्रारम्भिक तिथि में पट्टेदार आस्ति के मूल लागत पर उपयोगिता अधिकार और पट्टा भुगतान के वर्तमान लागत पर पट्टा देयता को स्वीकार करता है जिसका उस तिथि तक भुगतान नहीं किया गया है।

इसके बाद, लागत मॉडल का उपयोग करके आस्तियों के उपयोग का सही आकलन किया जाता है जबकि, लीज देयता को लीज देयता पर ब्याज को प्रदर्शित करने के लिए वहन राशि को बढ़ाकर मापा जाता है, जो लीज के भुगतानों को प्रदर्शित करने के लिए वहन राशि को कम करता है और किसी भी पुनर्मूल्यांकन या लीज संशोधनों को प्रदर्शित करने के लिए वहन राशि की पुनः मापा जाता है।

2.6.2 एक पट्टेदार के रूप में कंपनी

सभी पट्टे या तो परिचालन पट्टे या वित्त पट्टे के रूप में है ।

एक पट्टे को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि यह पर्याप्त रूप से सभी जोखिमों और आकस्मिक पुरस्कारों को आस्ति के स्वामित्व के लिए स्थानांतरित करता है। एक पट्टे को प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि यह अंतर्निहित जोखिम के स्वामित्व के लिए सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित नहीं करता है।

प्रचालन पट्टे-

जब तक अन्य प्रणालीगत आधार पर पैटर्न का अधिक प्रतीधित्व न हो, अंतर्निहित आस्ति के उपयोग से लाभ कम होता है परिचालन पट्टों से पट्टे भुगतान को एक स्ट्रेट लाइन-आधार पर आय के रूप में दर्शाया जाता है।

वित्तीय पट्टे -

एक वित्त पट्टे के तहत आयोजित आस्तियों को शुरू में तुलनपत्र में दर्शाया जाता है और पट्टे में सकल निवेश के आकलन के लिए पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके पट्टे में सकल शुद्ध निवेश के बराबर राशि प्राप्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

इसके बाद, पट्टे की अवधि में वित्त आय को स्वीकृति दी जाती है, जो पट्टे पर पट्टेदार के सकल निवेश पर निरंतर आवधिक दर को दर्शाती है।

2.7 बिक्री हेतु गैर चालू संपत्ति

कंपनी गैर चालू आस्तियों को को वर्गीकृत एवं बिक्री हेतु रखती है, यदि गैर चालू आस्तियों की कुल राशि सतत उपयोग के बजाय बिक्री के माध्यम से पुनर्प्राप्त की गई हो। जब विनिमय व्यवसायीक हो तब इन उद्देश्यों के लिए विक्रय लेन-देन में अन्य गैर चालू आस्तियों के लिए अन्य गैर चालू आस्तियों का विनिमय शामिल है। बिक्री को पूर्ण करने की आवश्यक कार्रवाई से यह संकेत मिलता है कि बिक्री के लिए महत्वपूर्ण बदलाव या विक्रय का निर्णय वापस लेने की संभावना नही है। वर्गिकरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर प्रबंधन अपेक्षित बिक्री के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए।

इन उद्देश्यों के लिए यह बिक्री लेनदेन विनिमय, गैर चालू आस्तियों से अन्य गैर चालू आस्तियों में भी किया जा सकेगा जो व्यवसायिक प्रयोजनार्थ लागू होता है। विक्रय वर्गीकरण के लिए मानदंड बनाए जाते है जब आस्तियों या निपटान समूह अपने वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध होते हो, केवल ऐसी शर्तों के लिए है जो ऐसी संपत्ति (या निपटान समूहों) की बिक्री के लिए सामान्य और प्रथागत है इसकी बिक्री की अत्यधिक संभावना है और इसे वास्तव में बेचा जाएगा पर उसका छोड़ा नहीं किया जाएगा। कंपनी वर्तमान स्थिति के अनुसार इसे निष्पादित करने के लिए सक्षम हो सकेगा, जब :

- प्रबंधन का उपयुक्त स्तर आस्ति (या निपटान समूह) को बेचने की योजना के लिए प्रतिबद्ध है,
- क्रेता का पता लगाने और योजना को पूरा करने के लिए एक सक्रिय कार्यक्रम शुरू किया गया है (यदि लागू हो),
- वर्तमान उचित मूल्य पर आस्तियों (निपटान समूह) के विक्रय हेतु सटिक कदम उठाए जा रहे हैं ।
- यह विक्रय वर्गीकरण की तिथि से 1 वर्ष के अंदर अनुमानत: तैयार कर ली जाएगी तथा
- इस योजना से संबंधित सभी यथोचित योजना जिसमें कतिपय कुछ संशोधन व सुधार आवश्यक हो तो उसकी भी समीक्षा कर तैयार करना अपेक्षित होगा ताकि जरूरत पड़ने पर इस योजना को निरस्त भी किया जा सके।

2.8 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) :-

जमीन की खरीद मूल लागत (हिस्टोरिकल कॉस्ट) पर की जाती है। इस कुल लागत में भूमि अधिग्रहण से जुडे खर्च, पुनर्वास खर्च, पुन:स्थापन लागत तथा संबंधित विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार के बदले दिए गए मुआवजें आदि शामिल हैं।

अन्य संपत्ति के रूप में संयंत्र तथा उपकरण में होने वाले खर्च उस शर्त पर निष्पादित किये जाएंगे, जिसमें समाहित खर्च कम से कम हो तथा लागत मानक के अन्तर्गत किसी भी प्रतिपूरक नुकसान को हानि न पहुंचे। किसी भी संपत्ति की कीमत, संयंत्र तथा उसके उपकरण में निम्नलिखित तथ्यों का होना वांछित है।

क. व्यापार में मिले छूट में कटौती के बाद इनका क्रय मूल्य जिसमें निर्यात शुल्क तथा गैर-वापसी क्रय शुल्क शामिल हो।

ख. किसी भी प्रत्यक्ष व्यय/सामयिक व्यय तथा प्रबंधन द्वारा स्थल तक संपत्ति को लाने के लिए क्षमतानुसार परिचालन के लिए उठाया गया अत्यावश्यक कदम।

ग. सामग्री के परिवर्धन तथा हटाये जाने हेतु प्रारंभिक अनुमानित व्यय तथा समेकित स्थल तक इसे पहुँचाने के लिए व इसके व्यवहार के लिए जिसे समूह ने उस स्थिति में खर्च किया है जब इस सामग्री को उसने अपने आधिपत्य में रखा हो या एक निर्धारित अवधि के अन्तर्गत उसका व्यवहार किया गया हो, जिसके लिए उसने अपना निवेश किया था।

संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के प्रत्येक हिस्सा लागत के साथ कुल लागत के अनुसार महत्वपूर्ण है जिसका ह्रास अलग-अलग दर्शाया जाएगा।

लाभ और हानि के विवरण में चिन्हित दिन प्रतिदिन की कार्य लागत को 'मरम्मत और रखरखाव' के रूप में उस अवधि में वर्णित किया जाता है ।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के हिस्सो की प्रतिस्थापन लागत को मदों की वहन राशि मे चिन्हित कीया जाता है, यदि भविष्य में मदों के साथ जुड़े आर्थिक लाभ कंपनी को लाभांवीत करने की संभावना है; और वस्तु की लागत को मज़बूती से मापा जा सकता है। प्रतिस्थापित किए गए उनभागों की वहन राशि को नीचे उल्लिखित अपमान नीति के अनुसार चिन्हित किया जाता है।

जब प्रमुख निरीक्षण किया जाता है, तो इसकी लागत को प्रतिस्थापन के रूप में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मद की राशि में स्वीकार किया जाता है, यदि भविष्य में मदों के साथ जुड़े आर्थिक लाभ कंपनी को लाभांवीत करने की संभावना है; और वस्तु की लागत को मज़बूती से मापा जा सकता है। पिछले निरीक्षण की लागत की शेष बची हुई राशि (भौतिक भागों से भिन्न) को दर्शाया गया है।

जब भविष्य में आस्तियों के निरंतर उपयोग से आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं होती है तो संपत्ति, संयंत्र या उपकरण की एक वस्तु को निपटान को अस्वीकार कर दिया जाता है। संपत्ति संयंत्र और उपकरणों के मद के निपटान या निवृत्ति पर उत्पन्न होने वाला कोई भी लाभ या नुकसान को लाभ और हानि में स्वीकार किया जाता है ।

पट्टेकृत भूमि	-	परियोजना की अवधि
भवन	-	3-60 वर्ष
दूरसंचार	-	3-9 वर्ष
संयंत्र एवं उपकरण	-	5-30 वर्ष
कार्यालय के उपकरण	-	3-6 वर्ष
फर्नीचर या फिकचर	-	10 वर्ष
वाहन	-	8-10 वर्ष
लैपटॉप और कंप्यूटर	-	3 वर्ष
अन्य	-	

मूल्यह्रास उद्देश्य के लिए संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का शेष मूल्य आस्तियों की मूल लागत का 5% माना जाता है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में आस्तियों के अनुमानित उपयोगी कार्यकाल की समीक्षा की जाती है।

वर्ष के दौरान आस्तियों पर जोड़े /निपटाए गए मूल्यह्रास, जोड़े गए/निपटान के महीने के संदर्भ में यथानुपात के आधार पर प्रदान किया जाता है।

पट्टे भूमि का मूल्य पट्टा अवधि या परियोजना के शेष कार्यकाल, इनमे से जो भी पहले हो, के आधार पर परिशोधित होते हैं।

पूरी तरह से ह्रास एवं सक्रिय उपयोग से निवृत्त आस्तियों को संयंत्र उपकरण के तहत इसके शेष मूल्य पर सर्वे ऑफ आस्तियों के रूप में अलग से प्रदर्शित किया गया है और हानि के लिए परीक्षण किया जाता है।

कंपनी द्वारा कतिपय आस्तियों के निर्माण/विकास पर जो पूंजी व्यय किया जाता है जो कंपनी के उत्पादन, वस्तु की आपूर्ति या मौजूदा आस्तियों के संचलन में आवश्यक होता है। संपत्ति, संयंत्र या उपकरण के अंतर्गत या इंवेलिंग एसेट के रूप में उसे स्वीकार किया जाता है।

भारतीय लेखांकन मानक के परिवर्तन

कंपनी ने अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के लिए लागत मॉडल के अनुसार वित्तीय विवरणों में स्वीकृत भारतीय लेखांकन मानक के परिवर्तन की तिथि से पिछले जीएएपी के अनुसार वहन राशि को आंका जाता है।

2.9 विकासात्मक व्यय

परियोजना से संबंधित सभी व्यय मुख्य विकास के अंतर्गत पूंजीकृत किए जाते है।

2.10 अमूर्त आस्तियां

अलग से अधिग्रहित अमूर्त आस्तियों संपत्ति को प्रारंभिक दर्शाये गए लागत पर आंका जाता है। व्यावसायिक संयोजन में अधिग्रहित अमूर्त संपत्ति की लागत, अधिग्रहण की तिथि पर ही उनका उचित मूल्य होता है। प्रारंभिक स्वीकृति के बाद, अमूर्त संपत्ति को किसी भी संचित परिशोधन (उनके उपयोगी कार्यकाल पर एक स्ट्रेट लाइन बेसिस के आधार पर गणना) और संचित हानि के नुकसान, यदि कोई हो, की लागत पर किया जाता है।

पूंजीगत विकास लागतों को छोड़कर, आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त आस्तियां, पूंजीकृत नहीं हैं। इसके बजाय, संबंधित व्यय को लाभ या हानि और उस अवधि में अन्य व्यापक आय के विवरण में दर्शाया गया है जिसमें व्यय किया जाता है। अमूर्त संपत्ति के उपयोगी कार्यकाल का आकलन या तो परिमित या अनिश्चित काल के लिए किया जाता है। परिमित जीवन के साथ अमूर्त संपत्ति को उनके उपयोगी

आर्थिक कार्यकाल पर परिशोधित किया जाता है और जब भी कोई संकेत नजर आनेपर अमूर्त संपत्ति ख़राब हो सकती है, हानि के लिए मूल्यांकन किया जाता है। सीमित अवधि उपयोगी कार्यकाल के लिए एक अमूर्त आस्तियां के लिए परिशोधन विधि की समीक्षा कम से कम प्रत्येक समीक्षाधीन अवधि के अंत में की जाती है। अपेक्षित उपयोगी कार्यकाल में परिवर्तन या आस्ति में सन्निहित भविष्य के आर्थिक लाभों के उपभोग के अपेक्षित पैटर्न को परिशोधन अवधि या विधि को उचित रूप में संशोधित करने के लिए विचार किया जाता है, और लेखांकन मूल्यांकन में परिवर्तन के रूप में माना जाता है। परिमित कार्यकाल के साथ अमूर्त आस्तियां पर परिशोधन व्यय लाभ या हानि के विवरण में स्वीकार्य है।

एक अमूर्त आस्ति की व्युत्पत्ति से उत्पन्न होने वाले लाभ या हानि को सकल निपटान आय और आस्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में आँका जाता है और लाभ या हानि के विवरण में दर्शाया गया है।

अन्वेषण और मूल्यांकन परीसंपत्तियों की बाहरी एजेंसीयों को बिक्री के लिए चिन्हित या बिक्री के लिए प्रस्तावीत ब्लॉकों का अमूर्त आस्तियों के रूप में वर्गिकरण किया गया है और हानि के लिए परीक्षण किया गया है।

अमूर्त संपत्ति के रूप में चिन्हित सॉफ़्टवेयर की लागत को स्ट्रेट लाइन विधि से , कानूनी उपयोगिता अधिकार की अवधि या तीन वर्षों तक , जो भी कम हो, शून्य अवशिष्ट मूल्य के साथ परिशोधन किया जाता है ।

2.11 हानि

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आकलन करती है कि आस्तियों में बिगड़ाव के कोई लक्षण तो नहीं है। यदि ऐसे कोई कोई लक्षण मौजूद है, तो कंपनी आस्तियों की वसूली योग्य राशि का आकलन करती है। आस्ति की वसूली योग्य राशि संपत्ति या नकद देने वाली इकाई के उपयोग मूल्य से अधिक है और इसके उचित मूल्य निपटान की कम लागत है, और एक व्यक्तिगत आस्ति के लिए हानिकारक है, यदि आस्ति नकद प्रवाह उत्पन्न नहीं करती जो अन्य आस्तियों या आस्तियों के समूहों से बड़े पैमाने पर स्वतंत्र हैं, ऐसी स्थिति में वसूली योग्य राशि आस्तियों रो संबंधित नकद देने वाली इकाई के लिए आलग-आलग होती है।.

2.12 निवेश संपत्ति

उत्पादन या माल और सेवा आपूर्ति या प्रशारानिक उद्देश्य के लिए या व्यवसायीक सामान्य कार्य के लिए बिक्री के अलावा किराया या पूंजीवृद्धि या दोनों के लिए रखी संपत्ति (भूमि या भवन या भवन का हिस्सा या दोनों) को निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

प्रारम्भिक रूप रो निवेश संपत्ति का आकलन इसके संबंधित लेन-देन की लागत राहित उधार लागत तथा उधर लागत जहां भी लागू हो , के आधार पर किया जाता है ।

उनके अनुमानित उपयोगी कार्यकाल पर स्ट्रेट-लाइन पद्धति का उपयोग करके निवेश सम्पत्तियों का अवमूल्यन किया जाता है।

2.13 वित्तीय साधन

एक वित्तीय साधन एक संविदा है जो आस्तियों और किसी अन्य वित्तीय देयता या इक्विटी साधन प्रदान करती है।

2.13.1 वित्तीय आस्तियाँ

2.13.1.1 प्रारंभिक स्वीकृति और आकलन

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज न किए गए वित्तीय आस्तियों, वित्तीय आस्ति के अधिग्रहण के लिए जिम्मेदार लेन-देन की लागत के मामलों में सभी वित्तीय आस्तियों का प्रारम्भिक रूप से उचित मूल्य से अधिक दर्शाया जाता है। वित्तीय आस्तियों की खरीद या बिक्री, जिन्हें बाजार स्थान (नियमित रूप से ट्रेडों)में नियमन या परंपरा द्वारा स्थापित समय सीमा के भीतर आस्तियों के वितरण की आवश्यकता होती है को व्यापार तिथि अर्थात वह तिथि जो कंपनी संपत्ति खरीदने या बेचने के लिए रखी जाती है को दर्शाया जाता है।

2.13.2 अनुवर्ती आकलन

वित्तीय परिसंपत्तियों को अनुवर्ती आकलन हेतु चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

- परिशोधित लागत ऋण साधन।
- अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण साधन (एफ़.वी.टी.ओ.सी.आई)।
- लाभ-हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण, व्युत्पन्न और इक्विटी साधन।(एफ़वीटीपीएल)
- अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए ईक्विटी साधन। (एफ़.वी.टी.ओ.सी.आई)।

2.13.2.1 परिशोधित लागत पर ऋण साधन

निम्नलिखित दोनों शर्तों के पूरा होने पर ऋण साधन का परिशोधित लागत पर आकलन किया जाता है। मापे जाते हैं।

क. आस्तियों को व्यापार मॉडल के अन्तर्गत बनाएं रखने का प्रावधान है, जिसका उद्देश्य आस्तियों के संविदात्मक नगदी का प्रवाह संग्रह करना है और

ख. नगदी प्रवाह की निर्दिष्ट तिथि पर आस्तियों के संविदात्मक शर्तों के तहत भुगतान किए गए मूल एवं ब्याज की राशि को बकाया राशि में सम्मिलित किया गया है।

प्रारंभिक आकलन के बाद, इस तरह की वित्तीय आस्तियों का अनुवर्ती रूप से प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग कर परिशोधन लागत पर आकलन किया जाता है। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण छूट या प्रीमियम और शुल्क या लागत को ध्यान में रखकर की जाती है पर जो किसी भी प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का एक अभिन्न अंग होती हैं। लाभ या हानि के वित्त

आय में ईआईआर परिशोधन शामिल है। खराबी से होने वाले नुकसान को लाभ या हानि में दर्शाया गया है। यह श्रेणी सामान्य तोर पर व्यापार और अन्य प्राप्यों पर लागू होती है।

2.13.2.2 एफवीटीओसीआई में ऋण साधन

अगर निम्नलिखित दोनों मानदंडों को प्राप्त कर लिया गया हो तो एफवीटीओसीआई के रूप में डेब्ट इंस्ट्रूमेंट को वर्गीकृत किया जा सकता है।

क. संविदात्मक नगदी प्रवाह के संग्रह तथा वित्तीय आस्ति के विक्रय दोनों के द्वारा व्यापार मॉडल के उद्देश्य को प्राप्त किया गया।

ख. आस्ति संविदात्मक नकद प्रवाह, एसपीपीआई का प्रतिनिधित्व करता है।

एफवीटीओसीआई श्रेणी के ऋण उपकरणों को प्रारम्भिक रूप से प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में उचित मूल्य पर आकलन किया जाता है। उचित मूल्य संचार को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में दर्शाया गया है। हालाँकि, कंपनी ब्याज आय, हानि, हानि और प्रत्यावर्तन और विदेशी मुद्रा लाभ या हानि को पी एवं एल में चिन्हित करती है। आस्ति की अस्वीकृति, ओसीआई में पहले से चिन्हित संचयी लाभ या हानि पीएंडएल इक्विटी में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। FVTOCI डेट इंस्ट्रूमेंट के दौरान अर्जित ब्याज को ईआईआर विधि का उपयोग करके ब्याज आय के रूप में रिपोर्ट किया जाता है।

2.13.2.3 एफवीटीपीएल में ऋण साधन

डेब्ट इंस्ड्रुमेंट के लिए एफवीटीपीएल एक शेष श्रेणी के रूप में है। कोई डेब्ट इंस्ट्रूमेंट जो ऋण चुकाने की लागत या एफवीटीपीएल के रूप में श्रेणीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करता उसे एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

इसके साथ ही कंपनी एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट नामित करने का चयन भी कर सकती है। जो एफवीटीपीएल में ऋण चुकाने की लागत तथा एफवीटीओसीआई के मानदंडों को पूरा करते हैं। वैसे ऐसे चुनाव की अनुमति सिर्फ तभी दी जाएगी जब ऐसा आकलन कम या समाप्त हो जाता है (जिसे अकाउंटिंग मिसमेच' कहा जाता है।) कंपनी ने एफवीटीपीएल में किसी डेब्ट इंस्ट्रूमेंट को नामित नहीं किया है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल डेब्ट इंस्ड्रुमेंट को उचित मूल्य पर पी एंड एल में पहचाने गए सभी बदलावों के साथ आकलन किया जाता है।

2.13.2.4 अनुषंगी, सहयोगियों तथा संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश

भारतीय लेखांकन मानक 101(भारतीय लेखांकन मानक में प्रथम बार अंगीकरण) एवं पिछले जीएएपी के अनुसार इन निवेशों की वहन राशि लेन-देन की तिथि में उल्लेखित लागत राशि के रूप में निर्धारित की जाएगी। बाद में अनुषंगियों, सहयोगियों एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश किये गए मूल्य का आकलन किया जाता है।

2.13.2.5 अन्य इक्विटी निवेश

भारतीय लेखांकन मानक 109 के अंतर्गत अन्य सभी अन्य इक्विटी निवेश के लाभ एवं हानि का उचित मूल्य पर आकलन किया जाता है।

अन्य सभी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, कंपनी उचित मूल्य में अन्य व्यापक आय के अनुवर्ती परिवर्तनों को प्रस्तुत करने के लिए एक स्थायी चुनाव कर सकती है। कंपनी इस तरह के चुनाव को इंस्ट्रूमेंट्स - दर -इंस्ट्रूमेंट्स के आधार पर करती है। वर्गीकरण प्रारंभिक और स्थायी स्वीकृति पर बना है।
यदि कंपनी एफवीटीओसीआई के अनुसार एक इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को वर्गीकृत करने का निर्णय लेती है, तो लाभांश को छोड़कर, इंस्ट्रूमेंट पर सभी उचित मूल्य परिवर्तन ओसीआई में दर्शाया गया हैं। निवेश की बिक्री पर भी ओसीआई से पी एवं एल तक की मात्रा का पुनर्चक्रण नहीं होता है। हालांकि, कंपनी इक्विटी में संचयी लाभ या हानि को स्थानांतरित कर सकती है।
फवीटीपीएल श्रेणी में शामिल इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को पी एवं एल में दर्शाये गए सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर आकलन किया जाता है।

2.13.2.6 स्वीकृति रद्द करना

एक वित्तीय आस्ति (या जहां लागू हो, वित्तीय आस्ति के एक भाग या समान वित्तीय आस्ति के समूह का एक भाग) की स्वीकृति को प्राथमिक स्तर पर तब रद्द किया गया (अर्थात तुलन पत्र से हटाया गया), जब:

- आस्ति से नकद प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार समाप्त हो गए हो

कंपनी ने आस्तियों से नकद प्रवाह प्राप्त करने के लिए अपने अधिकारों को हस्तांतरित कर दिया है या "पास-थ्रू" व्यवस्था के तहत किसी तीसरे पक्ष को देरी के बिना विलंब नकद प्राप्त भुगतान का दायित्व मान लिया है; या (क) कंपनी ने या तो मूलतः आस्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित कर दिया, या (ख) कंपनी ने आस्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को न तो स्थानांतरित किया है और न ही बरकरार रखा है, लेकिन आस्ति का नियंत्रण स्थानांतरित कर दिया है।
जब कंपनी ने आस्तियों से नकद प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकारों को हस्तांतरित किया है या पास-थ्रू व्यवस्था में हस्तक्षेप किया है, तो यह मूल्यांकन करता है कि क्या और किस हद तक इसने स्वामित्व के जोखिमों और पुरस्कारों को बरकरार रखा है। जब कंपनी ने आस्ति के मूलतः सभी जोखिमों और पुरस्कारों का न तो हस्तांतरण किया है और न ही अपने पास रखा है और न ही आस्ति का नियंत्रण हस्तांतरित किया गया है, तो कंपनी हस्तांतरित आस्तियों को अपनी सतत भागीदारी स्वीकार करती है। उस स्थिति में, कंपनी एक संबद्ध देयता को भी स्वीकार करती है। हस्तांतरित संपत्ति और संबंधित देयता को कंपनी के द्वारा बनाए गए अधिकारों और कर्तव्यों के प्रदर्शन के आधार पर आकलन किया जाता है। सतत हस्तक्षेप, जो आस्ति पर गारंटी लेता हो, आस्ति की निम्न मूल वहन राशि तथा प्रतिफल की अधिकतम राशि से आकलन किया जाता है।

2.13.2.7 वित्तीय संपत्ति की हानि-

भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार, कंपनी निम्नलिखित वित्तीय आस्तियों और क्रेडिट जोखिम पर हानि की पहचान और आकलन के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल को लागू करती है:

क) वित्तीय आस्तियां जैसे, ऋण, ऋण प्रतिभूतियाँ, जमा, व्यापार प्राप्य और बैंक बैलेंस जो ऋण साधन हैं और परिशोधित लागत पर आँकी जाती हैं, वित्तीय आस्तियां जो कि डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है और जिनका आकलन परिशोधित लागत पर किया जाता है उदाहरणत: ऋण प्रतिभूति, व्यापार प्राप्त, बैंक बैलेन्स इत्यादि।

ख) वित्तीय आस्तियां जो ऋण साधन हैं और जिसका एफ़वीटीओसीआई के रूप में आकलन किया जाता हैं।

ग) भारतीय लेखांकन मानक के अंतर्गत प्राप्य लीज

घ) लेनं-देन से उत्पन्न नकद या किसी अन्य वित्तीय आस्तियों को प्राप्त करने के लिए व्यापार प्राप्य या किसी भी संविदागत अधिकार भारतीय लेखांकन मानक 11 और व 18 के अंतर्गत होते हैं।

कंपनी निम्न हेतु नुकसान भत्ते की स्वीकृति के लिए 'सरलीकृत दृष्टिकोण' का अनुसरण करती है:

- व्यापार प्राप्य या अनुबंध राजस्व प्राप्य ; तथा
- 17 के रूप में भारतीय लेखांकन मानक 17 के अंतर्गत लेनदेन से उत्पन्न संभी लीज प्राप्य

सरलीकृत दृष्टिकोण के उपयोग से कंपनी को क्रेडिट जोखिम में परिवर्तन को ट्रैक करने की आवश्यकता नहीं है। बल्कि, यह प्रारंभिक स्वीकृति से ही रिपोर्टिंग प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर लाइफ टाइम ईसीएल के आधार पर हानि भत्ते को स्वीकृति देता है।

2.13.3 वित्तीय देयताएँ

2.13.3.1 आरंभिक पहचान तथा मापन

कंपनी की वित्तीय देयताएं व्यापार तथा अन्य देय और बैंक ओवरड्राफ्ट को शामिल करती है।

सभी वित्तीय देयताएँ प्रारम्भिक स्तर पर उचित मूल्य में तथा ऋण और उधर एवं देय के मामलों में प्रत्यक्ष स्रोतजन्य अंतरण लागत में दर्शाई जाती है

2.13.3.2 आगामी माप

वित्तीय देयताओं की माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करती है जो कि नीचे वर्णित है।

2.13.3.3 लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएँ –

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएँ व्यापार और वित्तीय देयताओं के लिए आयोजित वित्तीय देयताओं में शामिल की जाती है, जिसे लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नामित किया गया है। आयोजित रूप में वित्तीय देयताओं को तब वर्गीकृत किया जाता है जब वे निकट अवधि में पुनर्खरीद के प्रयोजन के लिए उपलब्ध हो। इस श्रेणी में कंपनी द्वारा व्युत्पन्न डैब्ट इन्स्ड्रुमेंट को भी शामिल किया गया है। जिसे प्रतिरक्षा संबंध में प्रतिरक्षा इन्स्ड्रुमेंट के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया जाता है, इसे भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार पारिभाषित किया गया है। सेपरेटेड इम्बेडेड डेरीवेटिवस को भी उस समय तक व्यापार के लिए आयोजित रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जबतक कि इन्हें प्रभावी प्रतिरक्षा उपकरण के रूप में चिन्हित नहीं किया जाता।

देयताओं पर लाभ या हानियों को व्यापार के लिए आयोजित लाभ या हानि के रूप में पहचाना गया है।

वित्तीय देयताओं को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज किया गया है जैसा कि स्वीकृति की प्रारम्भिक तिथि पर नामित है तथा सिर्फ तब ही जब भारतीय लेखांकन मानक 109 के मानदंड संतुष्टीजनक पाये जाते हैं। एफवीटीपीएल में नामित देयताओं के निष्पक्ष मूल्य पर लाभ/हानि जो कि जोखिम ऋण में परिवर्तन के कारण है तथा इसे ओसीआई में स्वीकृति प्राप्त है। इन लाभ हानियों को बाद में पी एंड एल में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। कंपनी इक्विटी के भीतर संचयी लाभ या हानि को स्थानांतरित कर सकती है। ऐसी देयताओं को उचित मूल्य पर अन्य सभी परिवर्तनों के साथ लाभ तथा हानि के विवरण में दर्शाया गया है। कंपनी ने लाभ तथा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर किसी वित्तीय देयताओं को नामित नहीं किया है।

2.13.3.4 परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएँ

प्रारम्भिक स्वीकृति के पश्चात इन्हें बाद में प्रभावी ब्याज दर का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है। जब प्रभावी ब्याज पर परिशोधन की प्रक्रिया द्वारा देयताओं को वापस लिया जाता है, तब लाभ या हानि में नफा या नुकसान को पहचाना जाता है। परिशोधित लागत का आंकलन अधिग्रहण और शुल्क या लागतों पर किसी भी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखते हुए की जाती है, जो कि प्रभावी ब्याज दर का अभिन्न हिस्सा है। प्रभावी ब्याज दर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया गया है। यह श्रेणी आम तौर पर उधार लेने पर लागू होती है।

2.13.3.5 स्वीकृति वापस लेना

एक वित्तीय देयता की स्वीकृति को तब वापस लिया जाता है जब देयताओं के तहत दायित्व का निर्वहन रद्द या समाप्त हो गया हो। जब वित्तीय देयताओं को समान ऋणदाता के साथ विभिन्न शर्तों पर पुनःप्रतिस्थापित किया जाता है तब यह मौजूदा देयताओं के शर्तों को संशोधित करेगा, तत्पश्चात इस तरह के एक विनियम या संशोधन को मूल दायित्व की स्वीकृति और एक नई देयता की पहचान

के रुप में माना जाएगा। किसी अन्य पार्टी को समझाए गए या हस्तांतरित किये गये वित्तीय लेनदेन राशि और उसमें से किसी भी हस्तांतरित आस्तियों या दायित्वों सहित भुगतान किए गए विचारों को लाभ व हानि के रुप में स्वीकार किया जाएगा।

2.13.4 वित्तीय देयताओं का पुनः वर्गीकरण

कंपनी परियोजना निवारण करके प्रारंभिक स्वीकृति पर वित्तीय संपतियों और देयताओं का वर्गीकरण करती है। प्रारंभिक स्वीकृति के बाद वित्तीय आस्तियां जो कि इक्विटी साधन एवं वित्तीय देयतायां हैं को पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा। वे वित्तीय देयताएं जो ऋण साधन हैं जिनका पुनःवर्गीकरण सिर्फ तभी किया जा सकता है जब उनके व्यावसायिक मॉडल की आस्तियों में बदलाव किया जाए। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन परियोजना निवारण करके आंतरिक और बाह्य बदलाव के परिणामस्वरुप व्यापार मॉडल में परिवर्तन करता है जो कंपनी के संचालन के लिए महत्वपूर्ण है और जो बाहरी पार्टियों के लिए स्वतः स्पष्ट है। व्यापार मॉडल में परिवर्तन तब होता है जब कंपनी महत्वपूर्ण संचालन हेतु कार्य को प्रारंभ या समाप्त करती है। अगर कंपनी वितीय आस्ति को पुनः पेश है या पुनःवर्गीकृत करती है, जो कि व्यापार मॉडल में बदलाव के तुरंत बाद आगामी प्रतिवेदन का पहला दिन समझा जाता है। कंपनी पहले से स्वीकृत किसी लाभ, हानि (लाभ व हानि में कमी सहित) या ब्याज को पुनःवर्णित नहीं करती है।

निम्नलिखित सारणी पुनःवर्गीकरण विधि तथा उनकी जिम्मेदारियों को दर्शाते हैं-:

वास्तविक वर्गीकरण	संशोधित वर्गीकरण	लेखांकन विधि
परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	उचित मूल्य को पुनःवर्गीकृत तिथि पर मापा जाता है। पिछले परिशोधित लागत तथा उचित मूल्य के अंतर को पी एंड एल के रुप में पहचाना जाता है।
एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	पुनःवर्गीकृत तिथि पर उचित मूल्य उनके वर्तमान में जारी कुल राशि का प्रतिनिधित्व करती है। ईआईआर की गणना नये जारी किये गये राशि के आधार पर की जाती है।
परिशोधित लागत	एफवीटीओसीआई	उचित मूल्य को पुनः वर्गीकृत तिथि पर मापा जाता है। परिशोधित लागत तथा उचित मूल्य के अंतर को ओसीआई में पहचाना जाता है। पुनर्वर्गीकरण के कारण ईआईआर में बदलाव नहीं किया गया।
एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य उसकी नई परिशोधित लागत वाली राशि होगी। हालांकि ओसीआई में लाभ या हानि को उचित मूल्य के हिसाब से समायोजित किया गया है। जिसके फलस्वरूप आस्तियों को मापा जाता है जिस तरह वे हमेशा से परिशोधित मूल्य पर मापे जाते हैं।
एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	पुनःवर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य उसकी नई जारी की गई राशि होगी, जिसमें किसी अन्य राशि के समायोजन की आवश्यकता नहीं होगी।
एफवीटीओसीआई	एफवीटीपीएल	आस्तियां उचित मूल्य पर ही मापी जाएंगी। ओसीआई में पहले से दर्शाये गए संचयी लाभ या हानि को पुनः जमा करने की तिथि में पी एंड एल के रुप वर्गीकृत किया गया।

2.13.5 वित्तीय साधन को पूरा करना

वित्तीय संपत्ति तथा वित्तीय देयताओ को पूरा किया गया और शुद्ध राशि की सूचना समेकित तुलनपत्र में दी गई। अगर उसे प्राप्त मात्रा में पूरा करने हेतु वर्तमान में कानूनी अधिकार मिलते हो तो संपत्ति को प्राप्त करने के साथ ही साथ देयताओं के निपटान हेतु एक शुद्ध आधार पर समझौता किया जा सकता है।

2.14 उधार लेने की लागत-

उधार लेने की विशिष्ट लागत के रूप में और जब वह अधिग्रहण निर्माण या आस्तियों का उत्पादन करने के लिए सीधे रूप से जुड़े हुए हो तो उसे छोड़कर खर्च किया जा सकता है, जो संपत्ति अपने उपयोग के लिए पर्याप्त अवधि लेती है उस स्थिति में उन्हें उन तारीखों तक आस्तियों की लागत के एक हिस्से के रूप में पंजीकृत तब तक किया जा सकता है जब तक कि संपत्ति उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हो जाती है।

2.15 कर निर्धारण:

आयकर व्यय वर्तमान में देय और स्थगित कर के योग को दर्शाता है।

वर्तमान कर एक अवधि के लिए कर योग्य लाभ (कर हानि) के संबंध में देय आयकर (पुनर्प्राप्त) की राशि होती है। लाभ-हानि और अन्य व्यापक आय के रिपोर्ट के अनुसार कर योग्य लाभ ''आयकर से पहले लाभ'' से अलग होते है क्योंकि उनमें आय या व्यय की वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है जो कि अन्य वर्षों मे कर योग्य है अथवा उन्हें घटाया भी जा सकता है और बाद में उसमें उन वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है जो कभी भी कर योग्य या घटाए गए होते हैं। वर्तमान कर के लिए समूह की देयताओं को रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक मूल रूप से अधिनियमित किए गए दरों का उपयोग करते हुए उसकी गणना की जाती है।

अस्थायी करों के अंतर के लिए स्थगित की गई कर देयताओं को आमतौर पर दर्शाया जाता है। काफी हद तक सभी हटाए गए अस्थाई अंतर के लिए आस्थगित कर संपत्ति को आमतौर पर दर्शाया गया है। यह संभावित है कि इससे वह कर योग्य लाभ हमें उपलब्ध होगा जिसके लिए उन करों को हटाया गया था एवं उन अस्थाई करों का उपयोग भी किया जा सकेगा। ऐसे संपत्ति और देयताओं को उस अवधि तक नहीं दर्शाया जाएगा, जब तक कि अस्थाई अंतर सद्भावना से या अन्य आस्तियों के प्रारंभिक स्वीकृति (व्यापार समायोजन के अलावा अन्य) से वह उत्पन्न न हुआ हो एवं लेनदेन की देयताएं जो न केवल कर योग्य लाभ को प्रभावित करती है अपितु लेखांकन लाभ को भी प्रभावित करती हैं।

जहां समूह अस्थाई अंतर के उत्क्रम को नियंत्रित करने में सक्षम है या उसको छोड़कर सहायिकाओं तथा अनुषंगियों में निवेश करती है, वहां ऐसे कर योग्यों के अस्थाई अंतरों के लिए आस्थगित कर देयताओं

को स्वीकृति प्राप्त होती है। यह संभव है कि अस्थाई अंतर निकट भविष्य में रद्द नहीं होगी, ऐसे निवेशों तथा ब्याजों के साथ जुड़े अथवा घटाए गए अस्थाई अंतर से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियों को कुछ हद तक स्वीकृति प्राप्त है, यह संभव है कि वहां अस्थाई अंतरों के लाभ का उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगी।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आस्थगित कर संपत्ति के वहन राशि की समीक्षा की जाती है और उसे कम भी किया जा सकता है। यह संभव नहीं है कि संपत्ति के किसी या सभी हिस्से को पुनः प्राप्त करने

की अनुमति के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा। प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में अस्वीकृति प्राप्त आस्थगित कर संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और इसे इस हद तक स्वीकृति दी जाती है कि आस्थगित कर संपत्ति के सभी या कुछ हिस्सों को पुनःप्राप्त करने की अनुमति के लिए पर्याप्त कर लाभ उपलब्ध हो सके।

आस्थगित कर संपत्तियों और देयताओं को कर दरों पर मापा जाता है और इसे उस अवधि में लागू करने की अपेक्षा भी की जाती है, जिससे कि कर दरों (तथा कर कानून) पर आधारित देयताओं व आस्तियों का निपटारा किया जा सके। इसे रिपोर्टिंग तिथि के अंत तक लागू या मूल रूप से अधिनियमित किया जाता है।

आस्थगित कर देयताओं और आस्तियों की माप उसके कर परिणामों को दर्शाती है, जो इस रीति का अनुसरण करती है जिसमें समूह को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आस्तियों और देयताओं की संख्या को व्यवस्थित करने की उम्मीद होती है।

संबन्धित मदों को छोडकर चालू और आस्थगित कर को क्रमशः उनके अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में स्वीकार किया गया हैं। चालू और आस्थगित कर को अन्य व्यापक आय में सीधे इक्विटी के अंतर्गत लाभ या हानि के रूप में स्वीकार किया जाता है। जब चालू कर या आस्थगित कर व्यावसायिक संगठन के प्रारम्भिक लेखांकन में आते हैं तो उसके कर प्रभाव को व्यावसायिक संगठन के लेखांकन में शामिल किया जाता है।

2.16 कर्मचारी हितलाभ

2.16.1 अल्पावधि हितलाभ

कर्मचारियों के सभी अल्पावधि लाभ को उस अवधि में स्वीकृति प्राप्त होते हैं जिस अवधि तक वे खर्च किए जाते हैं।

2.16.2 रोजागार पश्चात् लाभ एवं अन्य कर्मचारियों के लिए दीर्घावधि लाभ

2.16.2.1 पारिभाषित योगदान योजनाएं

भविष्य निधि एवं पेंशन के लिए पारिभाषित योगदान योजनाएं जो कि रोजगार पश्चात् प्राप्त होने वाली लाभ योजनाएं है, जिसके अंतर्गत कंपनी कानून के अधिनियमन के तहत् गठित एक अलग सांविधिक

निकाय (कोयला परियोजना भविष्य निधि) द्वारा रखी गई निधि में निश्चित योगदान का भुगतान करती है और कंपनी के पास आगे की राशियों के भुगतान हेतु कोई भी कानून एवं रचनात्मक दायित्व नहीं होता है। परिभाषित योगदान योजनाओं में योगदान के लिए कर्मचारियों को उस अवधि में लाभ और हानि के बयान में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में स्वीकृति प्राप्त है, जिसके दौरान उसने सेवाएं प्रदान की है।

2.16.2.2 पारिभाषित लाभ योजनाएं-

पारिभाषित लाभ योजनाएं एक परिभाषित योगदान योजनाओं के अलावा एक अन्य रोजगार लाभ योजनाएं भी है। उपदान, छुट्टी भुगतान आदि पारिभाषित लाभ योजनाएं है। पारिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में कंपनी की शुद्ध दायित्वों को भविष्य लाभ राशियों के तहत् आंकलन करके गणना की जाती है, जिसे कर्मचारियों ने अपने सेवा के बदले वर्तमान और पूर्व की अवधि में अर्जित किया है। लाभ में रियायत अपने वर्तमान मूल्य को लेकर किया जाता है तथा संपत्तियों के उचित मूल्य के द्वारा उसे हटाया भी जाता है, इनमें से जो भी उचित हो के द्वारा कार्य निष्पादित किया जाता है। छूट की दर जो कि वर्तमान समय में कंपनी के दायित्वों में उल्लेखित शर्तों के अंतर्गत परिपक्व होने वाली रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों की मौजूदा बाजार पर आधारित होती है और यह एक ही मुद्रा में अंकित होगी, जिसमें लाभ का भुगतान करने की अपेक्षा होती है।

बीमांकिक मूल्यांकन के प्रयोग में छूट दर के बारे में धारणाएं आस्तियों पर अपेक्षित वसूल किए गए भावी दर, वेतन वृद्धि दर तथा नैतिकता दर आदि के अंतर्गत शामिल होती हैं। इस तरह के अनुमान इन योजनाओं की दीर्घावधि के कारण अनिश्चितताओं के अधीन है। अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि का उपयोग कर प्रत्येक तुलनपत्र पर अंकित होती है जिनकी गणना बीमांकक द्वारा की जाती है। जब गणना कंपनी के हित में हों तो भविष्य में योजना के योगदान में कमी या योजना से धन वापसी के रूप में आर्थिक लाभों में स्वीकृत आस्तियों का उपलब्ध वर्तमान मूल्य पर सीमित किया जाता है। यदि योजना देयतायां के समाधान पर या योजना के दौरान वसूली योग्य हो तो कंपनी को आर्थिक लाभ उपलब्ध होगा।

कुल पारिभांषित देयताओं का पुनः माप किया जाता है जिसमें आस्ति योजना (ब्याज छोड़कर) पर वसूली को ध्यान में लेते हुए बीमांकिक लाभ व हानि को शामिल किया गया हो तथा आस्तियों (ब्याज छोड़कर यदि कोई हो) का प्रभाव अन्य व्यापक आय में तुरंत स्वीकार किया जाता है। कंपनी निर्धारित अवधि के लिए पारिभाषित लाभ दायित्वों को मापने एवं उपयोग होने वाली छूट दर को लागू करने के लिए शुद्ध पारिभाषित लाभ देयताओं (आस्ति) पर शुद्ध ब्याज (आय) निर्धारित करती है। इसके बाद वार्षिक अवधि के दौरान पारिभाषित लाभ देयताएं (आस्ति) योगदान और लाभ भुगतान के परिणामों के फलस्वरुप प्राप्त पारिभाषित लाभ देयताओं के अंतर्गत आस्तिओं में परिवर्तन करती है। पारिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित कुल ब्याज खर्च एवं अन्य खर्चों को लाभ व हानि में स्वीकार किया जाता है।

जब योजना से प्राप्त लाभों में बढ़ोतरी की जाती है तब कर्मचारियों द्वारा पिछले सेवा से संबंधित बढाये गए लाभों को लाभ व हानि विवरण में खर्च के रूप में दर्शाया जाता है।

2.16.3 अन्य कर्मचारी हितलाभ

कुछ अन्य कर्मचारी लाभ योजनाएँ जैसे- एलटीए, एलटीसी, लाइफ कवर स्कीम, समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, व्यवस्थापन भत्ता, सेवानिवृत्त के पश्चात् चिकित्सा लाभ योजना तथा खान में हुई दुर्घटनाओं में मृतकों के आश्रितों के लिए रियायत आदि उपर्युक्त वर्णित परिभाषित लाभ योजनाओं को स्वीकृति प्राप्त है। इन लाभों में विशिष्ट निधिकरण नहीं है।

2.17 वस्तु –सूची

2.17.1 भंडार और पुर्जों

केंद्रीय और क्षेत्रीय भंडार में स्पेयर पार्ट्स (जिसमें कमजोर उपरकर भी शामिल है।) के स्टॉक की कीमत स्टोर लेजर के रूप में मानी जाती है एवं औसत विधि के आधार पर उसके मूल्य की गणना महत्वपूर्ण होती है। भंडारों और स्पेयर पार्टस की सूची में कोयला खदानों / उप-भंडार/ डीलिंग कैप/ उपभोक्ता केन्द्रों को वर्ष के अंत तक केवल भौतिक रूप से सत्यापित स्टोर के अनुसार मूल्यवान समझा जाएगा।

अनुपयोगी, क्षतिग्रस्त और अप्रचलित भंडार और पुर्जों के लिए 100% की दर से एवं विगत 5 वर्षों से जो भंडार व पुर्जे उपयोग में नहीं लाये गए हैं उनके लिए 50% की दर का प्रावधान बनाया गया।

2.17.2 अन्य वस्तु सूची

कार्यशाला के कार्यों का मूल्यांकन उनके कार्य की प्रगति पर निर्धारित होती है। प्रेस कार्य का स्टॉक (कार्य प्रगति के साथ) मुद्रण प्रेस में स्टेशनरी और केंद्रीय अस्पताल में दवाओं की लागत मूल्य पर निर्धारित होती है।

हालांकि स्टेशनरी (प्रिंटिंग प्रेस में लाने के अलावा) ईंटों, रेतों, दवाइयों (केंद्रीय अस्पताल को छोड़कर) विमान के पुर्जों और स्क्रैप आदि को सूची में उल्लेखित नहीं किया जाता है, क्योंकि उनका मूल्य महत्वपूर्ण नहीं होता।

2.18 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं संपत्तियां

प्रावधान को तब स्वीकृति प्राप्त होता है जब कंपनी की पिछली घटना के परिणामस्वरुप वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) उसे प्राप्त हो और यह संभव है कि दायित्वों का निपटान करने के लिए आर्थिक

लाभों का आउटफ़्लो होना आवश्यक है और उसे दायित्वों की विश्वसनीयता के रूप में भी लिया जा सकता है। जहां समय मूल्यवान है वहां दायित्व का निपटान करने के लिए अपेक्षित व्यय को वर्तमान मूल्य के अनुरूप रखा जाता है।

सभी प्रावधानों की समीक्षा तारीख के साथ प्रत्येक तुलनपत्र पर की जाती है और जो मौजूदा श्रेष्ठ अनुमान को दर्शाता है।
जहां यह संभव ना हो कि आर्थिक लाभों का आउटफ्लो आवश्यक हो या राशि का सटीक रूप से अनुमान नहीं लगाया गया हो तो वहाँ दायित्वों को दायित्व के रूप में प्रकट किया जाना प्रासंगिक हो जाता है। इस स्थिति में आर्थिक लाभ के आउटफ्लो की संभावना दूरस्थ नहीं होती। संभावित दायित्व के अस्तित्व की केवल एक या अधिक भावी अनिश्चित घटनाओं की उपस्थिति या गैर-घटना से पुष्टि की जाएगी, जो कि पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं होगी एवं उन्हें प्रासंगिक देयताओं के रूप में प्रकट किया जाएगा जब तक कि आर्थिक लाभ के आउटफ्लो की संभावना रिमोट नहीं होती।

प्रासंगिक संपत्तियों को वित्तीय विवरणों में स्वीकृति प्राप्त नहीं है। हालांकि जब आय की प्राप्ति वास्तव में निश्चित होती है, तो संबंधित कोई भी संपत्ति आकस्मिक संपत्ति नहीं होती है और ये स्वीकृतिएं यथोचित होती है।

2.19 उपार्जित शेयर

समय के अनुरूप बकाया इक्विटी शेयरों को भारित औसत संख्या द्वारा कर के बाद शुद्ध लाभ में विभाजित करके प्रति शेयर मूल आय की गणना की जाती है। प्रति शेयरों में मंदित आय की गणना इक्विटी शेयरों की औसत लाभ को विभाजित करके की जाती है, जो कि शेयरों की मूल आय से प्राप्त होती है और इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या जो कि सभी डिलिटिव संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी की जाती है।

2.20 निर्णय, आंकलन और धारणाएं

भारतीय लेखांकन मानक के साथ वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन की आवश्यकता होती है। लेखांकन नीतियों को निर्णय और धारणाएं प्रभावित करती है और आस्तियों और देयताओं पर रिपोर्ट की गई राशि आकस्मिक संपत्तियों का खुलासा करती है और जटिल और व्यक्तिपरक निर्णयों से जुड़े लेखा नीतियों के आवेदन को वित्तीय विवरणों में उद्धृत किया जाता है। लेखांकन परिणाम समय - समय पर परिवर्तित होते रहते हैं। वास्तविक परिणाम अनुमानित लागत से भिन्न होते हैं। अनुमान के आधार पर इनकी निरंतर समीक्षा की जाती है और समयानुरूप लेखा अनुमानों का पुनर्निरीक्षण एवं उनका संशोधन भी किया जाता है। सामग्रियों को उनके वित्तीय विवरण की टिप्पणियों में प्रभावी रूप से प्रकट किया जाता हैं।

2.20.1 निर्णय

कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में प्रबंधन ने निम्नलिखित फैसले लिए हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रकाश वित्तीय वक्तव्यों में स्वीकृति प्राप्त राशियों पर डाला गया है :

2.20.1.1 लेखांकन नीतियों का निर्माण-

लेखांकन नीतियां ऐसे वित्तीय वक्तव्य हैं जिसमें लेनदेन, अन्य घटनाओं और शर्तों के बारे में प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है, जिसके लिए वे आवेदन करते हैं। जिन नीतियों का प्रभाव अव्यवस्थित हो उन नीतियों को लागू करने की आवश्यकता नहीं होती।

प्रबंधन ने भारतीय लेखांकन मानक के अभाव में जो विशिष्ट रूप से लेनदेन, घटना की स्थिति पर लागू होते हैं, के अंतर्गत अपने निर्णयानुसार लेखांकन नीतियों के विकास तथा उसे लागू करने के लिए तथा परिणाम प्राप्त करने हेतु निम्न जानकारियाँ उद्धृत की है।

क उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णय लेने के अनुरूप और
ख वित्तीय वक्तव्यों में विश्वसनीयता :
I. कंपनी ईमानदारी से वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नगदी प्रवाह का प्रतिनिधित्व करती है।
Ii. आर्थिक लेनदेन, अन्य घटनाएं और स्थितियां अवैध रूप से प्रतिबिंबित है।
Iii. तटस्थ है अर्थात पूर्वाग्रह से मुक्त,
Iv. मितव्ययी, तथा
V. सभी सामग्रियां पूर्ण रुप से निरंतरता पर आधारित होती हैं।

प्रबंधन निर्णय लेते हैं और उन्हें अवरोही क्रम में निम्नलिखित स्रोतों के द्वारा संदर्भित किया जाता है।
क. भारतीय लेखांकन मानक में लेनदेन से संबंधित मुद्दों की आवश्यकताएं, और
ख. परिभाषित मानदंड और आस्तियां, देनदारी आय और खर्च की अवधारणा।

निर्णय लेने के लिए प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड की सबसे हाल की घोषणाओं पर विचार करती है और उनकी अनुपस्थिति में अन्य मानक स्थापित निकायों जो कि सामान्य विचारात्मक तंत्र का उपयोग करते हुए लेखांकन मानकों और अन्य लेखांकन साहित्य और स्वीकृत उद्योग कार्य का विकास करती है जिससे कि उपरोक्त अनुच्छेद में स्रोतों के साथ विवाद की स्थिति न पैदा हो।

कंपनी ऊर्जा क्षेत्र का संचालन करती है (एक ऐसा क्षेत्र जहां उत्पादन चरण का विकास विभिन्न स्थलाकृति और भू-क्षेत्र के इलाकों पर आधारित है, जो दशकों से चल रहे पट्टे में फैला हुआ है और जहां लगातार परिवर्तन की संभावनाएं होती है) जहां लेखांकन नीतियों की वृद्धि हुई है। पिछले कई दशकों से अनुसंधान समितियों द्वारा विशिष्ट उद्योग प्रथाओं की नियमावली के रूप में उसे अनुमोदित किया गया है। कंपनी लेखांकन साहित्य के विकास के साथ-साथ लेखांकन नीतियों के भी विकास का प्रयास करती है और इसमें भरतीय लेखांकन मानक 8 के विकास पर विशेष रुप से ध्यान दिया जाता है।

2.20.1.2 सामग्रियाँ

भारतीय लेखांकन मानक सामग्रीयुक्त वस्तुओं का उपयोग करती है। प्रबंधन विचार करते हुए यह निर्णय लेते है कि एकीकृत वस्तुओं या वस्तुओं के समूह को वित्तीय विवरणों में सामाग्री के रूप में लिया जा सकता है। सामग्री का आंकलन, वस्तुओं के आकार और प्रकृति के अनुरूप किया जाता है। निर्णायक कारण यह है कि उपयोगकर्ता वित्तीय निर्णयों के आधार पर निर्णय लेते हैं जो कि भूलचूक से आर्थिक निर्णय को प्रभावित भी करते हैं। प्रबंधन भारतीय लेखांकन मानक के मदों का निर्धारण करते हुए आवश्यकताओं को पूर्ण करती है एवं किसी विशेष परिस्थिति में या तो प्रकृति या किसी मद की मात्रा या कुल वस्तुओं का निर्धारण भी करती है। इसके अलावा कंपनी अपने जरूरत के अनुरूप मौजूदा सभी वस्तुओं को अलग से रखती है ताकि नियमानुरूप जब उन्हें इनकी आवश्यकता हो तब इनका उपयोग किया जा सके।

दिनांक 01.04.2019 से प्रभावी रुप में पहले की अवधि से संबंधित चालू वर्ष में खोजे गए त्रुटियों / चूक को अपरिवर्तित और समायोजित किया जा सकता है, अगर ऐसी सभी त्रुटियां और चूक कंपनी के पिछले लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार कुल संपत्ति का 1% से अधिक न हों।

2.20.2 आंकलन और धारणाएँ-

रिपोर्टिंग तिथि में भावी और अन्य महत्वपूर्ण स्त्रोतों के बारे में मुख्य धारणाएँ दी गई है, जो कि अगले वित्तीय वर्ष में आस्तियों और देयताओं की मात्रा के रूप में समायोजित किए जायेंगे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है। कंपनी आंकलन और धारणाओं के आधर पर समेकित वित्तीय विवरण को तैयार करती है। कंपनी भविष्य में होने वाले विकास जिसमें बाजार में होने वाली परिवर्तनों पर मौजूदा परिस्थिति के अनुरूप उन पर नियंत्रण रखती है। ऐसे बदलाव तब होते हैं जब वे घटित होती हैं।

2.20.2.1 गैर-वित्तीय आस्तियों की हानि

हानि तब होती है जब किसी आस्ति या नकदी पैदा करने वाली इकाई का वहन मूल्य उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाता है, जो कि उचित मूल्य से अधिक निपटान की कम लागत और उपयोग में इसके मूल्य से अधिक है। कंपनी व्यक्तिगत परियोजनाओं को हानि के परीक्षण के उद्देश्य से नकदी उत्पन्न करने वाली भिन्न इकाइयों के रूप में मानती है। उपयोग गणना में मूल्य डीसीएफ़ मॉडल पर आधारित है। नकदी प्रवाह अगले पांच वर्षों के लिए बजट से प्राप्त होता है और इसमें पुनर्गठन गतिविधियों को शामिल नहीं किया जाता है जो कंपनी अभी तक या महत्वपूर्ण भविष्य के निवेश के लिए प्रतिबद्ध नहीं है वह सीजीयू के परीक्षण के आस्ति के प्रदर्शन को बढ़ाएगा। वसूली योग्य राशि डीसीएफ मॉडल के लिए उपयोग की जाने वाली छूट दर के साथ-साथ भविष्य की अपेक्षित नकदी-प्रवाह और बाह्य गणन प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली वृद्धि दर के प्रति संवेदनशील हैं। ये अनुमान अन्य खनन संरचनाओं के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक हैं। विभिन्न सीजीयू के लिए वसूली योग्य राशि

का पता लगाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रमुख धारणाओं का खुलासा और संबंधित नोटों में आगे बताया गया है।

2.20.2.2 कर

अस्थायी आस्तियाँ को अप्रयुक्त कर हानियों के लिए उस सीमा तक स्वीकृति प्राप्त है, जिस सीमा तक कर लगाने योग्य लाभों की उपलब्धता को उनके घाटे में भी उपयोग किया जा सके। प्रबंधन के महत्वपूर्ण निर्णयों की आवश्यकता इसलिए है कि आस्थगित कर आस्तियों की राशि का निर्धारण किया जा सके जिससे वह पहचाने जा सके। उपरोक्त समय के आधार पर और भविष्य में कर के लाभों के स्तर के साथ भावी कर योजनाओं के तहत रणनीतियाँ बनाई जायेंगी। करों से संबन्धित आगामी विवरण का उल्लेख टिप्पण-25 में किया गया है।

2.20.2.3 योजनाओं के लाभ की परिभाषा

पारिभाषित लाभ, ग्रेजुएटी योजना और अन्य रोजगार चिकित्सा लाभों की लागत और ग्रेजुएटी दायित्वों के वर्तमान मूल्य का निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन से किया जाता है। मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएँ शामिल होती है, जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकती है। इसमें छूट दर, भविष्य में वेतन बढ़ोतरी और मृत्यु दर का निर्धारण शामिल किया जाता है।

मूल्यांकन और इसकी दीर्घकालिक प्रकृति में शामिल जटिलता, परिभाषित लाभ, दायित्वों की स्वीकृतिओं में परिवर्तन अत्यंत ही संवेदनशील होते हैं। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में सभी स्वीकृतिओं की समीक्षा की जाती है। सबसे अधिक परिवर्तन होने वाला विषय छूट दर होता है। भारत में संचालित योजनाओं के लिए उपर्युक्त छूट दर को निर्धारित करने में प्रबंधन सरकारी बॉन्ड के ब्याज दरों के साथ मुद्रित रोजगार के ब्याज दायित्वों पर विचार करती है।

मृत्यु दर देश के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मृत्यु दर की सारणी पर आधारित होते हैं। मृत्यु दर के सारणी में बदलाव केवल जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर आधारित होती है। भावी वेतन वृद्धि और ग्रेजुएटी की बढ़ोत्तरी भविष्य की मुद्रास्फीति की दर पर निर्धारित की जाती है।

2.20.2.4 वित्तीय साधनों का उचित मूल्य माप –

जब तुलनपत्र में दर्ज वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य को सक्रिय बाज़ारों में उद्धृत कीमतों के आधार पर मापा नहीं जा सकता, तो उनका उचित मूल्य डीसीएफ मॉडल के साथ आम तौर पर स्वीकृत मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके मापा जाता है। जहां तक संभव हो इन मॉडलों को बाजार से लिया जाता है। परंतु जहां संभव ना हो, वहाँ उचित मूल्यों को स्थापित करने के लिए निर्णायक परिणामों की आवश्यकता पड़ती है। निर्णय में नगदी की जोखिम, क्रेडिट जोखिम, अस्थिरता और अन्य प्रासंगिक इनपुट जैसे विचाराधीन निवेश शामिल होते हैं। धारणाओं में परिवर्तन और अनुमानित ऐसे कारक वित्तीय रिपोर्ट में दिये गए उचित मूल्य को प्रभावित करते हैं।

2.20.2.5 विकास के तहत अमूर्त संपत्तियां –

कंपनी ने लेखांकन नीति के अनुसार अमूर्त आस्तियों का उपयोग परियोजना के विकास के लिए किया है। आम तौर पर जब परियोजना की रिपोर्ट पावर फ़ाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा तैयार की जाती है, तब निर्णयों के आधार पर प्रबंधन द्वारा प्रारम्भिक पूँजी लागत की तकनीक और आर्थिक व्यवहार को स्वीकार किया जाता है।

2.21. प्रयोग किए गए संक्षेपाक्षर :

क.	सीजीयू	नकद उत्पाद इकाई
ख.	डीसीएफ़	रियायती नकद प्रवाह
ग.	एफ़वीटीओसीआई	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य
घ.	एफ़वीटीपीएल	लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य
ङ.	जीएएपी	समान्यतः स्वीकृत मूलधन
च.	भा.ले.मा.	भारतीय लेखा मानक
छ.	ओसीआई	अन्य व्यापक आय
ज.	पी एंड एल	लाभ और हानि
झ.	पीपीई	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण
ञ.	एसपीपीआई	केवल मूलधन और ब्याज भुगतान

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

नोट 3 : संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(रु.लाख में)

	फ्रीहोल्ड भूमि	अन्य भूमि	भूमि सुधार/साइट पुनर्स्थापना लागत	निर्माण (पानी की आपूर्ति, सड़कों और कलवर्ट सहित)	संयंत्र एवं उपकरण	भंडार में पी एंड एम	दूरसंचार	रेलवे साईडिंग	फर्नीचर व फिक्सचर	कार्यालय उपकरण	वाहन	रेल कोरिडोर	अन्य आधार संरचना	परिसंपतियों का सर्वेड ऑफ	अन्य	कुल
सकल वहन राशि																
01 अप्रैल 2019 को	-	-	-	-	-	-	-	-	9.22	2.24	-	-	-	0.05		11.52
योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.70	-	-	-	-		0.70
विलोपन / समायोजन	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-		-
31 मार्च 2020 को	-	-	-	-	-	-	-	-	9.22	2.94	-	-	-	0.05	-	12.22
1 अप्रैल 2020 को	-	-	-	-	-	-	-	-	9.22	2.94	-	-	-	0.05	-	12.22
योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.70	-	-	-	-		0.70
विलोपन / समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.10)	-	-	-	-		(2.10)
31 मार्च 2021 को	-	-	-	-	-	-	-	-	9.22	1.54	-	-	-	0.05	-	10.82
संचित मूल्यह्रास और हानि																
01 अप्रैल 2019 को	-	-	-	-	-	-	-	-	5.43	1.46	-	-	-			6.89
वर्ष के लिए शुल्क	-	-	-	-	-	-	-	-	1.08	0.66	-	-		-		1.75
हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
विलोपन / समायोजन	-	-	-	-	-			-	-	0.41	-	-				0.41
31 मार्च 2019 तक	-	-	-	-	-	-	-	-	6.51	2.54	-	-	-		-	9.05
1 अप्रैल 2020 को	-	-	-	-	-	-	-	-	6.51	2.54	-	-	-	-	-	9.05
वर्ष के लिए शुल्क	-		-	-	-	-	-	-	1.08	0.41	-	-		-		1.49
हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
विलोपन / समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.00)	-	-				(2.00)
31 मार्च 2021 को	-	-	-	-	-	-	-	-	7.59	0.95	-	-	-	-	-	8.54
कुल वहन राशि																
31 मार्च 2021 को	-	-	-	-	-	-	-	-	1.63	0.60	-	-	-	0.05	-	2.28
31 मार्च 2020 को	-	-	-	-	-	-	-	-	2.71	0.41	-	-	-	0.05	-	3.17

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 4 : पूंजीगत डब्ल्यूआईपी

(रु.लाख में)

	भवन (पानी की आपूर्ति, सड़कों और कलवर्ट सहित)	संयंत्र और उपकरण	रेलवे साईडिंग	अन्य असंरचना / विकास	रेल कॉरिडोर विकास व्यय	रेल कॉरिडोर निर्माणाधीन	अन्य	कुल
सकल वहन राशि :								
01 अप्रैल 2019 को	-	-	-	1,772.31	-	-	-	1,772.31
योग	-	-	-	139.29	-	-	-	139.29
पूंजीकरण	-	-	-	-	-	-	-	-
समायोजन/विलोपन	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2020 को	-	-	-	1,911.59	-	-	-	1,911.59
								-
1 अप्रैल 2020 को	-	-	-	1,911.59	-	-	-	1,911.59
जोड़	-	-	-	109.35	-	-	-	109.35
पूंजीकरण	-	-	-	-	-	-	-	-
समायोजन/विलोपन	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2021 को	-	-	-	2,020.94	-	-	-	2,020.94
								-
								-
प्रावधान और हानि								-
01 अप्रैल 2019 को	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए शुल्क	-	-	-	-	-	-	-	-
हानि	-	-	-	-	-	-	-	-
विलोपन/समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2020 को	-	-	-	-	-	-	-	-
								-
1 अप्रैल 2020 को	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए शुल्क								-
हानि								-
विलोपन/समायोजन								-
31 मार्च 2021 को	-	-	-	-	-	-	-	-
								-
								-
कुल वहन राशि								
31 मार्च 2021 को	-	-	-	2,020.94	-	-	-	2,020.94
31 मार्च 2020 को	-	-	-	1,911.59	-	-	-	1,911.59

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 5 :अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियां

(रु.लाख में)

	अन्वेषण और मूल्यांकन. संपत्ति
सकल वहन राशि :	
01 अप्रैल 2019 को	-
जोड़	-
पूंजीकरण	
विलोपन/समायोजन	-
31 मार्च 2020 को	-
1 अप्रैल 2020 को	-
जोड़	-
पूंजीकरण	
विलोपन/समायोजन	-
31 मार्च 2021 को	-
प्रावधान और हानि	
01 अप्रैल 2019 को	-
वर्ष के लिए शुल्क	-
हानि	-
विलोपन/समायोजन	-
31 मार्च 2020 को	-
1 अप्रैल 2020 को	-
वर्ष के लिए शुल्क	-
हानि	-
विलोपन/समायोजन	-
31 मार्च 2021 को	-
कुल वहन राशि	
31 मार्च 2021 को	-
31 मार्च 2020 को	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी
टिप्पणी 6 : अमूर्त परिसंपत्तियां

(रु.लाख में)

	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	अमूर्त अन्वेषणात्मक संपत्ति	अन्य (नोट में निर्दिष्ट)	कुल
सकल वहन राशि				
01 अप्रैल 2019 को	-	-	-	-
योग	-	-	-	-
विलोपन/समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च 2020 को	-	-	-	-
1 अप्रैल 2020 को	-	-	-	-
योग	-	-	-	-
विलोपन/समायोजन	-			-
31 मार्च 2021 को	-	-	-	-
प्रावधान और हानि				
01 अप्रैल 2019 को	-	-	-	-
वर्ष के लिए शुल्क	-	-	-	-
हानि	-	-	-	-
विलोपन/समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च 2020 को	-	-	-	-
1 अप्रैल 2020 को	-	-	-	-
वर्ष के लिए शुल्क	-	-	-	-
हानि	-	-	-	-
विलोपन/समायोज़न	-	-	-	-
31 मार्च 2021 को	-	-	-	-
कुल वहन राशि				
31 मार्च 2021 को	-	-	-	-
31 मार्च 2020 को	-	-	-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी -7 : निवेश

(रु.लाख में)

गैर-चालू निवेश

	शेयरों / इकाइयों की	प्रति शेयर अंकित मूल्य	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
शेयर में निवेश				
अनुषंगी कंपनियों में इक्विटी शेयर	-	-	-	-
कुल : (क)	-	-	-	-
सुरक्षित बॉन्ड में निवेश (उद्धृत)	-	-	-	-
कुल : (बी)	-	-	-	-
कुल (क+ख)	-	-	-	-
गैर-उद्धृत निवेशों की कुल राशि:	-	-	-	-
उद्धृत निवेश की कुल राशि:	-	-	-	-
उद्धृत निवेश का बाजार मूल्य:	-	-	-	-

चालू

(रु.लाख में)

	इकाइयों की संख्या वर्तमान वर्ष / (गत वर्ष वर्ष)	एनएवी (रु. में)	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
म्यूचुअल फंड निवेश	-	-	-	-
कुल :	-	-	-	-
उद्धृत निवेश का योग :	-	-	-	-
गैर-उद्धृत निवेशों का योग :	-	-	-	-
उद्धृत निवेश का बाजार मूल्य :	-	-		-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 8 : ऋण

(रु.लाख में)

	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
गैर-चालू		
अन्य ऋण		
- सुरक्षित, जिसे अच्छा माना गया	-	-
- असुरक्षित, जिसे अच्छा माना गया		
- क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई।	-	-
- क्रेडिट हानि	-	-
घटाव: संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	-	-
कुल	-	-
चालू		
अन्य ऋण		
- सुरक्षित, जिसे अच्छा माना गया	-	-
- असुरक्षित, जिसे अच्छा माना गया	-	-
- क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई।	-	-
- क्रेडिट हानि	-	-
घटाव: संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी- 9 :अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

(रु.लाख में)

	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
गैर-चालू		
बैंक जमा	-	-
उपयोगिताओं के लिए सुरक्षा जमा	-	-
घटाव : संदेहास्पद जमा के लिए भत्ता	-	-
अन्य जमा और प्राप्य	75.11	75.11
घटाव: संदेहास्पद जमा और प्राप्य के लिए भत्ता	-	-
	75.11	75.11
कुल	**75.11**	**75.11**
चालू		
दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता	-	-
अर्जित ब्याज	-	-
दावे और अन्य प्राप्य	-	-
घटाव: संदेहास्पद दावों के लिए भत्ता	-	-
	-	-
कुल	-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 10 : अन्य गैर -चालू परिसंपत्तियां

(रु.लाख में)

	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
(i) पूंजीगत अग्रिम	-	-
घटाव : संदेहास्पद अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	-
(ii) पूंजीगत अग्रिमों के अलावा अन्य अग्रिम		
(क) उपयोगिताओं के लिए सुरक्षा जमा	-	-
घटाव : संदेहास्पद जमा के लिए प्रावधान	-	-
(ख) अन्य जमा एवं अग्रिम	-	-
घटाव : संदेहास्पद जमा के लिए प्रावधान	-	-
(ग) संबंधित पार्टियों को अग्रिम	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी -11 : अन्य चालू परिसंपत्तियाँ

(रु.लाख में)

	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
(ए) राजस्व के लिए अग्रिम (वस्तु और सेवाएँ)	-	-
घटाव : संदेहास्पद अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	-
	-	-
(बी) सांविधिक बकाया राशि के लिए अग्रिम भुगतान	-	-
घटाव : संदेहास्पद अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	-
	-	-
(सी) संबंधित पार्टियों के लिए अग्रिम	-	-
(डी) अन्य अग्रिम एवं जमा	0.01	0.01
घटाव : संदेहास्पद अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	-
	0.01	0.01
(ई) इनपुट टैक्स क्रेडिट	-	-
घटाव : प्रावधान	-	-
	-	-
कुल	0.01	0.01

टिप्पणी - 12 : वस्तु-सूची

(रु.लाख में)

	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
(क) भंडार और पुर्जों का स्टॉक (लागत पर)	-	-
जोड़: मार्गस्थ सामान	-	-
भंडार और पुर्जों का कुल स्टॉक (लागत पर)	-	-
(ख) कर्मशाला संबंधी कार्य और प्रेस संबंधी कार्य	-	-
कुल	-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 13 : प्राप्य व्यापार

(रु.लाख में)

	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
चालू		
व्यापार प्राप्य		
- सुरक्षित, जिसे अच्छा माना गया।	-	-
- असुरक्षित, जिसे अच्छा माना गया।	-	-
- क्रेडिट जोखिम में हुई महत्वपूर्ण वृद्धि	-	-
- क्रेडिट हानि	-	-
घटाव : संदेहास्पद संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी - 14 : नकद और नकद समकक्ष

(रु.लाख में)

	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
(क बैंक के साथ शेष		
- चालू खातों में	-	-
क. ब्याज सहित (सीएलटीडी खाता आदि)	-	-
ख. गैर ब्याज सहित	2.06	5.40
- नकद क्रेडिट खातों में	-	-
(ख) भारत के बाहर बैंक शेष	-	-
(ग) उपलब्ध चेक, ड्राफ्ट और मोहर	-	-
(घ) उपलब्ध नकद	-	-
(ङ) भारत के बाहर उपलब्ध नकद	-	-
(च) अन्य		-
कुल नकद और नकद समकक्ष	2.06	5.40

टिप्पणी :

1 नकद और नकद समकक्ष में नकद सहित, बैंक में नकद, स्वीप खाते और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता वाले बैंकों के साथ सावधि जमा शामिल हैं।

2 बैंक खातों के विवरण के अनुसार शेष राशि है :-
ब्याज धारक (सीएलटीडी) खाता- रु. 0.00 लाख
ब्याज रहित -रु.. 2.06 लाख
नोट -14 (ए) की तुलना में शेष राशि में भिन्नता शून्य है। शेष राशि का विधिवत मिलान बैंक समाधान विवरणों के माध्यम से किया जाता है।

टिप्पणी- 15 : अन्य बैंक शेष

(रु.लाख में)

	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
बैंकों के साथ शेष		
- जमा खाते	-	-
- जमा खाते (विशिष्ट उद्देश्य के लिए)	-	-
कुल	-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

(रु.लाख में)

टिप्पणी - 16 : इक्विटी शेयर पूंजी

	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
अधिकृत		
प्रत्येक रु. 10/ के 50000 इक्विटी शेयर	5.00	5.00
	5.00	**5.00**
निर्गत, अभिदत्त और प्रदत्त		
प्रत्येक रु. 10/ के 50000 इक्विटी शेयर पूर्ण रूप से नकद में भुगतान किया	5.00	5.00
	5.00	**5.00**

1 प्रत्येक शेयरधारक के 5% शेयरों के साथ कंपनी के शेयर

शेयर धारक का नाम	शेयरो की संख्या (अंकित मूल्य 10 रु प्रति)	शेयरों का कुल प्रतिशत
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड. (धारक कंपनी) और उसके नामित	50000	100

2 इस अवधि के दौरान, कंपनी ने कोई शेयर नहीं जारी किया या खरीदा है।

टिप्पणी 17 : अन्य इक्विटी -

(रु.लाख में)

	अन्य रिजर्व		सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित आय (अधिशेष)	अन्य व्यापक आय	कुल इक्विटी
	पूंजी प्रतिदान रिजर्व	पूंजी रिजर्व				
01.04.2019 तक शेष	-	-	-	(595.54)	-	(595.54)
अन्य समायोजन	-	-	-	-	-	-
लेखांकन नीति या पूर्व अवधि की त्रुटियों में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-
01.04.2019 को पुन: वर्णित शेष	-	-	-	(595.54)	-	(595.54)
अवधि के दौरान/प्रतिधारित आय में अंतरण	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	(3.35)	-	(3.35)
परिभाषित लाभ योजना का पुनर्मूल्यांकन (कर का सकल)	-	-	-	-	-	-
विनियोग				-	-	-
प्रतिधारित आय का अंतरण	-	-	-	-	-	-
अन्य रिजर्व से / के लिए अंतरण	-	-	-	-	-	-
अंतरिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
कॉर्पोरेट लाभांश कर	-	-	-	-	-	-
31.03.2020 तक शेष	-	-	-	(598.89)	-	(598.89)
अवधि के दौरान /प्रतिधारित आय को अंतरण	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन	-		-	-	-	-
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	(2.89)	-	(2.89)
परिभाषित लाभ योजना का पुनर्मूल्यांकन (कर का सकल)	-	-	-	-	-	-
विनियोग				-	-	-
सामान्य रिजर्व से / के लिए अंतरण	-	-	-	-	-	-
अन्य रिजर्व से / के लिए अंतरण	-	-	-	-	-	-
अंतरिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
कॉर्पोरेट लाभांश कर	-	-	-	-	-	-
31.03.2021 तक शेष	-	-	-	(601.78)	-	(601.78)

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 18: उधारी

(रु.लाख में)

	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
गैर-चालू		
सावधि ऋण		
-बैंक से	-	-
- अन्य ऋण	-	-
कुल	-	-
वर्गीकरण		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	-	-
चालू		
मांग पर ऋण प्रतिदेय	-	-
-बैंक से	-	-
-अन्य पारियों से	-	-
संबंधित पार्टियों से ऋण	-	-
अन्य ऋण	-	-
कुल	-	-
वर्गीकरण		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 19 : व्यापार देय

(रु.लाख में)

	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
चालू		
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए व्यापार देय	-	-
अन्य व्यापार भुगतान के लिए		
-भंडार और पुर्जा	-	-
-ऊर्जा और ईंधन	-	-
- अन्य व्यय		
कुल	-	-

एमएसएमई को बकाया राशि और ब्याज की अवधि बढाना , यदि कोई हो तो

अवधि	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
15 दिनों के अंदर बकाया	-	-
16 से 30 दिनों के अंदर बकाया	-	-
31 से 45 दिनों के अंदर बकाया	-	-
45 दिनों से अधिक बकाया	-	-
एमएसएमई के कुल लेनदार	-	-

	31-03-2021 के अनुसार	31-03-2020 के अनुसार
व्यापार देय - सूक्ष्म और लघु उद्यमों का कुल बकाया	-	-
मूलधन और ब्याज की राशि अप्रदत्त हैं लेकिन अवधि के समाप्त होने तक नहीं।	-	-
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम - 2006 की धारा -16 के संदर्भ में अवधि के दौरान नियत दिन से परे आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ कंपनी द्वारा ब्याज का भुगतान किया गया।	-	-
भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए बकाया और देय ब्याज (जिसका भुगतान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम - 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना वर्ष के दौरान नियत दिन से परे किया गया है।)		
अवधि समाप्त होने तक अर्जित ब्याज और शेष अवैतनिक।	-	-
आगे के वर्षों में शेष बकाया और देय ब्याज, ऐसी तिथि तक जब उपरोक्त ब्याज की राशि वास्तव में छोटे उद्यमों को भुगतान की जाती है।	-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी
टिप्पणी- 20 : अन्य वित्तीय देयताएँ

(रु.लाख में)

	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
गैर-चालू		
प्रतिभूति जमा	-	-
बयाना राशि	-	-
अन्य	-	-
	-	-
चालू	-	-
चालू खाता के साथ	-	-
अनुषंगी/धारक कंपनी (एमसीएल)	-	-
दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता	2,690.53	2,583.29
अदत्त लाभांश	-	-
प्रतिभूति जमा	-	-
बयान राशि	3.08	3.08
पूंजीगत व्यय के लिए देय	0.05	0.05
वेतन मजदूरी और भत्तों के लिए देयता	-	-
अन्य	2.20	2.80
	2.70	2.37
कुल	2,698.56	2,591.60

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 21 : प्रावधान

(रु.लाख में)

	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
गैर-चालू		
कर्मचारी लाभ		
-उपदान	-	-
- अवकाश नगदीकरण	-	-
-अन्य कर्मचारी हितलाभ	-	-
- अन्य	-	-
	-	-
कुल	-	-
चालू		
कर्मचारी लाभ		
- उपादान	-	-
- अवकाश नगदीकरण	-	-
- अनुग्रह राशि	-	-
- कार्य-निष्पादन से संबंधित भुगतान	-	-
- अन्य कर्मचारी लाभ	-	-
- एनसीडबल्यूए -X	-	-
- कार्यकारी वेतन संशोधन	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी- 22: अन्य गैर-चालू देयताएँ

(रु.लाख में)

	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
स्थगित आय	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी- 23 : अन्य चालू देयताएँ

	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
सांविधिक बकाया राशि:	1.70	1.70	0.65	0.65
ग्राहकों / अन्य से अग्रिम	-	-	-	-
अन्य देयताएँ	-	-	-	-
कुल		1.70		0.65

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 25 : अन्य व्यय

	31.03.2020 को समाप्त अवधि के लिए	31.03.2020 को समाप्त अवधि के लिए
यात्रा व्यय		
- घरेलू	-	-
- विदेशी	-	-
प्रशिक्षण व्यय	-	-
दूरभाष और डाक खर्च	0.01	0.00
विज्ञापन एवं प्रचार-प्रसार	-	-
भाड़ा शुल्क	-	-
दान / अभिदान	-	-
सुरक्षा व्यय	-	-
भाड़ा प्रभार	-	-
विधिक व्यय	-	-
बैंक प्रभार =	0.01	0.01
गेस्ट हाउस व्यय	-	-
परामर्श शुल्क	0.44	0.80
विक्रय/डिस्कार्ड/सर्वे-ऑफ परसंपत्तियों पर हानि	-	-
लेखा परीक्षक का मानदेय एवं व्यय	-	-
- लेखा - परिक्षण फीस	1.00	0.93
- कर संबंधी मामलों पर	-	-
- अन्य सेवाओं के लिए	-	-
- व्यय की प्रतिपूर्ति।	0.50	0.50
आंतरिक और अन्य लेखा परीक्षा व्यय	-	-
ब्याज और जुर्माना	-	-
अन्य ब्याज	-	-
भाड़ा	-	-
दर और कर	-	-
मुद्रण और स्टेशनरी	0.48	0.37
पट्टा किराया	-	-
बचाव / सुरक्षा व्यय	-	-
भूमि / फसल का मुआवजा	-	-
आर एंड डी व्यय	-	-
पर्यावरण और वृक्षारोपण व्यय	-	-
विविध व्यय	0.05	0.08
कुल	**2.48**	**2.69**

महानदी बेसिन पॉवर लिमिटेड

टिप्पणी – 38: 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु अतिरिक्त टिप्पणियाँ

1 उचित मूल्य माप

क)वर्गवार वित्तीय साधन

(₹ लाख में)

	31.03.2021		31.03.2020	
	एफ़वीटीपीएल	परिशोधित लागत	एफ़वीटीपीएल	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसंपत्तियां				
निवेश :	0.00	0.00	0.00	0.00
सुरक्षित बॉन्ड	0.00	0.00	0.00	0.00
सहकारी शेयर	0.00	0.00	0.00	0.00
म्यूचुअल फंड/आईसीडी	0.00	0.00	0.00	0.00
ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00
जमा एवं प्राप्य	0.00	75.11	0.00	75.10
व्यापार प्राप्य	0.00	0.00	0.00	0.00
नगद एवं नगद समतुल्य	0.00	2.06	0.00	5.40
अन्य बैंक शेष	0.00	0.00	0.00	0.00
वित्तीय देयताएं				
उधार	0.00	0.00	0.00	0.00
व्यापार देय *	0.00	0.00	0.00	0.00
प्रतिभूति जमा एवं बयाना	0.00	3.13	0.00	3.12
अन्य देयताएं *	0.00	2695.43	0.00	2588.48

ख) उचित मूल्य अनुक्रम

वित्तीय साधन के उचित मूल्यों को निर्धारित करने हेतु लिए गए फैसले एवं अनुमान को नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है, जिसे (क) उचित मूल्य पर मापा तथा पहचाना जाता है। (ख) परिशोधित लागत पर मापा जाता है तथा जिसके लिए वित्तीय विवरणी में उचित मूल्यों का उल्लेख भी किया गया है। उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए उपयोग किए गए इनपुट की विश्वसनीयता के बारे में एक संकेत प्रदान करने हेतु कंपनी ने अपने वित्तीय साधन को लेखांकन मानक के तहत निर्धारित तीन स्तरों में विभाजित किया है।

(₹ लाख में)

उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्तियों और देयतायों को मापा गया	31.03.2021		31.03.2020	
	स्तर 1	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 3
एफ.वी.टी.पी.एल. में वित्तीय परिसंपत्तियां				
निवेश :				
म्यूचुअल फंड/आई.सी.डी.	0.00	0.00	0.00	0.00

वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को उचित मूल्य पर मापा जाता है जिसके लिए उचित मूल्यों का प्रकटन किया	31.03.2021		31.03.2020	
	स्तर 1	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 3
वित्तीय परिसंपत्तियां				
निवेश :	0.00	0.00	0.00	0.00
सुरक्षित बॉन्ड	0.00	0.00	0.00	0.00
सहकारी शेयर	0.00	0.00	0.00	0.00
ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00
जमा एवं प्राप्य	0.00	75.11	0.00	75.10
व्यापार प्राप्य	0.00	0.00	0.00	0.00
नगद एवं नगद समतुल्य	0.00	2.06	0.00	5.40
अन्य बैंक शेष	0.00	0.00	0.00	0.00
वित्तीय देयताएं				
उधार	0.00	0.00	0.00	0.00
व्यापार प्राप्य	0.00	0.00	0.00	0.00
प्रतिभूति जमा एवं बयाना	0.00	3.13	0.00	3.12
अन्य देयताएं	0.00	2695.43	0.00	2588.48

प्रत्येक स्तर का एक संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है

स्तर 1: स्तर 1 अनुक्रमण में उद्धृत कीमतों का उपयोग करके वित्तीय साधनों का मूल्यांकन किया गया है इसमें म्यूअचल फंड शामिल है, जिन्हें रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार आस्ति मूल्य (एन.ए.वी.) का उपयोग कर मूल्यांकित किया जाता है।

स्तर 2: वे वित्तीय उपकरण जिनका सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं किया गया है, उनके उचित मूल्य का निर्धारण मूल्यांकन तकनीक का उपयोग कर किया जाना अपेक्षित है जो कि निरीक्षण बाजार के आंकडों के उपयोग को अधिक बढ़ाता है एवं इकाई विशिष्ट के अनुमानों पर यथासंभव कम निर्भर रहता है। उचित मूल्य के लिए जरुरी सभी महत्वपूर्ण निविष्टियाँ स्तर-2 में उपकरण के रुप में शामिल की गई हैं।

स्तर 3: यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण निविष्टियां प्रत्यक्ष बाजार के आंकडों पर आधारित नहीं हो तो उसे उपकरण स्तर 3 में शामिल किया जाएगा। असूचीगत इक्विटी प्रतिभूतियां, वरीयता शेयरों के उधार, सुरक्षा जमा तथा अन्य देनदारियों को स्तर 3 में शामिल किया गया है।

(ग) उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन तकनीक का उपयोग

मूल्यांकन तकनीक का उपयोग वित्तीय साधनों के लिए किया जाता है जिसमें म्यूचुअल फ़ंड में निवेश के संबंध में बाजार में उपकरणों के उद्धृत कीमत (एन.ए.वी.) का उपयोग शामिल हैं।

(घ) महत्वपूर्ण उल्लेखनीय अप्रभावित निवेश का उपयोग करके उचित मूल्य माप

वर्तमान में किसी भी अप्रभावित उल्लेखनीय निवेश का प्रयोग कर उचित मूल्य का मापन नहीं किया गया है।

ङ) परिशोधित लागत पर मापे गए वित्तीय परिसंपत्तियाँ एवं देनदारियों का उचित मूल्य

व्यापार प्राप्तियों की वर्तमान राशि, अल्पावधि जमा, नकद एवं नकद समकक्ष तथा व्यापार भुगतान को उनके अल्पावधि के कारण उचित मूल्यों के समान ध्यान में लिया जाता है।

कंपनी मानती है कि "सुरक्षा जमा" एक महत्वपूर्ण वित्तीय घटक के रुप में शामिल नहीं है। वित्त प्रावधानों को छोड़कर कंपनी का प्रदर्शन तथा करार के लिये वांछित राशि सुरक्षा जमा के साथ समाहित कर दिया जाता है। यदि ठेकेदार अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूर्ण करने में असफल होते हैं तो प्रत्येक माइलस्टोन भुगतान निर्दिष्ट प्रतिशत हित की रक्षा करते हैं। तदनुसार सुरक्षा जमा की लेनदेन की लागत को प्रारम्भिक मान्यता पर उचित मूल्य माना जाता है तथा बाद में उसे परिशोधित लागत पर मापा भी जाता है।

महत्वपूर्ण अनुमान: वित्तीय उपकरण जिनका सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं किया जा रहा है, उनका मूल्यांकन तकनीक की सहायता से निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक प्रतिवेदन अवधि के अंत में कंपनी, उपयुक्त मान्यताओं को निर्धारित करने हेतु है एक तकनीक का चयन

2 वित्तीय जोखिम प्रबंधन

वित्तीय जोखिम प्रबंधन उद्देश्य एवं नीतियाँ

कंपनी के वित्तीय देयताओं में व्यापार एवं अन्य देय आदि शामिल हैं। इन वित्तीय देयताओं का मुख्य उद्देश्य कंपनी के संचालन हेतु उन्हें वित्तीय सहायता एवं गारंटी प्रदान करना है। कंपनी के मुख्य वित्तीय परिसंपत्तियों में संचालन से सीधे व्युत्पन्न ऋण, व्यापार एवं अन्य प्राप्तियां, नगद एवं नगद समकक्ष शामिल हैं।

कंपनी बाजार क्रेडिट, क्रेडिट जोखिम एवं नकदी जोखिम के संपर्क में है। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों की निगरानी करते हैं। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन को जोखिम समिति द्वारा सहयोग प्राप्त होता है , जो परस्पर वित्तीय जोखिम तथा कंपनी के लिए उपयुक्त वित्तीय जोखिमों के शासन ढांचे पर अपनी सलाह देते हैं। जोखिम समिति कंपनी की वित्तीय जोखिम गतिविधियों के लिए अपना आश्वासन निदेशक मंडल को देती है जो कि उचित नीतियों एवं प्रक्रिया द्वारा शासित होती हैं तथा वित्तीय जोखिम कंपनी के नीतियों एवं जोखिम बैंकों के उद्देश्यानुसार पहचाने, मापे एवं प्रबंधित किए जाते हैं। निदेशक मंडल जोखिमों के प्रबंधन हेतु की गई समीक्षा एवं नीतियों से सहमत है, जो संक्षेप में नीचे दिए गए हैं।

यह टिप्पणी जोखिम के स्त्रोतों की जानकारी देती है जिससे स्पष्ट है कि यह इसके इकाई के संपर्क में है तथा किस तरह यह जोखिम एवं वित्तीय लेखांकन विवरण के प्रभावों का प्रबंधन करती है।

जोखिम	जोखिम से उत्पन्न	माप	प्रबंधन
क्रेडिट जोखिम	नकद और नकद समतुल्य, व्यापार प्राप्य तथा परिशोधित लागत पर मापे गए वित्तीय परिसंपत्तियां	काल प्रभाव विश्लेषण/क्रेडिट रेटिंग	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), बैंक जमा क्रेडिट सीमा विविधीकरण एवं अन्य प्रतिभूतियां।
नकदी जोखिम	उधार एवं अन्य देयताएं	वार्षिक नकदी प्रवाह	प्रतिबद्धित क्रेडिट लाइन उपलब्धता एवं उधार की सुविधाएं।
बाजार जोखिम -विदेशी विनिमय	भविष्य के वाणिज्यिक लेनदेन, मान्यता प्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को आईएनआर में नहीं दर्शाया गया है	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	लेखा समिति एवं वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा नियमित रुप से निगरानी एवं समीक्षा।
बाजार जोखिम-ब्याज दर	नकद और नकद समकक्ष, बैंक जमा और म्यूचुअल फंड	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), वरिष्ठ प्रबंधन और लेखा परीक्षा समिति द्वारा नियमित निगरानी और समीक्षा।

भारत सरकार द्वारा जारी किए गए डी.पी.ई. के दिशानिर्देशानुसार निदेशक मंडल द्वारा कंपनी के जोखिम का प्रबंधन किया जाता है। बोर्ड अत्यधिक नगदी निवेश की नीतियों सहित कुल जोखिम प्रबंधन हेतु लिखित रुप में सिद्धांत प्रदान करता है।

क्रेडिट जोखिम प्रबंधन:

प्राप्तियां मुख्य रुप से कोयले की बिक्री से उत्पन्न होती हैं। कोयला की बिक्री को मोटे तौर पर ईंधन आपूर्ति समझौतों (एफएसए) और ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री के रूप में वर्गीकृत किया गया है।.

वृहद - आर्थिक जानकारी (जैसे नियामक परिवर्तन) को ईंधन आपूर्ति समझौतों (एफएसए) और ई-नीलामी शर्तों के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है।

अपेक्षित क्रेडिट हानि प्रावधान : कंपनी संदेहपूर्ण परिसंपत्ति में हुए क्रेडिट हानि हेतु अपेक्षित क्रेडिट जोखिम हानि को जीवन भर अपेक्षित क्रेडिट हानि द्वारा प्रदान करती है। (सरलीकृत दृष्टिकोण) सरलीकृत दृष्टिकोण के तहत व्यापार प्राप्तियों के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि :-

दिनांक 31.03.2021 तक (₹ लाख में)

विश्लेषण	2 महीने के लिए बकाया	6 महीने के लिए बकाया	1 वर्ष के लिए बकाया	2 वर्ष के लिए बकाया	3 वर्ष के लिए बकाया	3 वर्ष से अधिक के लिए बकाया	कुल
सकल वहन राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अपेक्षित हानि दर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अपेक्षित क्रेडिट हानि (हानि भता प्रावधान)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

दिनांक 31.03.2020 तक (₹ लाख में)

विश्लेषण	2 महीने के लिए बकाया	6 महीने के लिए बकाया	1 वर्ष के लिए बकाया	2 वर्ष के लिए बकाया	3 वर्ष के लिए बकाया	3 वर्ष से अधिक के लिए बकाया	कुल
सकल वहन राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अपेक्षित हानि दर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अपेक्षित क्रेडिट हानि (हानि भता प्रावधान)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

हानि भता प्रावधान का समाधान – व्यापार प्राप्य

(₹ लाख में)

दिनांक 01.04.2020 तक हानि भता	0.00
हानि भते में बदलाव	0.00
दिनांक 31.03.2021 तक हानि भता	0.00

वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि के लिए महत्वपूर्ण अनुमान और निर्णय

ऊपर बताई गई वित्तीय संपत्तियों के लिए हानि प्रावधान डिफ़ॉल्ट और अपेक्षित हानि दर तथा न्यूनतम जोखिम पर आधारित हैं। कंपनी इन मान्यताओं को बनाने के लिए और कंपनी के पिछले इतिहास, मौजूदा बाजार की स्थितियों और साथ ही प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में किए गए हानि के आकलनों के आधार पर इनपुट का चयन करती है।

नगदी जोखिम

विवेकतापूर्ण नगदी जोखिम प्रबंधन देय दायित्वों को पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध क्रेडिट सुविधाओं की पर्याप्त मात्रा के तहत नगदी और बिक्री योग प्रतिभूतियों को बनाए रखता है तथा धन की उपलब्धता को भी दर्शाता है। अंतर्निहित व्यवसायों की प्रकृति के कारण कंपनी भंडार की प्रतिबद्धता को बनाए रखने के लिए वित्त पोषण में लचीलापन रखती है।

प्रबंधन अपेक्षित नगदी प्रवाह के आधार पर कंपनी की नगदीकरण की स्थिति (जिसमें निम्नानुसार अनिकसित उधार देने की सुविधाएं शामिल हैं) पर नियंत्रण रखती है। यह आम तौर पर कंपनी द्वारा निर्धारित अभ्यास और सीमा के अनुरुप परिचालित कंपनियों में स्थानीय स्तर पर किया जाता है।

बाजार जोखिम

क) विदेशी मुद्रा जोखिम

विदेशी मुद्रा जोखिम भविष्य के वाणिज्यिक लेनदेन और मान्यता प्राप्त संपत्तियों या देनदारियों से उत्पन्न होती है जो किसी कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा (भारतीय मुद्रा) नहीं है। कंपनी विदेशी मुद्रा लेन-देन से उत्पन्न होने वाले विदेशी विनिमय के संपर्क में है। विदेशी संचालन के संबंध में विदेशी मुद्रा जोखिम को महत्वहीन माना जाता है। कंपनी आयात करती है एवं जोखिम को नियमित रुप से अनुवर्ती द्वारा प्रबंधित भी किया जाता है। कंपनी की एक नीति है जिसे विदेशी मुद्रा जोखिम महत्वपूर्ण होने पर लागू किया जाता है।

ख) नगदी प्रवाह एवं उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम

बैंक जमा कंपनी में उत्पन्न मुख्य ब्याज दर जोखिम के साथ ही कंपनी की नकदी ब्याज दर जोखिम को प्रदर्शित करता है। कंपनी की नीति निर्धारित दर पर अपनी अधिकांश जमाओं को बनाए रखने की है।

, कंपनी सार्वजनिक उद्यम विभाग , क्रेडिट सीमित बैंक जमा विविधीकरण एवं अन्य प्रतिभूतियों से प्राप्त दिशानिर्देशों का उपयोग कर जोखिम प्रबंधन करती है।

पूंजी प्रबंधन

सरकारी संस्था होने के नाते कंपनी वित्त मंत्रालय के तहत निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी पूंजी का प्रबंधन करती है।

कंपनी की पूंजीगत संरचना निम्नानुसार है :

(₹ लाख में)

	31.03.2021	31.03.2020
इक्विटी शेयर पूंजी	5.00	5.00
दीर्घावधि ऋण	0.00	0.00

3 कर्मचारी लाभ : पहचान तथा माप (भारतीय लेखांकन मानक -19)

कर्मचारियों को एमसीएल से प्रतिनियुक्त किया जाता है, वेतन का भुगतान मूल कंपनी द्वारा किया जाता है और आवश्यक ऋण कंपनी को हस्तांतरित किया

4 अपरिचित मदें

क) आकस्मिक देयताएं

I.कंपनी पर किए गए दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया

(₹ लाख में)

	केन्द्रीय सरकार	राज्य सरकार तथा स्थानीय प्राधिकारी	केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम	अन्य	कुल
खुलने की तिथि 01.04.2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्ष के दौरान सम्मिलित	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अवधि के दौरान निपटाए गए दावे :					
क. प्रारम्भिक शेष से	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ख अवधि के दौरान संयोजन से	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
दिनांक 31.03.2021 को समाप्त	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(₹ लाख में)

आकस्मिक देयता			
क्रमांक .	विवरण	तक 31.03.2021	तक 31.03.2020
1	केन्द्रीय सरकार		
	आयकर	0.00	0.00
	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	0.00	0.00
	स्वच्छ ऊर्जा उपकर	0.00	0.00
	केंद्रीय बिक्रय कर	0.00	0.00
	सेवा कर	0.00	0.00
	अन्य (कृपया उल्लेख करें।)	0.00	0.00
	उप योग	0.00	0.00
2	राज्य सरकार और स्थानीय अधिकारी		
	रॉयल्टी	0.00	0.00
	पर्यावरण मंजूरी	0.00	0.00
	बिक्रय कर / वैट	0.00	0.00
	प्रविष्टि कर	0.00	0.00
	अन्य	0.00	0.00
	उप-योग	0.00	0.00
3	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम		
	मध्यस्थता कार्यवाही	0.00	0.00
	मुकदमेबाजी के तहत कंपनी के खिलाफ मुकदमा	0.00	0.00
	अन्य (कृपया उल्लेख करें।)	0.00	0.00
	उप -योग	0.00	0.00
4	अन्य: (अगर कोई हो)		
	विविध -भूमि तथा अन्य	0.00	0.00
	कर्मचारी संबंधित और आदि .	0.00	0.00
	उप-योग	0.00	0.00
	कुल योग	0.00	0.00

कंपनी के प्रबंधन का मानना है कि उपरोक्त के परिणाम से कंपनी पर कोई सामग्री प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

II . गारंटी:

दिनांक 31.03.2021 के अनुसार बैंक गारंटी ₹ 0.00 लाख (₹ 0.00 लाख) जारी की गई।.

III. साख पत्र

दिनांक 31.03.2021 को बकाया साख पत्र ₹ 0.00 लाख (₹ 0.00 लाख) है।

ख) प्रतिबद्धता

निष्पादन हेतु शेष संविदा की अनुमानित राशि पूंजी राशि जिन्हें उपलब्ध नहीं कराया गया : ₹ 0.00 लाख (₹0.00 लाख)

अन्य प्रतिबद्धताएं : ₹ 0.00 लाख (₹ 0.00 लाख)

5 अन्य सूचना

क) प्रावधान

दिनांक 31.03.2021 को समाप्त की गई अवधि के लिए कर्मचारी लाभ को छोड़कर भारतीय लेखांकन मानक -37 के अनुसार विभिन्न प्रावधानों की स्थिति और मूल्यांकन बीमांकिक है, जो नीचे दिए गए हैं :

(₹ लाख में)

प्रावधान	दिनांक 01.04.2020 को प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान योग	वर्ष के दौरान प्रतिलेखन/समायोजन/भुगतान	दिनांक 31.03.2021 को अंतिम शेष
नोट 3: - संपत्ति, संयंत्र और उपकरण: :				
संपत्ति की हानि:	-	-	-	-
नोट 4: - पूंजीगत कार्य में प्रगति				
सी.डब्लू.आई.पी. से संबंधित :	-	-	-	-
नोट 5: - अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियां :				
प्रावधान और हानि :	-	-	-	-
नोट 8: - ऋण :				
अन्य ऋण :	-	-	-	-
नोट 9:- अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां:				
उपयोगिताओं के लिए सुरक्षा जमा	-	-	-	-
अन्य जमा और प्राप्य	-	-	-	-
दावे और अन्य प्राप्य	-	-	-	-
नोट 10:- अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ				
पूंजीगत अग्रिम	-	-	-	-
उपयोगिताओं के लिए सुरक्षा जमा	-	-	-	-
अन्य जमा एवं अग्रिम	-	-	-	-
नोट 11:- अन्य चालू परिसंपत्तियाँ :				
राजस्व के लिए अग्रिम (वस्तु एवं सेवाएं)	-	-	-	-
वैधानिक बकाया का अग्रिम भुगतान	-	-	-	-
अन्य अग्रिम और जमा	-	-	-	-
नोट 13:-व्यापार प्राप्य :				
खराब और संदिग्ध ऋणों का प्रावधान :	-	-	-	-
नोट 21: - गैर-चालू और चालू प्रावधान :				
उपदान	-	-	-	-
अवकाश नगदीकरण	-	-	-	-
अनुग्रह राशि	-	-	-	-
कार्य प्रदर्शन संबंधित भुगतान	-	-	-	-
अन्य कर्मचारी लाभ	-	-	-	-
साइट पुन: स्थापना / खान बंदी	-	-	-	-
स्लीपिंग गतिविधि समायोजन	-	-	-	-
अन्य	-	-	-	-

ख) सेगमेंट रिपोर्टिंग

कंपनी मुख्य रूप से एकल कार्य में लगी हुई है।

ग) प्रति शेयर आय

क्रमांक.	विवरण	दिनांक 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	दिनांक 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
i)	इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कर के बाद शुद्ध लाभ (रु. लाख में)	(₹ 2.89)	(₹ 3.35)
ii)	इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	50000	50000
iii)	प्रति शेयर मूलभूत आय तथा मन्दित आय (अंकित मूल्य रु.10/- प्रति शेयर)	(₹ 5.78)	(₹ 6.70)

घ) संबंधित पक्ष की जानकारी

संबंधित पार्टियों की सूची इस प्रकार है –

महानदी बेसिन पॉवर लिमिटेड

श्री केशव राव (डीआईएन : 08651284)	अध्यक्ष	10-01-2020
श्री बी. सी. मिश्र (डीआईएन: 08521192)	निदेशक	27-06-2019
श्री अनवर हुसैन (डीआईएन: 08407634)	निदेशक	22-03-2019
श्री ए. के. सिंह (डीआईएन: 08667576)	निदेशक	10-01-2020
श्री ए. के. भूयन	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	16-03-2021
श्री बी. नायक	मुख्य वित्तीय अधिकारी	10-01-2020

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक का पारिश्रमिक

(₹ लाख में)

क्रमांक.	सीएमडी, पूर्णकालिक निदेशक तथा कंपनी सचिव को भुगतान	दिनांक 31.03.2021 को समाप्त वर्ष की अवधि के लिए	दिनांक 31.03.2020 को समाप्त वर्ष की अवधि के लिए
i)	अल्पावधि कर्मचारी लाभ		
	सकल वेतन	0.00	0.00
	चिकित्सीय लाभ	0.00	0.00
	अनुलाभ और अन्य लाभ	0.00	0.00
ii)	रोजगार के बाद के लाभ		
	पी.एफ. और अन्य निधि में योगदान	0.00	0.00
iii)	समाप्ति लाभ	0.00	0.00
	कुल	0.00	0.00

स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान

(₹ लाख में)

क्रमांक.	स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान	दिनांक 31.03.2021 को समाप्त वर्ष की अवधि के लिए	दिनांक 31.03.2020 को समाप्त वर्ष की अवधि के लिए
i)	बैठक शुल्क	0	0

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के साथ बकाया राशि

(₹ लाख में)

क्रमांक.	विवरण	दिनांक 31.03.2021 तक	दिनांक 31.03.2020 तक
i)	देय राशि	शून्य	शून्य
ii)	प्राप्य राशि	शून्य	शून्य

ङ) आस्थगित कर परिसंपत्ति और देयता की भरपाई की जा रही है क्योंकि वे एक ही शासन के कर कानूनों द्वारा लगाए गए आय पर करों से संबंधित हैं।

आस्थगित कर परिसंपत्ति /देयता :

(₹ लाख में)

		31.03.2021	31.03.2020
क.	आस्थगित कर परिसंपत्ति :		
	संदिग्ध अग्रिमों, दावों और ऋण के लिए प्रावधान	0	0
	कर्मचारी लाभ	0	0
	अन्य	0	0
	(क) का कुल	0	0
ख.	आस्थगित कर देयता :		
	अचल संपत्ति से संबंधित	0	0
	अन्य	0	0
	(ख) का कुल	0	0
	निवल आस्थगित कर परिसंपत्ति/ (आस्थगित कर देयता) (क-ख)	0	0

च) बीमा और वृद्धि के दावे

प्रवेश / अंतिम निपटान के आधार पर बीमा और वृद्धि के दावों का हिसाब किया जाता है।

छ) लेखों में किए गए प्रावधान

धीमी गति से चलने वाले / नॉन-मूविंग / अप्रचलित भंडार, दावों को प्राप्य, अग्रिमों, संदिग्ध ऋणों आदि के लिए खातों में किए गए प्रावधान को संभावित नुकसान को कवर करने के लिए पर्याप्त माना जाता है।

ज) चालू संपत्ति, ऋण और अग्रिम आदि।

प्रबंधन के विचार से, अचल संपत्ति के अतिरिक्त अन्य संपत्ति और गैर चालू निवेश का मूल्य कम से कम व्यवसाय के सामान्य अवधि के दौरान वसूली या जिस पर मूल्य निर्धारित किया जाता है, के बराबर होता है।

झ) चालू देयताएं
जहाँ वास्तविक देयता को मापा नहीं जा सकता है वहाँ अनुमानित देयता प्रदान की गई है।

ञ) शेष की पुष्टि
शेष की पुष्टि /सामंजस्य नकद और बैंक शेष, निश्चित ऋण और अग्रिम, दीर्घकालिक देयताओं और चालू देयताओं के आधार पर किया जाता है। सभी संदिग्ध अपुष्ट शेषों के लिए प्रावधान किया गया है।

ट) महत्वपूर्ण लेखांकन नीति:
कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 के अंतर्गत कॉर्पोरेट मंत्रालय (एमसीए) द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार कंपनी द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियों को स्पष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीति (टिप्पणी-2) का मसौदा तैयार किया गया है।.

ठ) कोविड -19 का प्रभाव
यह क्षेत्र कोविड -19 के प्रतिकूल प्रभाव से निपटने के लिए निरंतर उपाय कर रहा है और व्यापार को आसान करने के लिए इसने कई गुना उपायों को लागू किया है। क्षेत्र ने 31 मार्च 2021 तक वित्तीय और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की मात्रा को वहन करने की वसूली सहित वित्तीय विवरणों की तैयारी में महामारी के कारण उत्पन्न संभावित प्रभावों पर विचार किया है। यह क्षेत्र भविष्य की आर्थिक परिस्थितियों और उसके व्यवसाय पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी भौतिक परिवर्तन पर कड़ी निगरानी रखेगा।

ड) हालिया घोषणाएं -24 मार्च 2021 को, कारपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने एक अधिसूचना के माध्यम से, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में संशोधन किया। संशोधन अनुसूची III की डिवीजन I, II और III को संशोधित करता है और यह 1 अप्रैल, 2021 से लागू होता है। कंपनी अपने वित्तीय विवरणों में संशोधनों के प्रभाव का मूल्यांकन करती रही है।

ढ) अन्य

i) पिछली अवधि/वर्ष के आंकड़ों को भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार पुनर्स्थापित किया गया है और आवश्यक समझे जाने पर उन्हें फिर से व्यवस्थित और पुनर्व्यवस्थित किया जाएगा।.

ii. नोट -1 और 2 क्रमशः कॉर्पोरेट सूचना और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, नोट 3 से 23, 31 मार्च 2021 के अनुसार तुलनपत्र को तथा नोट -25 उस तिथि पर समाप्त तिमाही के लिए लाभ हानि के विवरण को दर्शाते हैं। नोट 38 वित्तीय विवरणों के लिए अतिरिक्त टिप्पणियों को दर्शाते हैं।

नोट 1 से 38 तक हस्ताक्षर

निर्देशक मंडल की ओर से

ह/-	ह/-	ह/-	ह/-
(एस.के. बेहेरा)	(बी. नायक)	(एस. के. भूयान)	(ए. के.सिंह)
उप. प्रबंधक(वित्त)	मुख्य वित्तीय अधिकारी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	निदेशक
			डीआईएनएन : 08667576

ह/-
(केशव राव)
अध्यक्ष
डीआईएन -08651284

अब तक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
नायक रथ एंड एसोसिएट के लिए
सनदी लेखाकर
फर्म पंजीकरण संख्या: 021051एन

ह/-
(सीए औरबिंद रथ)
साझेदार
सदस्यता संख्या . 062603

भुवनेश्वर
दिनांक: 24.05.2021